राजस्थान विधान सभा

चतुर्थ बैठक, दिनांक १२ फरवरी, १९५१

(अध्यक्ष, श्री नरोत्तमलाल जोशी, पदासीन)

सदन का कार्य ८ बज कर ४२ मिनिट पर प्रारम्भ हुआ

सदन की बैठकों के सम्बन्ध में समय-परिवर्तन के लिये वाद-विवाद

श्री हिम्मतसिंह—Mr. Speaker, Sir, if the Hon'ble Members do not turn up at 8.30, it will perhaps be good if the time of the House is extended so as to begin from 8.45 A.M.

श्री अध्यक्ष—Then we will have to meet from 8.45 A.M. to 1.00 P.M.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—Can we meet from 2 P.M., the time, when the Parliament meets. That will allow Ministers to do their official work and there will be no objection to their not being on their seats in the House on that account.

श्री मथुरादास माथुर—We can conveniently meet from 2 to 7.

एक सदस्य—Why not we meet from 1.30 A.M. ?

श्री हिम्मतसिंह—People have taken to the habit of taking lunch. It would, therefore, be inconvenient for them to turn up at 1.30. If the House meets from 2. P.M. they will have time for lunch.

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—The Parliament meets from 2 to 7. We could also meet at that time.

श्री हिम्मतसिंह—But we are not as big.

श्री अध्यक्ष—Well we may meet from 2 P.M. to 7 P.M.

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ५७

श्री गंगासिंह (वि० सं० ४१)--क्या उद्योग मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे--

(१) जोधपुर डिविजन में पाली जिले में सोजत व मंडला गावों के कली चूने का ठेका सन् १९५० में किसको व कितने रुपयों में दिया गया था ?

(२) क्या यह सच है कि जिस आदमी को ठेका दिया गया था उसके ठेके की अवधि समाप्त हो गई और इस ठेके के टेन्डर वापिस ले लिये गये हैं ?

(३) क्या यह सच है कि दूसरी बार जब टेन्डर ठेके के लिए पेश हुए तो उस समय एक टेन्डर डेढ़ लाख रुपयों का पेश हुआ ? अगर यह सच है तो क्या उस टेन्डर वाले ठेकेदार को उपरोक्त ठेका दिया गया है या नहीं ? अगर नहीं दिया गया है तो क्यों ?

(४) अगर पहले वाले ठेकेदार के पास उसके ठेके की अवधि समाप्त होने पर भी ठेका है तो उस हालत में जब गवर्नमेन्ट दूसरी बार जो टेन्डर आया उस हिसाब से उससे रकम वसूल करेगी या उसको जो पहले ठेका दिया था उस रेट से ठेके की रकम वसूल करेगी ?

(५) ठेकेदार के अब तक कितने रुपये इस ठेके के सम्बन्ध में किश्तों के बाकी हैं ?

(६) अगर बाकी हैं तो इसके लिए क्या सरकार की ओर से ठेकेदार को कोई नोटिस दिया गया ?

(७) अगर ठेकेदार में ठेके की किश्तों के रुपये बाकी हैं तो सरकार इस रकम की वसूली के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास (उद्योग मंत्री)--(१) यह ठेका १-६-४७ से ३०-९-४९ तक १५,१५१) रु० में लोकल सप्लाई के लिए श्री शिवजीसिंह केशवसिंह को दिया गया था व उसकी मयाद जब तक दूसरा आदेश प्राप्त न हो तब तक के लिए बढ़ाई गई थी। दूसरा निकासी ठेका उसी को १,१०,५५१) रु० में दिया गया था उसकी मयाद भी दूसरी आज्ञा प्राप्त न हो तब तक के लिए बढ़ाई गई थी।

(२) शिवजीसिंह की अवधि ३०-९-४९ को समाप्त होगई व चूना बनाने के लिए टेन्डर्स लिये गये।

(३) एक टेन्डर १,५०,१०१) रु० का पांच साल के लिए गोटन लाइम सिन्डीकेट को दिया गया था व उनके नाम पर यह ठेका मंजूर हुवा था लेकिन पहले वाली पार्टी का अदालत द्वारा इन्जंक्शन आने से गोटन लाइम सिन्डीकेट को पजेशन नहीं दी गई।

(४) यह ठेका अब तक पहले वाले के कब्जे में है व अदालत का फैसला होने के बाद यह प्रश्न हल किया जावेगा।

(५) ठेकेदार से इस सम्बन्ध में सितम्बर सन् ५२ तक ७६,०००) रु० बकाया था।

(६) नोटिस दिया गया है।

(७) नोटिस दिया गया है।

श्री संतोषसिंह—अदालत द्वारा यह इन्जंक्शन निकालने का क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास (उद्योग मंत्री)—दावा उसी के द्वारा किया गया था और उस पर अदालत ने इन्जंक्शन ऑर्डर जारी किया था।

श्री संतोषसिंह—क्या उसका यह दावा करना वाजिब था ?

श्री रामकिशोर व्यास—अदालत द्वारा फैसला दिया गया था और उस पर उसने फिर दावा किया और फिर इन्जंक्शन ऑर्डर जारी किया गया था।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५८ (२।एल. एम.)

श्री सरदारसिंह (वि० सं० १२७)—क्या स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(१) अलीगढ़ डिस्पेन्सरी का सालाना बजट क्या है ?

(२) क्या यह सत्य है कि कस्बा अलीगढ़, जिला टोंक, में तीन साल से डिस्पेन्सरी, बिना डाक्टर के ही, चल रही है ?

(३) क्या सरकार ने उस डिस्पेन्सरी के बजट से डाक्टर का खर्चा कम कर दिया है ?

(४) अगर कम कर दिया गया तो क्यों कम किया गया ?

(५) अगर कम नहीं किया तो अब तक वहां डाक्टर की नियुक्ति क्यों नहीं की गई और अब कब तक डाक्टर की व्यवस्था हो जाने की आशा की जावे ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)—(१) अलीगढ़ डिस्पेन्सरी का सालाना बजट ७,१५२) रुपया है।

(२) डाक्टरों की कमी के कारण इस अस्पताल में फरवरी १, १९५१ से किसी डाक्टर की नियुक्ति नहीं हो सकी।

(३) व (४) जी नहीं।

(५) अब इस अस्पताल में डाक्टर की नियुक्ति हो चुकी है। और करीब एक महीना हुए डाक्टर ने चार्ज ले लिया है।

श्री खेतसिंह—क्या उनियारा गांव के लोग भी अलीगढ़ डिस्पेन्सरी से ही दवा लेते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)—दवाई के लिए कोई किसी के लिए मनाही नहीं होती है।

श्री भैंरूसिंह—डाक्टर के नहीं होने की वजह से क्या इतने दिन डिस्पेन्सरी बन्द रही या वह चालू रही ?

Page No.4

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)—काम तो चला ही है। डिस्पेन्सरी तो कैसे बन्द हो सकती थी ?

प्रश्न संख्या ५६

श्री मोहब्बतसिंह-Will the Minister Incharge, Medical Department, be pleased to state whether since last so many months there is no lady doctor incharge of the female hospital of Sirohi and that a male doctor is working instead? Will the Minister kindly state within what period a lady doctor would be sent there ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)-डा० (मिस) शीला चौपड़ा, जनाना अस्पताल, उदयपुर, के जनाना अस्पताल सिरोही के लिए स्थानान्तरण के आदेश निकाले जा चुके हैं । डा० शीला चौपड़ा अभी ३० जनवरी तक छुट्टी पर थीं और छुट्टी समाप्त होने पर सिरोही अस्पताल में अपने पद का कार्यभार सम्भाल लिया है ।

श्री जवानसिंह-क्या यह सच है कि वे फिर छुट्टी में चली गई हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)-इसके लिए मैं दरियाफ्त करके सूचना दे सकता हूं ।

श्री जवानसिंह-आजकल वे यहीं हैं या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)-इस सम्बन्ध में मुझे मालुम नहीं ।

एक सदस्य-क्या पहले भी इस तरह से छुट्टी में थीं ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)-यदि कोई छुट्टी लेता है तो उसकी एवज में दूसरी व्यवस्था कर दी जाती है और यदि उन्होंने कोई छुट्टी ली भी थी तो दूसरी व्यवस्था कर दी गई होगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास-(सदन की बत्तियां बुझ जाने पर) This is an instance of the efficiency of the Electrical Department.

श्री मोहब्बतसिंह-माननीय अध्यक्ष, प्रश्न पूछने से पहले मैं प्रश्न ४ और ७ के आगे कोष्टक में "एफ. एम". लिखा गया है । उस सम्बन्ध में आपका ध्यान खींचता हूं। चूंकि एजुकेशन मिनिस्टर पहले फाइनेन्स मिनिस्टर भी थे और अब चूंकि फाइनेन्स का काम, पूर्व फाइनेन्स मिनिस्टर से, राजस्थान के फाइनेन्स का दिवाला निकाल देने से, मुख्य मंत्री द्वारा ले लिया गया है अतः इसमें 'एफ. एम." के एवज में "ई."होना चाहिये । अतः मेरा यह सुझाव है कि इसमें संशोधन कर दिया जाय हमें भी सहूलियत रहे ।

श्री अध्यक्ष-You put your question.

Page No.5

प्रश्न संख्या ६० (४/एफ. एम.)

श्री मोहब्बतसिंह–Will the Minister for Education be pleased to state whether the accounts of the Deputy Inspector of Schools' Office at Sirohi have been audited since the formation of Rajasthan ? If not, why ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)–विभागों की रद्दोबदली का प्रश्न मुख्य मंत्री का है। डिप्टी इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, सिरोही, के अकाउन्टस राजस्थान बनने के पश्चात् ऑडिट नहीं किये गये हैं। साधारणतया ऑडिट अकाउन्ट्स ऑफिस द्वारा ही किया जाता है। जनवरी सन् १९५२ में अकाउन्टेन्ट जनरल, जोधपुर, को लिखा गया था कि अकाउन्ट्स चैक किये जांय; किन्तु लोकल ऑडिट ने अब तक अकाउन्ट्स चैक नहीं किये हैं। उनसे फिर कहा जा रहा है और मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही हिसाब ऑडिट हो जावेंगे।

श्री मोहब्बतसिंह–यह जांच कब तक हो सकेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा–इसका जवाब मिल जावेगा जिनको गुवहा हो तो बतावें।

श्री खेतसिंह–आवाज सुनाई नहीं दे रही है। माननीय अध्यक्ष, यदि मंत्री महोदय मुंह दूर रख कर बोलें तो सुनाई अच्छी तरह दे।

श्री मोहब्बतसिंह–इसका उत्तर ठीक ढंगसे सुनाई नहीं दिया गया है, इसलिये दुबारा बोलें।

एक सदस्य–उत्तर ठीक सुनाई नहीं दिया।

एक सदस्य–प्रश्न भी ठीक सुनाई नहीं दिया।

श्री हरिकृष्ण व्यास–बिजली भी उत्तर दे गई है। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्ट को तलब किया जावे।

श्री अध्यक्ष–नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६१

श्री मोहब्बतसिंह–Will the Minister for Education be pleased to state—

(*a*) What is the total number of teachers sent on deputation without transfer by the Deputy Inspector of Schools, Sirohi from July, 1952 ? Is it higher in comparison with other Districts of Rajasthan ? If so, what is the reason of such a high number on deputation in Sirohi District only?

(*b*) Is it also not a fact that such teachers have not been re-deputed without transfers by the Deputy Inspector of Schools, Sirohi ? What is the total number of such cases in Sirohi District ? What are the reasons of re-deputation ?

Page No.6

श्री नाथूराम (शिक्षा मंत्री)–(अ) जुलाई सन् १९५२ से अब तक ५१ अध्यापक सिरोही डिस्ट्रिक्ट की पाठशालाओं में डेपुटेशन पर भेजे गये हैं । यद्यपि यह संख्या अधिक है पर यह सब पाठशालाओं के हित को दृष्टि में रखते हुए किया गया है । इन अध्यापकों को डेपुटेशन पर इसलिये भेजा गया है कि इस जिले में अध्यापकों की संख्या बहुत कम है और एक अध्यापक वाले स्कूलों में छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण दूसरे अध्यापकों को भेजना आवश्यक था । एक अध्यापक अधिक से अधिक ३५ छात्रों को सम्भाल सकता है । कुछ स्कूलों में छात्र संख्या कम हो जाने के कारण वहां अध्यापक फालतू हो गये, इसलिए ऐसे अध्यापकों को आवश्यकतानुसार अन्य स्कूलों में भेजा गया ; किन्तु अब कुछ स्कूलों का स्तर बदल गया है इसलिए डेपुटेशन की संख्या कम हो जावेगी ।

(आ) जुलाई सन् १९५२ से अब तक ११ अध्यापक, सिरोही डिस्ट्रिक्ट की स्कूलों में, एक स्कूल से हटा कर दूसरे स्कूल में, जहां अत्यन्त आवश्यकता थी, डेपुटेशन पर भेजे गये हैं ।

स्कूल के लाभ को देखते हुए कुछ डेपुटेशन प्रतिवर्ष किये ही जाते हैं ।

श्री मोहब्बतसिंह–डेपुटेशन की क्या जरूरत पड़ी ?

श्री नाथूराम मिर्धा–जैसा मैंने कहा था जैसे जैसे स्कूलों में छात्रों का नम्बर ज्यादा या कम हो जाता है और महसूस करते हैं कि ज्यादा की जरूरत नहीं है तो डेपुटेशन से वापिस बुला लेते हैं और करते हैं। अगर नम्बर ज्यादा हो जाता है तो डेपुटेशन पर भेज देते हैं ।

श्री मोहब्बतसिंह–लेकिन यदि संख्या में कमी और बढ़ती नहीं हो तो फिर डेपुटेशन क्यों होता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा–उचित कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे ; अगर ऐसा मामला ध्यान में लाया जावेगा तो ।

श्री मोहब्बतसिंह–क्या ऐसे डेपुटेशन की मंजूरी भविष्य में इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स करेंगे ।

श्री नाथूराम मिर्धा–उनका ही काम है, वे ही करेंगे ।

श्री हिम्मतसिंह–डिप्टी इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स भी डेपुटेशन कर लेते हैं, बिना मंजूरी के ?

श्री नाथूराम मिर्धा–छोटी छोटी स्कूलों के लिए डेपुटेशन करने का उनको भी अख्तियार है।

श्री अध्यक्ष–नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ६२

श्री मोहब्बतसिंह–Will the Minister for Education be pleased to answer.—

How many temporary School teachers in the District Schools of Sirohi have been employed since July, 1952, and whether their salaries have been paid ? If not, why ?

श्री नाथूराम मिर्धा–जुलाई सन् १९५२ से ३५ अस्थायी अध्यापकों की नियुक्ति सिरोही की डिस्ट्रिक्ट पाठशालाओं में की गई है और उन सब को वेतन चुका दिया गया है ।

श्री मोहब्बतसिंह–ऐसे भी अध्यापक हैं जिन्हें ३–३ महीने का वेतन नहीं मिला।

श्री नाथूराम मिर्धा–ऐसा केस मेरे ध्यान म नहीं है, अगर माननीय सदस्य ऐसे केस की तरफ ध्यान दिलावेंगे तो ठीक किया जावेगा ।

प्रश्न संख्या ६३

श्री मोहब्बतसिंह–Will the Minister for Education be pleased to answer—

(a) What is the number of relieving teachers under the Deputy Inspector of Schools, Sirohi?

(b) Have they ever been sent for relieving duties or they are always working in the office of the Deputy Inspector of Schools?

(c) If the relieving teachers have been sent in the District Schools the date and place be mentioned.

श्री नाथूराम मिर्धा–उप-निरीक्षक पाठशाला सिरोही के पास ५ रिलीविंग अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। उनमें से तीन अध्यापक तो उप निरीक्षक के कार्यालय में ही कार्य कर रहे हैं और शेष दो अध्यापक पाठशालाओं में काम करते हैं। इसके अलावा उन तीन अध्यापकों में से भी जो उप-निरीक्षक के कार्यालय में कार्य कर रहे हैं, पाठशालाओं से मांग होने पर भेज दिये जाते हैं ।

प्रश्न का यह भाग बड़ा विस्तृत है । यदि कोई समय निर्धारित किया जावे तो यह बताना संभव हो सकेगा कि उक्त समय में कितने रिलीविंग अध्यापक कहां कहां और कब कब रिलीव करने भेजे गये ।

श्री मोहब्बतसिंह–आज भी तारीखें बताई जा सकती हैं। जब वहां रिलिविंग टीचर्स आये हैं और अगर आये हैं तो कई स्कूलें मेरे ध्यान में हैं; मैं बता सकता हूं जब कि कई दिनों तक वे बन्द रही हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा–मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इन टीचर्स को कहां किस समय में भेजा जाता है। अगर समय और तारीख आप बता देंगे तो जांच करके इसका जवाब दिया जा सकता है। अगर आप डेफिनिट इन्फॉर्मेशन चाहें तो समय चाहियेगा । समय मिलने पर दे सकते हैं ।

श्री जवानसिंह–क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि रिलीविंग हैन्ड मौजूद होते हुए भी डेपुटेशन की क्या आवश्यकता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा–मैंने कहा था जब नम्बर बढ़-घट जाते हैं तो उसको देखते हुए डेपुटेशन भेजे जाते हैं । और फिर भी घटते–बढ़ते हैं तो रिलीविंग के तौर पर भेजे जाते हैं या बुला लिये जाते हैं ।

प्रश्न संख्या ६४

श्री प्रभुदयाल–क्या कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) मुलतानी मिट्टी, कोलायत का ठेकेदार कौन है और फी टन पर कितनी रॉयल्टी सरकार को देता है ?

(ख) क्या यह सही है कि उसी टाइम जब इन्हें ठेका दिया गया दूसरे ४०) रुपया टन देने को तैयार थे, उन्हें नहीं दिया गया ?

(ग) क्या यह सही है कि अब वह २ पैसा फी मन पर देना चाहता है और पिछली चूकती रकम जो ज्यादा है वापस लेना चाहता है ?

श्री रामकिशोर व्यास–(क) मेसर्स गोविन्द प्रसाद एण्ड सन्स, बीकानेर, को काम करने की इजाजत अन्तरिम अवधि आखिर फरवरी, १९५३ के लिये दी गई है व रॉयल्टी २७) रुपया फी टन के हिसाब से वसूल होती है।

(ख) इस सम्बन्ध में कई एक दरख्वास्तें प्राप्त हुई जिनमें शरायत वगैरह का कोई जिक्र नहीं था: मेसर्स गोविन्द प्रसाद एन्ड सन्स को उसके ठेके के समय के २३,००० टन स्टाक के निकास के सम्बन्ध में अन्तरिम इजाजत दी गई है।

श्री रामदयाल–क्या यह रॉयल्टी सब जगह एक सरीखी है या अलग अलग ?

श्री रामकिशोर व्यास–राजस्थान बनने से पहले के ये ठेके दिये हुए हैं, अतः स्वाभाविक है कि इनकी रेट्स भी अलग अलग होंगी।

श्री मोतीलाल–मुलतानी मिट्टी मेजर मिनरल है या मीगर ?

एक सदस्य–मेजर मिनरल ठेके पर है या माईनर लीज पर ?

श्री रामकिशोर व्यास–हमारे द्वारा अभी तक ठेके नहीं दिये गये हैं। इसकी वजह यह है कि इस बारे में गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की जो पॉलिसी है इसके बारे में उनसे हमारी बात चीत चल रही है। फाइनल डिसीजन होने पर मालूम हो सकेगा।

श्री मोतीलाल–जोधपुर में मुलतानी मिट्टी की खानें वगैर लीज के दी गई हैं।

श्री रामकिशोर व्यास–वह एक्सटेन्ड किया गया है।

श्री मोतीलाल–मूलचन्द खेमचन्द को इसका ठेका ६ पैसा प्रति मन पर दिया गया।

श्री रामकिशोर व्यास–यह और गोविन्द प्रसाद वालों का ठेका फरवरी में समाप्त होने वाला है।

श्री मोतीलाल--मेरा प्रश्न यह है कि जोधपुर की खान का ठेका मूलचन्द खेमचन्द को ६ पैसा प्रति मन से दिया गया है; यह कैसे हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास--इसके लिए नोटिस की जरूरत है।

श्री प्रभुदयाल--सरकार ठेके की प्रथा कब तक चालू रक्खेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास--सरकार की इस बारे में क्या पॉलिसी हो इस सम्बन्ध में भारत सरकार से बात चल रही है। उनका निर्णय होने पर बतला सकेंगे।

श्री सन्तोषचन्द्--पॉलिसी के नाम से कितने वर्षों से यह मामला पेन्डिग पड़ा है ?

श्री रामकिशोर व्यास--मैं समझता हूं महीने भर से पड़ा है।

प्रश्न संख्या ६५

श्री प्रभुदयाल--क्या कॉमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(क) बीकानेर जिप्सम कंपनी लिमिटेड जामसर में सरकार भागीदार है; अगर है, तो कितने परसेंट ?

(ख) क्या मैनेजिंग डाईरेक्टर भी सरकारी हैं। अगर हां, तो कौन कौन ?

(ग) क्या सरकार ने आर्थिक निरीक्षण के लिये भी कोई डाइरेक्टर रक्खे हैं ? अगर हां, तो कौन कौन और कितने ?

(घ) बीकानेर जिप्सम कम्पनी लिमिटेड को चलते कितने साल होगये हैं ? रोजाना कितना माल जाता है ?

(ङ) इन सालों में सरकार को कितना प्रोफिट हुआ ? अलग अलग हर साल का बतलाने की कृपा करें ?

(च) क्या सरकार कम्पनी के बैलेन्स शीट पर अपना कन्ट्रोल रखती है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(छ) अगर बैलेन्स शीट पर सरकार कन्ट्रोल नहीं रखती है तो क्या सरकार मानती है कि यह सही है ?

श्री रामकिशोर व्यास (उद्योग मंत्री)--(क) बीकानेर जिप्सम कम्पनी लिमिटेड जामसर में सरकार भागीदार है जिसमें सरकार का तीस प्रतिशत हिस्सा है।

(ख) मैनेजिंग डाईरेक्टर सरकारी नहीं है। डाईरेक्टर ऑफ बोर्ड के मेम्बर सरकार की तरफ से सेक्रेटरी, कॉमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज कमिश्नर बीकानेर व डाईरेक्टर माइन्स एवं जियोलोजी हैं।

(ग) आर्थिक निरीक्षण भी उपरोक्त मेम्बरों द्वारा होता है।

(घ) बीकानेर जिप्सम कम्पनी १ नवम्बर सन् १९४७ से काम कर रही है व रोजाना सिन्दरी फर्टिलाइजर्स कम्पनी को एक हजार टन जिप्सम व दूसरी सीमेन्ट कम्पनी वगैरह को साठ टन जिप्सम जाता है।

(ङ) नक्शा प्रोफिट निम्न प्रकार है:

	एक्सपोर्ट	रॉयल्टी	इन्कम
सन् ४७	७६६ टन	३८३ रु०	—
सन् ४८	२६३३० टन	१३१६५ रु०	७४५४ रु० ४ आना
सन् ४९	३१८२१ टन	१५९१० रु० ८ आने	१३५३ रु०
सन् ५०	११६८३४ टन	५८४१७ रु०	—
सन् ५१	६७७८२ टन	३१८८० रु०	२१३ रु० १३ आने
सन् ५२ अक्टूबर तक	१८४५३२ टन	९१२३९ रु०	आंक नहीं मिले।

(च) सरकार की तरफ से जो डाईरेक्टर्स हैं वे बैलेन्स शीट का निरीक्षण करते रहते हैं।

(छ) प्रश्न (च) के उत्तर से इसके उत्तर की आवश्यकता नहीं रहती।

श्री सन्तोषसिंह—सिन्दरी फैक्टरी को जो जिप्सम दी जाती है किस रेट से दी जाती है?

श्री रामकिशोर व्यास—यह रेट तय करने का काम कम्पनी और भारत सरकार का है। हमें तो रॉयल्टी से मतलब है।

श्री सन्तोषसिंह—जिप्सम पर क्या रॉयल्टी ली जाती है?

श्री रामकिशोर व्यास—आठ आना पर टन।

श्री मोतीलाल—क्या यह लीज पर है या कन्ट्राक्ट पर?

श्री रामकिशोर व्यास—लीज पर है।

प्रश्न संख्या ६६

श्री माधोसिंह—Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) How many new teachers have been appointed between the last session of the Legislature and the beginning of this session of Legislature in Jodhpur and Bikaner Divisions?

(b) How many of them are Jats?

(c) How many of them are Rajputs?

(d) How many of them are Schedule castes and Tribes?

Page No.11

श्री नाथूराम मिर्धा—(अ) जोधपुर तथा बीकानेर डिविजन में निम्न रूप से नई नियुक्तियां हुई हैं—

	जोधपुर डिविजन नवम्बर ५२ से अबतक	बीकानेर डिविजन जुलाई ५२ से अबतक
कुल नियुक्तियां	३९	१०५

अध्यक्ष महोदय, दूसरे पार्ट का जवाब एक ऐसे बेसिस पर पूछा गया है जिसके मुताबिक उसका जवाब आसानी से नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार के स्टेटिस्टिक्स क्लेक्ट करना बडा मुश्किल है। क्योंकि इस प्रकार का रेकार्ड नहीं रखा जाता। इसलिये मैं मेम्बरों से प्रार्थना करूंगा कि वे आयन्दा इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए बाध्य न करें; फिर भी मैंने माननीय सदस्य की जानकारी के लिए सूचना एकत्र की है, जो इस प्रकार है :—

	जोधपुर डिविजन नवम्बर ५२ से अबतक	बीकानेर डिविजन जुलाई ५२ से अबतक
(अ) जाटों की संख्या	९	८
(ब)- राजपूतों की संख्या	८	१३
(स) परिगणित जातियों की संख्या	२	७

प्रश्न संख्या ६७

श्री सज्जनसिंह—Is the Minister for Law and Justice aware that the appointment of a Munsiff at Nainwan-Bundi District is in abeyance for the last 9 months and that the staff of the Munsiff's court is there for the same period?

If the answer to this is in the affirmative, will he please state the reasons for not appointing a Munsiff there and continuing the staff?

श्री रामकिशोर व्यास (न्याय मंत्री)—नैनवां (बूंदी) के मुन्सिफ का न्यायालय अभी तक पूर्णतः उत्सादित नहीं किया गया है। यह १–३–५२ से हाई कोर्ट द्वारा स्थगित रक्खा गया है लेकिन अभिलेखों के समारक्षण के लिये वाद-पत्रों और प्रार्थना-पत्रों को ग्रहण करने के लिये तथा परवानों की तामील के लिये न्यूनतम आवश्यक कर्मचारी वर्ग वहां रख लिया गया है।

इस न्यायालय में अत्यल्प संख्या में विचाराधीन मुकदमों को दृष्टी में रखते हुए इसके अंतिम रूप से उत्सादन के प्रश्न पर विचार हो रहा है। इस विषय पर निर्णय शीघ्र ही प्रकाशित होगा।

श्री सज्जनसिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय के यह ध्यान में है कि वहां मुन्सफी के न होने से जनता के लिये न्याय की व्यवस्था नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास—वहां काम के कम होने से हाई कोर्ट ने वहां मुन्सिफ का रखना स्थगित कर दिया था; इसलिये वहां के लिये मुन्सिफ के हटाने की आज्ञा दे दी गई थी। अगर वहां काम इकट्ठा हो जायगा तो दूसरे किसी कोर्ट में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

प्रश्न संख्या ६८

श्री माधोसिंह—Will the Minister for Education be pleased to state—

(*a*) Has Government given any financial help to Kisan Boarding House, Merta, between the last session and this session of Legislature ?

(*b*) If yes, why only to this Boarding House, when there is one more at Merta ?

श्री नाथूराम मिर्धा—(क) किसान बोर्डिंग हाउस मेड़ता को राजस्थान धारासभा के गत अधिवेशन से अब तक सिवाय "मासिक ग्रान्ट-इन-एड" के जो कितने ही वर्षों से दी जारही है कोई और सहायता नहीं दी गई।

अन्य छात्रालयों से सहायता के विषय में प्रार्थना-पत्र इसी वर्ष प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के नये प्रार्थना-पत्रों पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। जब इन प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जायगा तो इस छात्रालय के प्रार्थना-पत्र पर भी विचार कर लिया जायगा।

प्रश्न संख्या ६६

श्री प्रभुदयाल—क्या हैल्थ मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) (क) वेजिटेबल घी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है ? अगर हां, तो क्या राजस्थान में आना मना है ?

(ख) अगर हां, तो क्या सरकार के ध्यान में है कि लाखों रुपयों का माल बाजार में बिक रहा है ?

(ग) क्या कोई स्पेशल ऑफिसर इस संबंध में नियुक्त किया है अगर नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या मंत्री जी महोदय ने गवर्नमेंट होस्टल, जयपुर, के खानेका भी निरीक्षण किया है ? अगर हां, तो कितनी बार ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकिशोर व्यास—राजस्थान सरकार निश्चित रूप से नहीं कह सकती कि वेजिटेबल घी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि उन्होंने इस विषय में अबतक कोई अनुसन्धान नहीं किया है।

राजस्थान के इन्टिग्रेशन से पूर्व सभी रियासतों में इस घी पर पाबन्दी थीं। उसके बन्दी के कारण स्पष्ट हैं कि वेजीटेबल घी में पोष्टिक तत्वोंकी कमी रहती है। इसका दूसरा कारण यह भी था कि यह घी आसानी से असली घी में मिलाया जा सकता है और पब्लिक को धोखा दिया जा सकता है। इसी कारण राजस्थान सरकार ने इस घी के आने पर पाबन्दी लगादी है।

(ब) कस्टम विभाग को खास तौर से हिदायत दी गई है कि वे इस तरह से चोरी से लाने वालों को पकड़ कर उनके खिलाफ कार्यवाही करें। १९५० से लेकर अब तक ३०७ मुकदमें इस तरह के चल रहे हैं। काफी कोशिश इस बात की की जा रही है कि इसका आना यहां रुक जाय।

(स) ऐसे कोई स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति नहीं की गई है।

(२) मैंने होस्टल में तीन दफा भोजन किया।

श्री खेतसिंह--क्या आपने तीनों दफा किसी के निमन्त्रण पर भोजन किया ?

श्री रामकिशोर व्यास--नहीं, एक दफा निमन्त्रण पर और दो दफा ऐसे ही।

श्री मोतीराम--क्या आपके ध्यान में यह है कि रद्दी घी को असली घी में मिलाकर घी प्रयोग में लाया जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास--इस चीज को रोकने का उपाय किया जा रहा है; जिसके फलस्वरूप ३५० के करीब मुकद्दमें चालान हुए हैं।

श्री रोशनलाल--यह मुकद्दमें जो चलाये हैं उनमें कितनों को सजा दी गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)--यह एक अलग प्रश्न है। इसका जवाब अलग दिया जा सकता है।

श्री हरिदेव जोशी--क्या सरकार ने निरीक्षण करवाया है कि वेजीटेबल घी हानिकारक है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)--भारत सरकार ने निरीक्षण करवाया था। इस बारे में अलग अलग रायें हैं। पहली राय यह थी कि यह हानिकारक है और दूसरी राय यह है कि यह हानिकारक है या नहीं स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता।

श्री हरिदेव जोशी--जब हानिकारक नहीं है तो पाबन्दी हटा क्यों नहीं दी जाती ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)--मैंने अपने जवाब में यह कहा है कि राजस्थान सरकार ने उसका निरीक्षण नहीं करवाया है। इसलिए कोई अन्तिम राय नहीं दी जा सकती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह जो पहली राय थी वह बिड़लाजी ने नहीं बदलवाई ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)--यह सवाल पार्लियामेंट से करें तो ठीक रहेगा।

श्रीसंतापसिंह--क्या सरकार को मालूम है कि जितने भी मुकदमें वेजिटेबल घी के पकड़े गये हैं उनको कोर्ट में चलाने के लिये क्या कोई वकील नहीं है, जिससे सब मुकदमे पड़े हुए हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)——ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं आई है। लेकिन मैं आपकी सूचना के लिय निवेदन कर सकता हूं कि कस्टम के महकमे के द्वारा इस तरह के मुकदमे चालान किये जाते हैं, और कस्टम के पैरोकार ही इसकी पैरवी कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य——घी का टेस्ट करने का सरकार के पास क्या जरिया है ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)——सरकार द्वारा नियुक्त पब्लिक एनेलिस्ट घी का टेस्ट करते हैं।

श्री मोतीलाल——राजस्थान के अन्दर राजस्थान सरकार ने खोपरे का तेल निकालने के लिये एक कारखाने को इजाजत दी है और खोपरे का तेल अनसेन्टेड करके उसको घी के अन्दर मिलाया जा सकता है।

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)——क्षमा कीजिये, मैं साफ साफ समझ नहीं सका; फिर से कहिये।

श्री मोतीलाल——राजस्थान में खोपरे के तेल का कारखाना खोलने की राजस्थान सरकार ने अनुमति दी है। खोपरे के कारखाने में ....

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)–खोपरा क्या; समझ में नहीं आया।

श्री मोतीलाल–खोपरा से मतलब नारियल है। यानि कोकोनट ऑइल मैन्यूफैक्चर करने की अनुमति राजस्थान सरकार ने दी है और कोकोनट ऑइल ऐसा भी हो सकता है जिसके अन्दर सुगन्धि नहीं रहती है। वह कोकोनट ऑइल घी में मिला दिया जा सकता है।

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)–क्या आपका यह मतलब है कि कोकोनट ऑइल मिला दिया जाता है। शुद्ध घी में मिलाने वाले जो चीज मिला सकते हैं वे अपने तरीके से करते हैं। जहां गड़बड़ मालूम होती है वहां चालान किया जाता है। उसके अन्दर वेजिटेबल घी भी शामिल है और कोकोनट ऑइल भी शामिल है तथा और दूसरी तरह के ऑइल भी शामिल हैं।

श्री खेतसिंह–आपने जो दो बार भोजन किया है वह कौन से मेस में किया है ?

श्री रामकिशो व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)–डाइनिंग हॉल में किया है, किसी मेस में नहीं; जहां कि आप लोग बैठकर भोजन करते हैं।

श्री खेतसिंह–तब आपने नॉन वेजिटेरियन मेस में तशरीफ लाकर भोजन नहीं किया ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)–मुझे अवसर प्राप्त नहीं हुआ।

श्री खेतसिंह–क्या आप नॉन वेजिटेरियन मेस को होस्टल का हिस्सा नहीं समझते हैं ?

Page No.15

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)–अभी कुछ दिन पहले हाउस की कमेटी के कुछ मेम्बर्स से इस संबन्ध में बातचीत हुई । उन्होंने इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं बतलाई । खाने के बारे में तथा अन्य बातें भी हुई । नॉन-वेजिटेरियन मेस की कोई शिकायत सामने नहीं आई । अगर कोई है तो जरूर उपचार किया जावेगा ।

श्री खेतसिंह–क्या आप आज की इस शिकायत पर गौर फरमाकर तशरीफ लायेंगे ?

श्री हिम्मतसिंह–यदि रोज ही आकर वहां भोजन करें तो बड़ी महरबानी होगी ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)–मेरा एसा ख्याल है कि तब बिल काफी बड़ा हो जायगा ।

श्री मोतीलाल–आपने भोजन करने जाने से पहले सूचना तो नहीं दी थी ?

श्री हरिकृष्ण व्यास–क्या यह भोजन आपने करीब अक्टूबर-नवम्बर के महीने में किया था ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)–हां, गत अधिवेशन में गया था ।

श्री मोतीलाल–इस सेशन में क्या स्थिति है ?

माननीय अध्यक्ष–आर्डर, आर्डर, नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ७०

श्री रामदयाल उपाध्याय–क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि––

(१) उदयपुर डिविजन के कितने अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं ?

(२) कितने स्थानों पर अस्पताल और आयुर्वेदिक औषधालय अर्थात् दोनों ही साथ साथ चल रहें हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)––(१) उदयपुर डिविजन में ५६ डिस्पेन्सरियों में डाक्टर काम कर रहे हैं और २२ छोटी डिस्पेन्सरियों में अभी डाक्टर नहीं हैं क्योंकि डाक्टर नहीं मिल रहे हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है और ऐसी आशा है कि नियुक्तियां शीघ्र ही हो जायंगी ।

(२) दोनों प्रकार के औषधालय (आयुर्वेदिक एवं एलोपेथिक) जो साथ साथ चल रहे हैं उनकी नामावली निम्नलिखित है :–

१. उदयपुर
२. नाथद्वारा
३. रेलमगरा
४. माहोली

Page No.16

५. बिकरली
६. डूगरपुर
७. सार्दूलगढ़
८. चित्तौड़गढ़
९. बडी सादड़ी
१०. प्रतापगढ़
११. पुर
१२. मांडल
१३. शाहपुरा ।

श्री चन्दनमल वैद–डाक्टरों के संबंध में यह निवेदन है कि दूसरे जिलों का भी यही हाल है कि वहां डाक्टर नहीं हैं।

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)–डाक्टर सी. एस. क्लास ए के ज्यादा हैं । वे अधिक मिल जाते हैं, लेकिन सी. एस. बी क्लास के कम हैं ।

श्री तेजमल बापना–क्या सरकार को मालूम है कि पुर में अस्पताल तीन साल पहले कायम किया गया था, लेकिन वहां अभी तक डाक्टर नहीं पहुचा है ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)–मैंने कहा है कि २२ स्थान ऐसे हैं जहां व्यवस्था नहीं हो सकी है ।

एक माननीय सदस्य–जहां डाक्टर हैं वहां दवाइयां नहीं हैं। इसका भी प्रबन्ध किया जायगा ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)–जहां कमी है वहां के लिये अवश्य विचार किया जायगा ।

श्री गोपालसिंह–बदनोर में डाक्टर नहीं है। में यह जानना चाहता हूं कि जो यहां सूची दी गई है कि किन किन स्थानों पर डाक्टर नहीं हैं तो उसमें बदनोर का जिक्र नहीं किया गया है । इसका क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)–मैंने अभी बतलाया है कि २२ ऐसे स्थान हैं जहां कि डाक्टर नहीं हैं । उनमें बदनोर भी शामिल है ।

श्री सन्तोषसिंह–बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां अधिक डाक्टर हैं । वहां से वे क्यों नहीं भेज दिये जाते हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)–अधिक कहीं नहीं हैं, कुछ कमी अवश्य है ।

श्री सन्तोषसिंह–मैं ने एक दफा जोधपुर अस्पताल में पूछा था तो उन्होंने बतलाया था कि डाक्टर तो बहुत से हैं, किन्तु चपरासी व साइकल सवार आदि नहीं हैं; इसलिये वहां नहीं पहुंचते हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)–कोई वजह नहीं है कि डाक्टरों में कमी करके चपरासी वगैरा रखे जायं ।

एक माननीय सदस्य–बजट में डाक्टरों का प्रोवीजन होगा ही; यह रकम बचती ही होगी।

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)–हां, बचती ही होगी ।

श्री मोतीराम–कुल कितने अस्पताल हैं और कितनों में डाक्टर नहीं हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)–ठीक ठीक तो अभी बता नहीं सकता हूं लेकिन करीब करीब ३५० अस्पताल और डिस्पेन्सरियां हैं ।

श्री अध्यक्ष–It is a separate question Next.

प्रश्न संख्या ७१

श्री तेजमल बापना–क्या राजस्व मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे:–

(अ) आसामियों से छठे बांटे का कानून जारी हो जाने पर भी कई जागीरदारों ने आधा या तीजा बांटा जबरन लाट लिया है और जिन्होंने इस प्रकार नहीं लटाया उनको बेदखल कर दिया है ?

(ब) क्या सरकार इस ओर कोई कदम उठा रही है और ऐसी व्यवस्था कर रही है जिससे कानून के विरुद्ध अधिक लटा हुआ नाज आसामियों को वापस मिल जाय ?

(स) यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)–(अ) कुछ शिकायतें जरूर सुनने में आई हैं, परन्तु निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है ।

(ब) कानून में यह व्यवस्था मौजूद है कि काश्तकारों को अवैधानिक तौर पर लिया गया अधिक लाटा वापिस लेने का हक है । काश्तकारों ने जमा कर दिया है वह भी वापिस पा सकते हैं । जयपुर में खास तौर से लैन्ड रेवेन्यू कोड की दफा १७१ के अनुसार काश्तकार २००) रु० तक मुआवजा पा सकता है । कानून व्यवस्था पर्याप्त है । इसके उपयोग में काश्तकारों को अव्यवस्था हो सकती है इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित हो चुका है। ऐसा प्रबन्ध शीघ्र ही किया जायगा जिससे उनको राहत मिले ।

(स) जवाब ऊपर दिया जा चुका है ।

श्री रामदयाल उपाध्याय–क्या सरकार को यह मालूम है कि छठे बांटे के बजाय तीसरा और चौथा लिया गया है, उसमें सरकार के आदमियों का भी हाथ था ?

श्री हरिकृष्ण व्यास–क्या सरकार को यह मालूम है कि छटा बांटा लेने से जागीरदार इन्कार करते हैं तो किसान रेवेन्यू अफसरों के पास जाते हैं और रेवेन्यू अफसरों के पास १५) रु० फीस जमा करनी पड़ती है, यानी अमीन को बुलाने के लिये वे जायें तो फी आदमी १५) रुपये की फीस जमा करनी पड़ती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (रेवेन्यू मंत्री)–कानून के अनुसार जो व्यवस्था है वह तो करनी ही होगी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास–तो क्या सरकार यह समझती है कि हर किसान को १५) रु० फीस जमा कराकर अमीन को बुलवाने के बाद इस कानून से फायदा हो सकता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)–छठे बांटे के अलावा मैंने किसी कानून का जिससे काश्तकारों को राहत मिल सकेगी, जिक्र नहीं किया है । मैंने छठे बांटे का जिक्र किया है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास–क्या सरकार दूसरे कानूनों में जो कमजोरियां रह गई हैं उनको महसूस करते हुए, उन पर उनके द्वारा विचार किया जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)–मैं इस संबन्ध में पहले कह चुका हूं कि अब कुछ चीजें सामने लाई गई हैं उन पर सरकार विचार कर रही है । मैं समझता हूं कि जो जवाब मैंने दिया है वह स्पष्ट है । कुछ जगहों से ऐसी बातें सामने जो आई हैं, उनके बारे में सरकार विचार कर रही है ।

श्री तेजसिंह–क्या सरकार यह बतलायेगी कि जहां जागीरदारों को छठा हिस्सा नहीं मिला है वहां वे क्या करें ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)–ऐसी स्थिति में उन्हें भी कानून के अनुसार जो व्यवस्था प्राप्त है वह उन्हें करना चाहिये ।

श्री सन्तोषसिंह–छठे बांटे के अलावा जहां बीघोड़ी है वहां लोग बीघोड़ी भी नहीं दे रहे हैं; क्या सरकार को यह मालूम है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)–ऐसी कोई बात मेरे सामने नहीं लाई गई है ।

श्री गुरूदयालसिंह सन्धु–क्या आप बतलायेंगे कि ऐसी कितनी शिकायतें तय की गई हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)–ऐसी तो बहुत सी शिकायतें हो सकती हैं। उनकी तादाद इकट्ठी करना आसान नहीं हैं । सैंकड़ों की तादाद में हो सकती हैं ।

श्री गुरूदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार के पास गंगानगर की भी छठे बांटे की शिकायतें आई हैं ? और आई, तो कितनी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया–ऐसी तो बहुतसी शिकायतें हो सकती हैं और उनकी तादाद इकट्ठी करने पर सैंकड़ों की हो सकती है ।

Page No.19

श्री सोहनलाल--क्या सरकार को यह मालूम है कि मेवाड़ के लोग १।। साल से इस सम्बन्ध में शिकायत कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--जी हां।

एक सदस्य--क्या इन शिकायतों के पीछे एस.डी.ओ. का पूरा हाथ था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--शिकायतें तो आई थीं, मगर एस. डी. ओ. का उसके पीछे हाथ का होना; ऐसी बात तो नहीं पाई गई।

श्री गुरूदयालसिंह--गंगानगर से ऐसी बहुत सी शिकायतें आईं मगर एक भी शिकायत तय नहीं हुई।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--लोगों को कानून के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री एच. के. व्यास--छठे बांटे से ज्यादा ले लेने के बावजूद भी जागीरदार की तरफ से ऐसी सूचना दी जाती है कि बांटा नहीं मिला; क्या यह ठीक है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--दोनों तरफ से ऐसी शिकायतें की जाती हैं।

श्री तेजमल बापना--शाहपुरा में छठे बांटे का हुक्म होते हुए भी चौथा बांटा लाटा गया, क्या सरकार को इसका पता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--हां, ऐसी बात सरकार के ध्यान में है।

श्री तेजमल बापना--इसको कितना समय हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कितना समय हुआ।

एक सदस्य--छठे बांटे का हुक्म होने के बाद भी तीसरा, चौथा बांटा लाट लेते हैं और ऐसा न करने पर बेदखल कर देते हैं; उसके लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--इसके लिये उन्हें प्रोटेक्शन ऑफ टीनेन्टस एक्ट के माफिक आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये।

एक सदस्य--इस तरह की कार्यवाही............................

श्री अध्यक्ष--ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री अमरसिंह--क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि सरकार स्वयं ही सेट्लमेंट रेटों से ज्यादा लगान वसूल कर लेती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह तो सरकार की नीति के विरुद्ध है इसलिये इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होते ही उचित कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्न संख्या ७२

श्री तेजमल बापना—क्या न्याय मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे—

(अ) भीलवाड़ा में दीवानी व फौजदारी के कितने न्यायालय है ?

(ब) क्या वे सब एक ही जगह हैं या अलग अलग हैं ?

(स) यदि अलग अलग हैं तो कितने स्थानों पर हैं और वहां वकीलों व जनसाधारण के बैठने का क्या कोई प्रबन्ध है या सड़कों पर या दूसरों की चबूतरियों पर ही लोग बैठते हैं ?

(द) क्या दो-दो, तीन-तीन न्यायालय एक साथ होने पर व उनमें जनसाधारण की उपस्थिति १००–२०० की होने पर भी वहां पानी पिलाने का सरकार की ओर से कोई प्रबन्ध नहीं है; जिससे जनसाधारण को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है ?

(य) क्या सरकार इन कठिनाइयों को दूर करने का विचार कर रही हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि ना, तो क्यों ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) भीलवाड़ा में निम्नलिखित न्यायालय हैं (दीवानी व फौजदारी के):—

(१) डिस्ट्रिक्ट व सेशन न्यायालय।

(२) डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा का न्यायालय।

(३) सिविल जज का न्यायालय।

(४) मुन्सिफ का न्यायालय।

(५) सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट का न्यायालय।

(६) सिटी मजिस्ट्रेट का न्यायालय।

(७) एक्सट्रा मजिस्ट्रेट का न्यायालय (२)।

(ख) ये न्यायालय भिन्न २ स्थानों पर स्थित हैं।

(ग) वकीलों और मुकदमा करनेवालों के लिये बैठने के लिये दीवानी न्यायालयों में जो भीलवाड़ा में चार भिन्न २ स्थानों पर स्थित हैं पर्याप्त जगह हैं। जहां सिविल जज और मुन्सिफ के न्यायालय हैं उसी भवन में एक बार रूम भी है।

तथापि फौजदारी न्यायालयों में ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं है और मुकदमा करने वाले प्राय: चबूतरों पर बैठते हैं।

(घ) डिस्ट्रिक्ट और सेशन न्यायालय में वकीलों और मुकदमा करने वालों के लिये पानी का पृथक प्रबन्ध है, लेकिन सिविल जज और मुन्सिफ के न्यायालय में नहीं है। फौजदारी न्यायालय में भी ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं है।

श्री तेजमल बापना--क्या सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि पानी पिलाने वाले का इन्तजाम वहां पर किया जाए ?

श्री रामकिशोर व्यास--इसके लिये हाई कोर्ट को लिखा जा रहा है कि इसकी व्यवस्था करे।

श्री भैरू सिंह--क्या सरकार भीलवाड़ा के वकीलों के बैठने के लिये चटाइयों और बोरियों का इन्तजाम करेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास--यह तो वकीलों का काम है।

श्री गुरूदयालसिंह--क्या गंगानगर के लिये भी सरकार विचार करेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास--भीलवाड़े का प्रश्न था उसके लिये जवाब दिया गया है। जब गंगानगर का प्रश्न आयगा तो उसका भी जवाब दिया जायगा।

श्री खेतसिंह--क्या इस सवाल के पूछे जाने के बाद भी वकीलों को आम तौर पर चबूतरियों पर ही बैठना पड़ेगा।

श्री रामकिशोर व्यास--वहां पर बार रूम है।

प्रश्न संख्या ३७

श्री तेजमल बापना--क्या न्याय मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे --

(अ) भीलवाड़ा जिले में कितने मुन्सिफी व सिविल जजी न्यायालय है ?

(ब) क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि मांडलगढ़ व बनेड़ा के मुन्सिफ एक अर्से से अनुपस्थित हैं जब कि उनका पूरा अमला उनके इन्तजार में कोई काम नहीं होने से सुबह से शाम तक बेकार बैठा रहता है ?

(स) क्या इस अव्यवस्था से जनसाधारण को कोई कठिनाई नहीं हो रही है और उनके कई मुकदमें जरूरी होने पर भी महीनों से पड़े हुए हैं ?

(द) क्या सरकार की इस सम्बन्ध में कोई नई योजना है ? यदि है, तो वह क्या है ? और उसके कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है; ताकि अब जनसाधारण को कुछ तसल्ली हो सके ?

श्री रामकिशोर व्यास-(क) जिला भीलवाड़ा में सिविल जजों के दो न्यायालय हैं, एक भीलवाड़े में और दूसरा शाहपुर में और (१) भीलवाड़ा, (२) गंगापुर, (३) बनेड़ा तथा (४) मांडलगढ़ में मुन्सिफों के चार न्यायालय हैं।

(ख) भीलवाड़ा और बनेड़ा के मुन्सफी के न्यायालय हाई कोर्ट की आज्ञा से अस्थगित अवस्था में रखे हुए हैं। ऐसा इस कारण से किया गया है कि इन न्यायालयों में मुकद्दमों का काम अफसर को काम में व्यस्त रखने के लिये बहुत कम था। तथापि कुछ कर्मचारी रेकार्ड रखने तथा दावों के लिये वहां रख दिये गये हैं। न्यायालय के पुनर्संगठन के प्रश्न पर सरकार सजगता से विचार कर रही है और बहुत शीघ्र निर्णय किया जावेगा।

(ग) इन स्थानों से मुन्सिफ को हटाने के बाद दिक्कत दूर करने तथा मुकद्दमों में विलम्ब न होने देने के लिये हाई कोर्ट द्वारा डिस्ट्रिक्ट जज को जरूरी विचाराधीन मुकद्दमों की अधिकाधिक समीपस्थ सिविल न्यायालयों को हस्तान्तर करने की आज्ञा दी गई और अन्य मुकद्दमों को भी निकटस्थ न्यायालयों को हस्तान्तर करने का प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है।

(घ) हाई कोर्ट द्वारा सरकार को की गई सिफारिश में अन्तर्निहित समस्त बातों की जांच करने के बाद सरकार मांडलगढ़ और बनेड़ा के मुन्सफी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को भीलवाड़े के मुन्सिफी न्यायालय को हस्तांतर करने का विचार कर रही है। अन्तिम निर्णय नहीं है। इस विषय में सरकार तेजी के साथ कार्यवाही कर रही है और उसका परिणाम बहुत शीघ्र प्रकट होगा।

श्री तेजमल बापना—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कितने अर्से से माण्डलगढ़ नेड़ा की अदालतें बन्द हैं? क्या यह सत्य है कि दो महीनों से बन्द है?

श्री रामकिशोर व्यास—हां, करीब करीब दो महीने हो गये हैं।

श्री रामदयाल—सरकार इसके लिये अब क्या प्रबन्ध कर रही है?

श्री रामकिशोर व्यास—हाई कोर्ट में इसके लिये लिखा गया है।

एक सदस्य—इसका प्रबन्ध कितने समय में हो जावेगा?

श्री रामकिशोर व्यास—इसका प्रबन्ध जल्दी ही हो जाएगा।

एक सदस्य—क्या भीलवाड़े में से मजिस्ट्रेटी हटाने का प्रश्न सरकार के सामने है?

श्री रामकिशोर व्यास—नहीं।

एक सदस्य—बनेड़ा का।

श्री रामकिशोर व्यास—ऐसा कुछ है।

प्रश्न संख्या ७४

श्री तेजमल बापना--क्या न्यायालय मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे--

(अ) भीलवाड़े से जोधपुर आने जाने में जयपुर आने जाने तीन-चार गुना अधिक समय व खर्चा लगता है ?

(ब) क्या भीलवाड़ा जिला से कई रिप्रेजेन्टेशन सरकार के पास आये हैं कि भीलवाड़ा जिले का हाईकोर्ट का सम्बन्ध जयपुर बैन्च से कर दिया जाय और सरकार ने कोई आश्वासन भी दिया है कि ऐसा शीघ्र ही कर दिया जायगा ?

(स) क्या अब भी इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय होने में सरकार को कोई आपत्ति है ? यदि है, तो क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास--(अ) हां, यह सही है कि भीलवाड़ा से जोधपुर आने जाने में जयपुर आने जाने से चार गुना अधिक समय व खर्चा लगता है।

(ब) हां, ऐसे रिप्रेजेन्टेशन सरकार के पास आये हैं। सरकार ने ऐसा कोई आश्वाशन नहीं दिया है।

(स) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री तेजमल बापना--क्या राजस्थान सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय किया गया है कि राजस्थान हाई कोर्ट की एक बैन्च अजमेर में रक्खी जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास--अभी सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७५

श्री तेजमल बापना--क्या राजस्व मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे--

(अ) खेती की मशीनों व ट्रेक्टर खरीदने के लिये गत दो-तीन वर्षों में कितनी रकम सरकार ने दी है ?

(ब) जिन जिन लोगों को यह रकम ऋण दी गई है क्या उनसे सरकार ने यह बोण्ड लिखवाया है कि यह रकम इसी काम के लिये खर्च की जायगी ?

(स) क्या सरकार ने यह इतमिनान कर लिया है कि ऐसी रकम मशीनों व ट्रेक्टर खरीदने में ही लगाई गई है ?

(य) जिन जिन लोगों को यह ऋण दिया गया है उनमें से कितने जागीरदार हैं और कितने साधारण व्यक्ति हैं ?

(इ) क्या सरकार ऐसे लोगों के विरुद्ध कोई सख्त एक्शन ले रही है जिन्होंने ऋण लेकर मशीनें व ट्रेक्टर नहीं खरीदे और राजनैतिक व अन्य कामों में उसे खर्च कर दिया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(अ) गत दो वर्षों में निम्नलिखित तकावी ऋण ट्रेक्टर तथा पम्पों के खरीदनें के लिये दिया गया :-

१९५१-५२ :

पम्प......................रु० ३,८५,८८८

ट्रैक्टर....................रु० ७,५५,७१५

१९५२-५३, जनवरी १९५३ के अन्त तक:

पम्प......................रु० ४,३७,५१४

ट्रैक्टर....................रु० ३,१४,९७३

(ब) यह बौंड भरवा लिये गये हैं कि यह ऋण उसी कार्य में व्यय किया जावेगा जिसके लिये प्राप्त किया गया।

(स) जहां तक विदित हुआ है यह ऋण कृषि सम्बन्धी मशीनों के खरीदने में ही व्यय किये गये हैं।

(य) चूंकि नियमों में इस प्रकार का कोई भेद नहीं है, अतः ऐसा कोई अन्तर नहीं रखा गया है, न ऐसा कोई हिसाव रक्खा गया है। ऐसी सूची देना संभव नहीं है।

(इ) अभी तक ऐसे उदाहरण की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन सूचना मिलने पर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पिछले अधिवेशन में करीव ३० नाम मैंने ऐसे पेश किये थे जिनके विरुद्ध यह शिकायत थी कि उन्होंने इस तरह प्राप्त की हुई रकम को बेजा तरीके से दूसरे कामों में इस्तेमाल किया है, क्या इसकी जांच की गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हां, उनके बारे में जांच की गई है। एक दो जगह मालूम हुआ कि उन्होंने इस तरह प्राप्त की हुई रकम को कृषि सम्बन्धी कार्य में खर्च नहीं किया। अतः वह रकम वापिस जमा कर ली गई है और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऐसा विदित हुआ है कि पाली में एक सज्जन ने इस तरह का लोन लिया, पर ट्रेक्टर नहीं खरीदा और जब सरकार ने उनसे ट्रेक्टर मांगा तो उन्होंने दूसरा ट्रेक्टर बता दिया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ऐसी बात सरकार की जानकारी में नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या सरकार इसके बारे में जांच करने की कोशिश करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--हां, अवश्य।

श्री हरिकृष्ण व्यास--पिछले समय में जो इस सम्बन्ध में सूचनाएं दी गई उनमें से किन किन के बारे में जांच की गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--सब के बारे में जांच की गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या माननीय मंत्री महोदय उदाहरण के तौर पर यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कौन कौन हैं जिनके बारे में इस तरह की शिकायतें सही मालूम हुई हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--जैसे कि अलवर में एक श्री स्वामी थे जिनको कि लोन दिया गया। उन्होंने श्री खन्ना को वह जमीन बेच दी। वह जमीन बाद में मिलिटरी को दे दी गई। इस तरह जो ३१,०००) रुपये का लोन उनको दिया गया था वह वापिस लिया गया। वह रकम और कामों में खर्च नहीं हुई थी, इसलिये उसे वापिस जमा किया गया और इस मामले की जांच हो रही है।

श्री संतोषसिंह--इस तरह लोन पर एक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा कितनी रकम दी जाती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--आज कल १०००० रु० से ज्यादा रकम किसी को नहीं मिलती।

एक सदस्य--इस तरह लोन में दी गई रकम को कोई और दूसरे कामों में खर्च न कर सके, इसके लिये सरकार ने क्या इन्तजाम किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--नियम के अनुसार ऐसी रकम को कोई दूसरे काम में नहीं लगा सकता, अगर कोई लगाये तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायगी।

श्री रामरतन--एक व्यक्ति ने दो साल पहले एक ट्रेक्टर खरीदा। क्या उसे बाद में लोन की रकम मिल सकती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--पहले खरीदे हुए ट्रेक्टर पर तकावी नहीं दी जा सकती।

श्री अमरसिंह--क्या सरकार ने यह जानने की कोशिश की है कि इन ट्रेक्टरों की उपयोगिता साबित हुई है कि नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--इसकी उपयोगिता संसार भर में साबित है कि ट्रेक्टरों से जमीन में अच्छी काश्त हो सकती है। इसकी उपयोगिता तो मानी हुई चीज है।

श्री रघुराजसिंह--इस तरह लोन में एक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा कितनी रकम दी जा सकती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि १०,०००) रु० से ज्यादा रकम लोन में नहीं दी जा सकती।

श्री रघुराजसिंह—पहले पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये लोन में दिये गये हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पहले दी गई होगी, इस साल से १०,०००) रु० से ज्यादा किसी को नहीं दिये जाते।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जितने भी ट्रेक्टर्स हैं वे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ओर से रजिस्टर्ड हैं कि नहीं ? क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच की है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जब ट्रेक्टर्स रेल्वे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और रेल्वे की रसीद पेश की जाती है तभी लोन की रकम दी जाती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अब तक जिनको लोन्स दिये गये, उन्होंने ट्रेक्टर खरीदने पर ट्रेक्टर्स का रजिस्ट्रेशन कराया है कि नहीं ? इसकी जानकारी सरकार ने की है कि नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वे तो रूल्स के माफिक रजिस्टर किये ही जाते हैं।

श्री अमरसिंह—क्या गवर्नमेन्ट के पास भी ट्रेक्टर्स हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—गवर्नमेन्ट ट्रेक्टर्स नहीं रक्खा करती। गवर्नमेन्ट के पास ट्रेक्टर्स नहीं हैं।

श्री तेजमल बापना—मेरा खयाल है कि ऐसे करीब-करीब सभी लोन्स जागीरदारों को ही दिये गये हैं। क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे लोन्स किन किन को दिये गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—लिस्ट मैंने पहले सेशन में दी थी। मैंने अभी अभी अर्ज किया कि इस मामले में जागीरदारों और अन्य व्यक्तियों के बीच भेद नहीं किया जा सकता। अधिक अन्न उपजाने के लिये ऐसे लोन्स दिये जाते हैं, जो कोई भी अधिक अन्न उपजाना चाहे उसको ऐसे लोन्स दिये जाते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इन लोन्स की रकम को वापिस वसूल करने का क्या उसूल है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—१० साल में यह लोन की रकम वापिस लौटनी चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस तरह लोन में दी हुई रकम में से सरकार ने अब तक कितना वसूल किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री तेजमल बापना—क्या इसके लिये यह जरूरी है कि आधा रुपया इस तरह के लोन का प्रार्थी खुद लगाये और आधा रुपया सरकार दे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हां।

श्री तेजमल बापना—ऐसा देखा गया है कि २५ हजार रुपये का जो लोन दिया जाता है उसमें से आधा रुपया ट्रेक्टर खरीदने में खर्च कर दिया जाता है और दस-पन्द्रह हजार रुपया बचा लिया जाता है; जिसे और किसी कार्य में खर्च किया जाता है

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पहले पच्चीस हजार का लोन दिया जाता होगा पर अब तो दस हजार रुपये का ही लोन दिया जाता है।

प्रश्न संख्या ७६

श्री भैरूंसिंह—क्या कृषि मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे—

(अ) क्या सरकार पशु-सुधार में दिलचस्पी रखती है?

(ख) यदि "अ" का उत्तर "हां" में है तो सरकार ने इस ओर क्या कार्य किये हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(अ) हां, पशु सुधार में दिलचस्पी रखती है।

(ख) सरकार ने चार पशु नस्ल सुधार केन्द्र, दो कुक्कुटशाला और तीन भेड़ नस्ल सुधारा केन्द्र, खोल रखे हैं। इसके अलावा अन्य स्थानों पर सांड, पाडे केन्द्र भी हैं जहां से जनता को सांड व पाड की मदद, बिना किसी कीमत के दी जाती है और गायों व भैंसों को ब्रीड कराया जाता है। कोटा केन्द्र पर पशु प्रजनन का कार्य भी किया जाता है और इसी सम्बन्ध में अलवर, बस्सी और नागौर में कार्य शुरू करने की व्यवस्था जारी है।

श्री खेतसिंह—सरकार ने कुक्कुटशालायें कहां कहां खोल रखी हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जयपुर और उदयपुर में।

श्री अमरसिंह—इन कुक्कुटशालाओं में कितने अंडे रोज होते हैं?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर, ऑर्डर! नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७७

श्री भैरूंसिंह—क्या कृषि मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे—

(ब) राजस्थान में पशु मेले कहां कहां भरते हैं?

(ख) पशु मेलों से सरकार को क्या आय होती है?

(स) क्या सरकार ऐसे मेले अन्य उचित स्थानों पर भराये जाने में सहयोग एवं बढ़ावा देगी?

(ड) यदि "स" का उत्तर हां में है तो पाली डिविजन में, जहां ऐसा कोई मेला नहीं भरता है, क्या सरकार सुविधाजनक स्थान में ऐसे मेले की योजना करेगी जिससे जनता को अपने

Page No.28

पशु बेचने के हेतु दूरस्थ मेलों में न जाना पड़े और सरकारी आय में भी काफी वृद्धि हो जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया–(अ) राजस्थान के प्रसिद्ध मेले नागौर, तिलवाड़ा, परबतसर, गोगामेरी, भरतपुर में होते हैं। छोटे छोटे मेले जिनकी कि सूची संलग्न है, सभी डिविजनों में आयोजित कियेजाते हैं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

(ब) सरकार मेले में आनेवाले सभी पशुओं पर मेले की फीस वसूल करती है और जो पशु राजस्थान से बाहर ले जाये जाते हैं उन पर कभी कन्सेशन रेट से चुंगी भी ली जाती है। परबतसर, तिलवाड़ और नागौर मेलों में करीब ५ लाख रुपयों की और बाकी मेलों से करीब ७ लाख रुपयों की आमदनी होती है।

(स) सरकार ऐसे मेलों के पक्ष में है और इस संबन्ध में एक योजना सरकार के विचाराधीन है।

(ड) उपरोक्त योजना में पाली जिले के लिये सरकार मुनासिब गौर करेगी।

श्री संतोषसिंह–नागौर में जो पशुमेला होता है उससे कुल आमदनी कितनी होती है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)–उससे आमदनी अलग अलग विभागों को अलग अलग होती है। कुल आमदनी मैंने बतलाई है।

श्री मोतीलाल–राजस्थान में जो मेले होते हैं उनमें से खरीद कर जिन पशुओं को राजस्थान में ही, जैसे जोधपुर, किशनगढ़ आदि स्थानों को ले जाते हैं, उनसे क्या अलग अलग स्थानों के लिये अलग अलग टैक्स लिया जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया–उन पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है।

श्री मोतीलाल–परबतसर से किशनगढ़ जो पशु लेजाये गये थे उनमें बैलों पर १५) रु०, भेंड़ों पर ७) रु. और गधों पर १८) रु. लिये गये थे जबकि जो पशु जयपुर, जोधपुर, उदयपुर आदि स्थानों को लेजाये गये थे उन पर केवल २) रु० लिये गये थे, ऐसा क्यों हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया–किशनगढ़ कस्टम की दृष्टि से अलग इलाका है। इस कारण वहां से अधिक ड्यूटी ली जाती है।

श्री जसवन्तसिंह–क्या बीकानेर डिविजन में बड़ी तादाद में पशुमेला नहीं होता ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया–यह गोगामेड़ी में शामिल है और वहां पशु मेला होता है।

श्री भैरूंसिंह–किशनगढ़ को राजस्थान के दूसरे डिविजनों से कस्टम की दृष्टि से अलग रखा गया है; इसे इस प्रकार कब तक रखा जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया–यह पशु मेलों से संबन्धित प्रश्न नहीं है ।

श्रीगंगासिंह–नागोर में पशु मेला..........

श्री अध्यक्ष–ऑर्डर ! ऑर्डर !

श्री खेतानसिंह–जोधपुर डिविजन में रामदेवरा का मेला मशहूर है क्या सरकार वहां पर पशु मेला की व्यवस्था करेगी ।

श्री राजा मानसिंह–On a point of order, Sir, according to Rule 37 of the Rules of Procedure, unless the Speaker otherwise directs, the first hour of every meeting shall be given to asking of questions and for their answers. May I enquire whether you have directed otherwise, Sir ?

श्री अध्यक्ष–We are just going to close the questions.

श्री राजा मानसिंह–But we have already superseded the other business by about 15 minutes. May I take it that the House will continue to sit after the usual hours today, if necessary ?

श्री अध्यक्ष–Yes.

श्री राजा मानसिंह–Thank you.

श्री अध्यक्ष–ऑर्डर ऑर्डर ! नेक्स्ट क्वेश्चन ।

प्रश्न संख्या ७८

श्री भैरूंसिंह–क्या कृषि मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे :–

(अ) विभिन्न मेलों में आयोजित पशु प्रतियोगिता में गाय, बैल, घोड़े आदि के लिये जो इनाम रखे जाते हैं क्या सरकार पशु मालिकों के श्रम का ध्यान रखते हुए, उन्हें काफी समझती है ?

(ब) यदि 'अ' का उत्तर हां में है तो क्या सरकार ऐसी प्रतियोगिताओं को बढावा देने के लिये कुछ अधिक इनामों की योजना करेगी ?

(स) क्या सरकार समस्त राजस्थान के लिये पशु प्रतियोगिता की व्यवस्था किसी उचित स्थान पर करना पसन्द करेगी ताकि जनता को उत्साह मिले ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इनाम अच्छी नस्ल के मवेशियों के मालिकों को उन्हें उत्साह दिलाने के लिये दिये जाते हैं, न कि उनको किसी मुआवजे के रूप में ।

(ब) उत्तर की आवश्यकता नहीं ।

(स) भिन्न भिन्न नस्ल को सुधारने में उत्साह देने के लिये विभिन्न स्थानों में मेले आयोजित किये जाते हैं । किसी एक स्थान पर मेला आयोजित करने में बड़ा व्यय होगा और काफी समय भी नष्ट होगा । केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त और किसी राज्य में ऐसे मेले नहीं होते हैं ।

श्री भैरोंसिंह–क्या घोड़े जयपुर में..........

कुछ माननीय सदस्य–सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री भैरोंसिंह––जयपुर के पास में कहीं घोड़ों का शो रखा है या नहीं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया––इसकी मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह—क्या सरकार........

अध्यक्ष महोदय––ओर्डर, ओर्डर !

अल्पकाल–सूचना प्रश्नोत्तर

श्री एच० के० व्यास–Will the Home Minister be pleased to answer :—

(*a*) Is it a fact that the students of the Maharaja High School, Jaipur were assaulted by the Police in the morning of the 10th February, 1953, as they came out of the School?

(*b*) What action has the Government taken against persons responsible for such conduct?

श्री टीकाराम पालीवाल (गृह मंत्री)—महाराजा हाई स्कूल, जयपुर, के विद्यार्थियों के साथ कोई मारपिटाई नहीं की गई। एसॉल्ट एक लीगल टर्म है; बिना हाथ लगाऐ भी माना जा सकता है। हुआ यह था कि उस दिन श्री गोपालास्वामी आयंगर की मृत्यु के कारण स्कूल जल्दी बंद कर दिया गया था और जब कि किशनगढ मिल के कुछ मजदूर स्लोगन्स लगा रहे थे और उसी स्कूल के पास खड़े हुए थे उसी समय विद्यार्थी छुट्टी होने के कारण स्कूल से बाहर आ गये और वे भी स्लोगन्स लगाने लगे। वहां पर पास ही में पुलिस की लोरी पड़ी हुई थी उसके शीशे आदि तोड डाले। उसी समय स्कूल के हैडमास्टर को बुलाया गया और लड़कों को समझा बुझाकर वापिस भेज दिया गया। कोई मारपिटाई नहीं की गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास–क्या सरकार को विदित है कि जब मारपिटाई हुई थी और लाठियें चलीं थीं और लड़कों को बाल नोंच कर हटाया जा रहा था उस समय इस सदन के कुछ सदस्य वहां पर मोजूद थे जो चश्मदीद गवाह हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल––जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, यह बात गलत है।

श्री हरिकृष्ण व्यास–क्या सरकार ने यह जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि मारपिटाई होने के पहले मोटर के शीशे टूटे या बाद में ।

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं कह रहा हूँ कि मारपिटाई हुई ही नहीं ।

श्री जवानसिंह––कानून की दृष्टि से कुछ भी हो; पर क्या सरकार इस घटना को एसॉल्ट मानती है या नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल––कानून की दृष्टि से एसॉल्ट बड़ी टेक्निकल टर्म है ।

श्री जवानसिंह—क्या आप इसे एसॉल्ट मानते हैं या नहीं; मेरा प्रश्न साफ है इसमें कोई टेक्निकेलिटि नहीं है।

श्री टीकाराम पालीवाल—सरकार के सामने ऐसा कोई वाक़यात नहीं है जिससे कि इसे एसॉल्ट माना जाय।

श्री जसवन्तसिंह—जब लोरी के कांच तोड़े गये उस समय क्या पुलिस चुपचाप तमाशा देखती रही या उसने कुछ कार्यवाही की।

श्री टीकाराम पालीवाल—नहीं, नहीं, विद्यार्थियों में से कुछ को समझा कर वापिस भेजा गया और कुछ को वहां से हटा दिया गया।

श्री जसवन्तसिंह—क्या हम यह समझें कि मजदूरों और विद्यार्थियों में से किसी के भी चोट नहीं लगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—नहीं, किसी के चोट नहीं आई।

श्री सन्तोषसिंह—यह परसों की बात है। मैं भी..........

श्री अध्यक्ष—आप सवाल पूछिये इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है।

श्री सन्तोषसिंह—क्या विद्यार्थियों को लाठियों से नहीं हटाया गया ? यह हमने आंखों से देखा है।

श्री टीकाराम पालीवाल—नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने इसके बारे में कोई जांच करवाई है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—सरकार ने अधिकारियों से जांच की है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय सदस्य, जो वहां मौजूद थे वे झूठ कह रहे हैं और आपके अधिकारी सच्च कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर, ऑर्डर !

किशनगढ़ मिल की तालाबन्दी के सम्बन्ध में स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—मेरे पास दो स्थगन प्रस्ताव आये हैं एक तो श्री भैरोंसिंह का और दूसरा श्री हरिकृष्ण व्यास का। श्री भैरूंसिंह का स्थगन प्रस्ताव इस प्रकार है :

"किशनगढ मिल की तालाबन्दी के फलस्वरूप होने वाले प्रदर्शनों में कुछ स्वार्थी व्यक्तियों के भड़काये जाने के कारण मजदूरों द्वारा कानून को हाथ में लेने की कार्यवाहियों को सरकार की ढिलमिल व उदासीन नीति के कारण नहीं रोका जा सका है; जिसके फलस्वरूप ४ दिन से

[श्री अध्यक्ष]

जयपुर शहर की कानून व व्यवस्था की स्थिति अति गंभीर बन गई है और निकट भविष्य में ही भयंकर परिणाम निकलने की आशंका उत्पन्न हो गई है। इसलिये इस सदन की आज की कार्यवाही स्थगित की जाकर इस विषय पर सदन में विचार करना अत्यन्त आवश्यक है"

क्या इसके बारे में नोटिस के विषय में कुछ कहना है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—श्री भैंरोंसिंहजी ने मुझे नोटिस नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष—अतः इस स्थगन प्रस्ताव को मंजूर करने का कोई प्रश्न नहीं रह जाता ।

(विराम)

दूसरा स्थगन प्रस्ताव जो इस प्रकार है, श्री हरिकृष्ण व्यास का है—"That this House do now adjourn to discuss the illegal and forcible removal of about 100 workers of Kishangarh from Jaipur to Tonk in early hours of the morning of the 11th February by bundling them in police lorries".

इसका दूसरा नोटिस आपको (श्री टीकाराम पालीवाल उप-मुख्य मंत्री को संबोधित करते हुए) मिला होगा ।

श्री टीकाराम पालीवाल—It was at very odd hours, when I received notice of this. All the same I received it.

श्री अध्यक्ष—What have you to say about leave to be given for this adjournment motion ?

श्री टीकाराम पालीवाल—I think the question is being raised again and again, in spite of the fact that the matter is sub-judice. I do not see any reason to allow this. But if the House deems fit it may be discussed.

श्री अध्यक्ष—The question is about the adjournment motion that has come today that "This House do now adjourn to discuss the illegal and forcible removal of about 100 workers of Kishangarh from Jaipur to Tonk in the early hours of the morning of the 11th February by bundling them in police lorries".

आपको इस प्रस्ताव के संबन्ध में क्या कहना है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—I think it is not a matter of such importance as the House should adjourn to discuss a motion which is being brought on one pretext or the other.

श्री एच० के० व्यास—Mr. Speaker, Sir. In the first instance, the main point is whether the matter is of 'definite' or not ? Since the Hon'ble member has not contradicted the fact I submit that it is a definite matter and the only objection that he has taken is that the matter is not of such urgent public importance. In this connection I submit that he can refer to page 453 of May's Parliamentary Practice. In the middle of the page it has been said that in almost all the rulings it has been held that generally, and almost invariably, where the question is whether such matter is of public importance or not, the question has been left for the House to consider. I do not think the opinion of the House has been considered at all in this matter. Since the only objection that the Home Minister has raised is that he does not consider the matter to be of sufficient public importance. My submission is let this question be left to the opinion of the House and if the House considers the matter to be of sufficient public importance it may grant leave and if it does not consider it to be of sufficient public importance it will refuse to grant leave. Therefore on this point also I think the motion is admissible. In the end I would only submit that whatever has happend is not an ordinary thing. It is a most objectionable occurrence where people may be arrested and after being arrested they are unscrupulously removed from one place to another and left in jungles, without any water or food, where the maintenance of their life may become impossible. I submit, Sir, that it is a question of the most extreme serious importance. It is a question not only of the fundamental rights of a citizen of India it is a question where his life is involved. Tomorrow in the jungle he may be a subject matter of wild beasts or he may starve or he may die for want of food and cloth. I think the House should discuss this motion and I request permission to move this motion.

श्री बी० एन० जोशी—The matter regarding which the motion is sought to be made is an ordinary occurrence. It is stated that some people were arrested by the Police. Now the rules require the matter regarding which the adjournment motion is to be made to be of definite urgent public importance. If we turn to Parliamentary decisions on the point of over a century it would be well established that the only matters which are of the nature of provincial or national disaster or other similar serious occurrence, are sufficient for the grant of an adjournment motion. It would be impossible for any legislature to function if adjournment motions are brought in this way because such matter may be pointed out on every day.

Page No.34

[श्री बी. एन. जोशी]

I have just stated that this particular question has been raised before the House in one form or another again and again. Since when it came up yesterday it was not allowed, now my Hon'ble friend wishes to bring the same matter in some other altered form. The time of the House is so precious that such matters of trifling importance should not be discussed. If such matters are allowed it would virtually be impossible for the House to discuss other important things. Therefore I submit that permission should not be allowed for this motion to be made.

श्री अध्यक्ष—I now want from the Hon'ble Members of the Treasury Benches about the incident which has been referred to in the adjournment motion.

श्री टीकाराम पालीवाल–Sir. I have only to submit that I received the notice very late at night and it was not possible for me to collect all the information. Yet whatever I have been able to know is this that some of those labourers who had once created trouble in Kishangarh........

(श्री अध्यक्ष द्वारा घंटी बजाना)

श्री अध्यक्ष–I do not want in detail. I wanted to know only whether some incident on the 11th February took place.

श्री टीकाराम पालीवाल–No incident. People who were creating trouble were taken out of the city.

श्री अध्यक्ष–So I accord my sanction to the adjournment motion. For this now I will draw attention of the House to rule 73 (2). Because the Treasury Benches object to it, I will request the Members who are in favour of the motion to rise in their places.

(केवल श्री एच. के. व्यास अपने आसन से उठे)

श्री अध्यक्ष–The leave is refused.

श्री एच० के० व्यास–I claim a division.

श्री अध्यक्ष–It is not necessary to have a division. It is not your right, I can see the difference and my decision has been given.

We now come to the debate on H. H. the Rajpramukh's Address.

श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष–Shri Man Singh to please continue. Before, however, he continues, I want to know whether the House wants the debate to be continued on the next day.

श्री जसवन्तसिंह–Many Members would like to speak.

श्री अध्यक्ष–What has the Leader of the House to say ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)–If it is prolonged the next day I will request that the Opposition speeches ought to be finished today and I will give my reply the next day.

श्री अध्यक्ष–But I want to know how many members of the Treasury Benches would like to speak.

श्री जयनारायण व्यास–Two to three.

श्री अध्यक्ष–Then their names should be given to me with an indication of how much time they will take.

श्री जसवन्तसिंह–There was no time-limit prescribed for this yesterday and it should not be done now.

श्री अध्यक्ष–I want to fix up the time allowed for the speakers so that the debate might be regulated.

श्री जयनारायण व्यास–The Deputy Chief Minister, the Revenue Minister and the Minister for Local Self-Government will like to speak.

श्री अध्यक्ष–The total time which they will take may be indicated.

श्री जयनारायण व्यास–They will finish in 2 hours' time.

श्री अध्यक्ष–And all of them will speak on the adjourned day, I mean, the next sitting day, or today ?

श्री जसवन्तसिंह–Next day.

Page No.36

श्री जयनारायण व्यास–Sir, out of the speakers, one or two may speak today, and if you, allow Sir. I will speak on the next day. I leave the matter to your discretion.

श्री जसवन्तसिंह–My submission is that the next working day should be devoted wholly for the purpose of this debate and the legislative work of that day may be squeesed for the following day and there will be no extension.

श्री अध्यक्ष–That can also be possible.

श्री जसवन्तसिंह–I would submit that there are many members to speak.

श्री अध्यक्ष–Names. Stray debatee will not go.

श्री जसवन्तसिंह–I will give.

श्री अध्यक्ष–Names from both the parties may be given.

श्री मानसिंह महार (जमवा रामगढ़)––में श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण के सिलसिले में राजस्थान सरकार के कई विभागों के बारे में कह चुका हूं ।

इसके बाद अभिभाषण में कुछ बातें शिक्षा के बारे में कही गई हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह राजस्थान का दुर्भाग्य है कि शिक्षा विभाग भी ऐसे हाथों में है कि जिसकी वजह से राजस्थान की शिक्षा उन्नति करने के बजाय गड्ढे में जा रही है । शिक्षा विभाग में जातिवाद का बोलवाला है, शिक्षा विभाग में अन्याय और पक्षपात का बोलबाला है, शिक्षा विभाग की ऐसी हालत है कि जो शिक्षक हैं वे बहुत ही दुखी हैं । शिक्षकों को पहले ही से बहुत कम तनख्वाह मिलती थी । इसके अलावा भी हमारे शिक्षा विभाग की धांधली की वजह से अकाउन्टेन्ट जनरल ने जो शिक्षक को पांच रुपया माहवार दिया था और जो यह तनख्वाह आठ महीने से ले रहे थे वह उनसे वापस लेने की हिदायत कर दी गई है । इसकी वजह से राजस्थान के आधे से ज्यादा शिक्षकों को एक महीने का वेतन, जो पहले ले लिया था, वापिस जमा कराना पड़ रहा है ।

अध्यक्षजी, आपके जरिये में इस सदन से यह निवेदन करूंगा कि जो शिक्षक पचास–पचास रुपये माहवार पाता है उस गरीब को अगर किसी महीने की तनख्वाह नही मिलती है तो अपने बालबच्चों का पालन पोषण वह कैसे करेगा ? ऐसी मजबूरी की स्थिति में हमारे शिक्षक को ट्यूशनें करनी पड़ती हैं । हर प्रकार से कोशिश करते हैं कि लड़के किसी तरह से रुपये पैसे की मदद दें । और इस तरह शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है । शिक्षा के बाद में, अध्यक्ष महोदय, एक ऐसे विभाग की ओर संकेत करूंगा जिसे हम जयपुर की लेजिस्लेटिव कौंसिल में पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेन्ट कहा करते थे । अध्यक्ष महोदय, परसों एक सवाल हमने यह पूछा था कि कितने कन्ट्राक्टरर्स ऐसे हैं जिनको उनके ठेकों की रकम से ज्यादा

[श्री मानसिंह महार]

रकम दे दी गई है । पर दुख की बात है कि इस जवाब के देने में चश्मपोशी की गई । वह जवाब हमें नहीं दिया गया ।

इस डिपार्टमेन्ट में कैसा कैसा अन्याय हो रहा है यह मैं बताऊंगा । बिजली के बारे में मेरे एक दोस्त ने पहले ही बता दिया है कि काम करते करते ब्लेक आउट हो जाता है । मैं मानता हूं, भारतवर्ष पर अगर हवाई हमला हुआ तो जयपुर के नागरिक ब्लेक आउट में काफी होशियार निकलेंगे लेकिन फिर भी यह ब्लेक आउट होते रहने के बाद भी यह कहना कि स्थिति सुधर गई है, कहना बन्द नहीं हुआ है ।

वाटर वर्क्स के बारे में निवेदन करूंगा । उस विभाग की तो ऐसी खराब हालत है कि मैं कहता हूं कि उसका तो इस सदन में नाम भी नहीं लेना चाहिये कि उस विभाग में क्या हो रहा है । मैं जयपुर की वास्तविक स्थिति बताता हूं । जिन लोगों के १८–१८ महीनों से मीटर खराब हुए पड़े हैं, इसका कारण यह है कि उन्होंने इस विभाग के कर्मचारियों को रिश्वत के पैसे नहीं दिये । १८ महीनों के बाद उनसे कहा गया कि तुम्हारा तो मीटर चालू है और उन्होंने १८ महीनों तक जो कुछ भी रकम वसूल कर ली उसके अलावा किसी को १००) रुपये किसी को १५०) और किसी को २००) रुपये का बिल भेज दिया । यह वास्तविकता है । अगर मन्त्री महोदय चाहें तो इस तरह की सैंकड़ों मिसालें पेश कर सकता हूं और प्रमाण में कागजात भी पेश कर सकता हूं । तो मैं बता रहा हूं, चेलेन्ज देकर कहना चाहता हूं कि अगर यह विभाग किसी दूसरे आदमी के हाथ में दिया जावे तो यह हर्गिज नहीं हो सकेगा कि वाटर वर्क्स नुकसान में चले । पर दुख है कि जयपुर का वाटरवर्क्स नुकसान में चलता है और देखने के लिए अगर कोई मांग करता है तो बैलेन्स करके बताया जाता है ।

वह बैलेन्स किस तरह किया जाता है, यह भी मैं बता दूं । जयपुर म्युनिसिपैलिटी को जो पानी दिया जाता है, जिसका कि म्युनिसिपैलिटी एक पैसा भी नहीं देती, उसका पैसा बजट में जोड़ लिया जाता है । साल दर साल इसी तरह बैलेन्स कर दिया जाता है । मेरा कहना है कि म्युनिसिपैलिटी जो पानी खर्च करती है और उस पर वाकई वाटरवर्क्स का हक है तो आज दस वर्ष होने आये क्यों नहीं सरकार ने यह रकम म्युनिसिपैलिटी से वसूल की ?

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं ट्रांसपोर्ट के महकमे की तरफ सदन का ध्यान दिलाऊंगा । यह महकमा जो है वह तो आज सब से मोटी मुर्गी है । इसके अन्दर रिश्वतखोरी का बाजार जितना गर्म है वह कहीं नहीं है । पहले लोरियों, मोटर गाडियों आदि के लाइसेंस ओपन बिड से होते थे और इस से सरकार को लाखों रुपये की आमदनी भी होती थी । आज ओपन बिड बन्द कर लिये जाने से सरकार को लाखों रुपये की आमदनी का नुकसान हो रहा है । इसके बावजूद भी नये मोटर वैहिकल एक्ट के द्वारा लॉरियों के परमिट अपने चन्द स्वार्थी आदमियों के जरिये देने शुरू कर दिये । अफसोस इस बात का होता है कि जो पैसा देता है उसे अक्सर परमिट मिल जाता है और जो इस बात में असफल होता है उनको नहीं मिलता, ऐसा क्यों ।

[श्री मानसिंह महार]

मैं आपको और माननीय मन्त्री को यह बता देना चाहता हूँ कि ट्रान्सपोर्ट के महकमे में कुछ ऐसे आदमियों के पास परमिट हैं जिनके पास लॉरी नहीं है ।

ट्रान्सपोर्ट महकमा आज एक ऐसा महकमा है कि जिसमें एक तरह से दूसरे प्रकार की रिश्वत चल रही है । आज जिनको लॉरी चलाने का परमिट दिया जा रहा है उनमें से ऐसे सैकडों व्यक्ति हैं जिनके पास लॉरी नहीं है और वे अपनी लाइन बेच कर १००) रुपया मासिक कमाते हैं । मैं, माननीय मंत्री महोदय को चेलेन्ज करता हूं और आशा है कि वे मेरे चेलेन्ज को स्वीकार करेंगे। मैं उनके सामने इस प्रकार की कई मिसालें रख सकता हूं । मेरे पास मिसालें रखी हुई हैं । मैं इस बारे में हर सेशन में कहता आया हूं और ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर को बताता आया हूं, ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी तक को कह चुका हूं । इधर एक तरफ तो राजप्रमुख महोदय अपने भाषण में फरमाते हैं कि आप असहयोग की भावना छोडें और सहयोग दें, लेकिन जब हम सहयोग देने के लिये तैयार हैं तो हमारे सहयोग को इस तरह ठुकराया जाता है । ऐसी हालत में आप सोच सकते हैं कि हमसे आप किस तरह का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं; जब कि आप हमारी कही हुई बातों पर ध्यान देना ही उचित नहीं समझते ।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के राजप्रमुख महोदय के भाषण में जो सब से बडी कमी महसूस हो रही है वह यह कि राजस्थान में रिश्वतखोरी इतनी बढ़ रही है कि उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं फरमाया। यह बीमारी जिस प्रकार भारतवर्ष में सब से बडी बीमारी टी. बी. की है उसी प्रकार राजस्थान में रिश्वत खोरी की बीमारी राजस्थान सरकार की सब से बडी बीमारी है । राजस्थान सरकार के मंत्री महोदय अपनी कुर्सी कायम रखने के लिए, वोट हासिल करने के लिए जितनी दौड़ धूप करते हैं यदि वे उतनी ही दौड़ धूप इस रिश्वतखोरी की बीमारी को राजस्थान से मिटाने के लिये करें तो यह बीमारी बहुत जल्दी मिट सकती है ।

मैं आपको अपने सहयोग की मिसाल देता हूं । एक कर्मचारी जो जयपुर हाईकोर्ट में कर्मचारी थे। उनको जयपुर के भूतपूर्व चीफ जस्टिस श्री शीतलाप्रसाद वाजपेयी ने डिसमिस कर दिया था और सरकार को धोखा देकर वे रूरल डेवलपमेन्ट में नौकर हो गये और बाद में उनका नाम नायब तहसीलदारों की केडर में आ गया । मैं उनकी जयपुर हाईकोर्ट द्वारा जारी की गई परची को लेकर कोऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट के मंत्री महोदय की खिदमत में हाजिर हुआ । मुझे इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ नहीं था। फिर भी मैंने अपना कर्तव्य समझ कर कि यह रिश्वतखोरी है इसलिए मैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट के मंत्री महोदय के पास गया और कहा कि यह मेरे पास परची है और यह जयपुर सरकार का ऑर्डर है, इसके मुताबिक आप एक्शन लीजिये । मेरा दुर्भाग्य है कि वे कागज मेरे माननीय मंत्री महोदय ने ले लिये और कहा कि आगे बात करूंगा । लेकिन आज तक उसके अनुसार एक्शन नहीं लिया गया और कह दिया कि सेक्रेटरी के पास भेज दिया गया । यह एक नमूना है कि किस प्रकार हमारी सरकार रिश्वतखोरी और रिश्वतखोरों को बढ़ावा दे रही है । जब मैंने उनको ज्यादा दबाया तो वे कहने लगे कि यह आर्डर सन् १९३२ का है । इतने अर्से में उसने अपने स्वभाव में परिवर्तन कर लिया होगा । २० वर्ष में तो

[श्री मानसिंह महार]

मनुष्य का स्वभाव काफी बदल गया होगा, अपनी आदतें सुधार ली होंगी। यह मैं वास्तविक तथ्य बता रहा हूं। उसके बाद मैंने उसी आदमी के दो साल पहले कारनामें बताये और एक शिकायती चिट्ठा पेश किया। तब उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जांच करेंगे। तो मेरा यह निवेदन है कि २० साल पहले के जितने भी डिसमिस्ड कर्मचारी हैं उन सब को वापस कार्य पर क्यों नहीं लगाया जाता है। लेकिन इससे यह साफ झलकता है कि जिनके फेवर में मंत्री लोग होते हैं, जिनमें वे खास प्रकार की दिलचस्पी रखते हैं वे चाहे डिसमिस्ड हों या रिश्वतखोर; उनको वापस ले लिया जाता है। आज जनतंत्र का युग है; मंत्री पद केवल एक्सपेरिमेन्ट की जगह नहीं। मंत्री पद पर बैठ कर वे सोचते हैं कि आज यह उनके लिये एक्सपेरिमेन्ट का जमाना है। यदि उन्हें एक्सपेरिमेन्ट ही करना है तो वे डेप्युटी मिनिस्टर का पद संभाल कर एक्सपेरिमेन्ट कर सकते हैं; मंत्री पद पर एक्सपेरिमेन्ट नहीं किया जाता।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री मानसिंह—अध्यक्ष महोदय, जब कि एक आदमी को जिसका फॉलोअर एक ही है एक घंटे का समय दे सकते हैं, तो मुझे जिसके फोलोअर चार चार मौजूद है उसको इतना कम समय नहीं दिया जाना चाहिये।

(हंसी)

श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण के विषय में मैं एक बात और बतलाना चाहता हूं जो यह है कि राजस्थान में हर साल वन-महोत्सव मनाये जाते हैं। मुझे बड़ा दुःख होता है जब मैं कहीं जाता हूं और सुनता हूं कि माननीय मंत्री महोदय एक बार आते हैं और पौधा लगाकर चले जाते हैं तो दस पन्द्रह दिन तो उसकी देख-भाल होती है और बाद में यह होता है कि वह पौधा बिना सम्हाल के नष्ट होजाता है। इस तरह से लाखों रुपया हमारी राजस्थान सरकार का बरबाद होता है। वह रुपया अकाल के नाम से या शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को मदद देने के नाम से या जागीरदार लोगों के हकों की सुरक्षा के नाम से सरकारी अफसरों की गाडियों में बरबाद किया जा रहा है। यह मैं निश्चित तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, अध्यक्षजी। मैं आपके जरिये वन मंत्री महोदय से अर्ज करना चाहता हूं कि वे इस प्रकार वन-महोत्सव में जनता के पैसे की बरबादी न करें। वे, हमारे राजस्थान में जितने वन मौजूद हैं जिनको काटा जा रहा है उसकी हिफाजत में खर्च करने का इन्तजाम करें तो प्रान्त का बहुत भला हो सकता है।

अब मैं राजस्थान की खाद्य स्थिति के बारे में दो चार शब्द सदन के सामने रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष, यह हमारा सौभाग्य है कि इन दो वर्षों में हमारे प्रान्त की खाद्य स्थिति सुधरी जरूर है। फिर भी मैं यह कहूंगा कि पहले जब खाद्य स्थिति विकट थी तो नाज पर कन्ट्रोल था। उस वक्त तो इस डिपार्टमैन्ट में बदइन्तजामी थी तो उसे सहन कर सकते थे। किन्तु जब कि यह विभाग मृतप्राय है तो अब भी इसमें बदइन्तजामी हो रही है। नाज की बोरियों में कंकर पत्थर भरे जाते हैं, बोरियों का कोई हिसाब नहीं रहता, यह सरकार के लिये शोभाजनक चीज नहीं है। इसके अलावा मैं एक बात पिछले दो सेशनों से कहता आ रहा हूं उसे उल्टा झूठा साबित किया जा रहा है मैं स्पष्ट

[श्री मानसिंह महार]

कह देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि डूंगरपुर और बांसवाडा में पिछली दफा काफी मात्रा में बोने के लिए चना भेजा गया लेकिन वह आज वहां पड़ा सड़ रहा है; क्योंकि वहां बरसा न होने से वह बोया नहीं गया; फिर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। वहां की जमीन सूखी पड़ी है तो चना किस प्रकार पैदा होगा। किन्तु वह क्षेत्र एक खास प्रकार का होने से चना वहां पड़ा पड़ा सड़ रहा है। जमीन में चना बोया ही नहीं गया। यह है वास्तविक स्थिति।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं एग्रिकल्चर के बारे में थोडी सी बात कहूंगा।.....(समय-समाप्ति सूचक घन्टी) एग्रीकल्चर में एक बात जो दुख के साथ देखते हैं वह यह है कि आज टिन शीट्स पर कन्ट्रोल है। जो टिन शीट्स लेने जाते हैं उन गरीबों को उन टिन शीट्स के साथ २०) रु. बोरी के हिसाब से खाद दी जाती है। वह काश्तकार उसका उपयोग नहीं जानते हैं, न उसका उनको उपयोग बतलाया जाता है, और उनको यह बोरी खरीदने के लिये मजबूर किया जाता है। यह सरकार की तरफ से ब्लेकमार्केट है। टिन शीट्स लेते हैं तो काश्तकार को वह २०) रु. बोरी वाली खाद लेनी पडती है। उस खाद की बोरी को वह काश्तकार सिर पर लादकर जयपुर के बाजार में अगर वह खाद १००) रु. का होता है और उसका कोई ५०) रु० भी दे दे तो वह उसे दे देता है। इस तरह से वे टिन शीट्स उसका ब्लेकमार्केट रेट से पड़ जाते हैं। अफसोस तो मुझे जरूर है कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब यहां मौजूद नहीं है। हमारा यह कहना—बकना भूकना ही है, लेकिन हम भी जब मिनिस्टर महोदय बोलेगें तो लॉबी में जाकर बैठ जायेगें। अगर वे हमारी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो मैं भी कह देता हूं यह उनसे, कि पहले से हम तो अपनी बातें कर ही देते हैं। खाद देना अवश्य बन्द होना चाहिये, क्योंकि खाद देने से उन काश्तकारों को कोई सहूलियत नहीं होती है।

मेडिकल के बारे में आगे कहना चाहता हूं कि बजट में डाक्टरों की तनख्वाह तो चोगुनी है लेकिन अस्पताल में दवाइयां नहीं मिलती हैं। इसलिए मंत्री महोदय, अबके बजट में दवाइयों का ज्यादा प्रोविजन करने का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और जनता का ज्यादा भला हो सकेगा।

इसके अलावा, फाल्गुन का महीना है। होली आ रही है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री मंडल में जब परिवर्तन होने जा रहा है तो होली के वक्त को देखते हुए कितने ही लोगों को, हमारे जैसा कि हमारे यहां जोधपुर में कहावत है, नाथूरामजी बनना है, यह भी हम देखते हैं (हंसी)

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष—मेरे पास १८ सदस्यों के नाम आये हैं, बोलने वालों के। इसलिए जो वक्ता महोदय बोलें उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे, जहां तक हो सके, संक्षेप में, अपना भाषण दें।

श्रीराजा मानसिंह—Mr. Speaker, Sir :—before I say something on the Address of His Highness the Rajpramkh I feel it necessary to make certain facts clear. We must realise that the Address is made up for him by the Government, and should contain the achievements of the Government in the past and the future

[श्री राजा मानसिंह]

policy to be followed by the Government for the good of the people. However, when I looked at the Address I found that it contained very little mention of achievements, of the work that they have done in the past, because they have not done anything in the past. As regards the future policy of the Government we feel that the Government have no new ideas, for if they had any ideas as to what the people want, we would not have continued strikes and lathi charges in our Province. Therefore, Sir, when I saw the Address, I was not surprised to see that it resembled a ballon—an outer casing containing a lot of hot-air inside. However, I feel that constructive criticism can only be useful and that I should make some suggestions to the professional jail-going fraternity, who never allow us to forget the fact, sitting accross the floor, in the hope that they will pay some attention. I have not much time, for according to you, Sir, I have only a few minutes. Hence I shall give my views and suggestions in brief.

The people of this State want complete security guaranteed to them under the Constitution of this Republic. They do not want to be harassed by such laws like the Preventive Detention Act and the Security of the State Act, which is before this House in the form of a Bill.

We want ,Sir, a good Police Force, free from corruption, and commanding the respect of the people of this Province. The Police force is there to protect the people from evil forces, and not to harass the people and raise lathis and guns against them. About corruption, Sir, I shall mention a few words later on. Some good steps have been taken in this direction and many dacoits and evil doers have been arrested and punished. But, Sir, I would like to know whether this achievement has been due to the fact that three of my brother members of this House were arrested last year or not ?

We want good land reforms where needed with an idea to improve the lot of the poor people and to improve the land, and not with an ieda of political gain seeking votes. We come here as representatives of the poor people of our land. We do not come here to achieve political gain or to seek works of applause. There must be large farms in the country so that modern methods of farming may be used and money invested to improve the soil of the country. It is not enough for us to divide our land into small holdings, so that the soil is only scratched and no gain taken from it.

We want, Sir, free industry in the Province. The wealth of the country has gone underground fearing nationalisation. We must give security to our

[श्री राजा मानसिंह]

industries so that the wealth may come up and become an assest to the country. Machinery must be imported to make other machinery to improve our industires.

We want, Sir, a good civil administration working for the betterment of the poor people—the coommon man. I feel that the Members of the House, who are politicians, are there to make laws and guide the administration in matters of bolicy and other matters. But the administration must not be interfered with, specially in the districts, by the political parties. This practice must cease in the future, Sir.

We want, Sir, trades being taught in schools and colleges. There is no dishonour in manual labour, and our students must be taught and given opportunities to work and to become workers for their Country. We want workers turned out from our schools and not mere clerks. We even have cases of our boot-makers trying to become Minister-makers. There is a saying, Sir, that "Our deeds show what we are; our words show only what we should be". This should be the motto of our young men to follow.

There must be social clubs for the youth and student-class, away from politics, for their leisure hours. I find that most of our students spend their time in politics or in cinemas. The Central Government, with the help of Rajasthan Government, have taken a step in this direction. The National Cadet Corps is a good beginning, but it is not enough. In this connection, Sir, I should like to say that our teachers, who are paid very low salaries, should be paid better salaries. Rotten salaries can only produce rotten teachers, and rotten teachers can only produce a rotten generation which shall be unfit to shoulder the responsibilities of our Country. Our teachers too must realise that their profession is not meant just for their bread and butter, and this can only be achieved if they are not kept wanting.

So much money, Sir, is spent on charities by the Government. I have forgotten at the moment to bring my copy of the Budget here, but in last year's budget a sum of about Rs. 15 lacs were granted under the Head Devasthan and Charity. Out of these 15 lacs of rupees, nearly five lacs are spent on administration of this Department. Which means that for every two rupees given in charity, one rupee is spent on giving it, on administration. Charity is meant for helping the poor people. What is the sense of spending so much money, when a third of it goes for administrative purposes, and the rest in fact does no good to the poor. However, Sir, I should like that religious institutions and other such bodies

[श्री राजा मानसिंह]

supported by the Government should come out and take up public welfare woak and provide help to the needy in hopsitals etc. I should also like the various religiousinstitutions to take up religious teaching, which will help the Country in the present circumstances.

It is said, Sir, that "Wise man has his eyes in his head ; the fool walks in darkness". By saying this I refer to the problem that will overtake us now or a few years hence. The world is on the brink of war. Rajasthan has a very big common frontier with our neighbour. It is possible that our neighbours may invade us.

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

We shall have to make arrangements for providing protection to and evacuating our women and chidren, to make arrangements for their shelter and food and we shall have to make arrnagements for their transport and other things connected therewith refugees will of course result, and we shall have to see that the refugees do not hinder our Military Forces in their task. All this is for the Rajasthan Government to arrange. I am not, Sir, trying to frighten my friends, but only to wake them up. These things to arrange may take months and even years, therefore we must start preparing for any crisis.

One word I should like to say about corruption. 'Corruption' is a word frequently associated with our Government. We can never get rid of corruption unless we try to remove it from the very top. My definition for this word is" The convenient arrangements of circumstances". We have the case where the Police Officer is transferred from another Province, who is in debt, and his bank-balance shows no credit. Suddenly after serving Rajasthan for a few months, just before his transfer again, we find him paying off his debt and putting aside a good bank-balance—all on the same pay on which he originally got into debt. We cannot call him corrupt, until we prove him so, but he has arranged the circumstances conveniently. I should like to mention, Sir, another case ; where a Member of this House had an Election Petition filed against him by the Congress Party, who took a keen interest in the Petition for a number of months. Suddenly the petition, Sir, is thrown out of the Courts due to some legal law. When we met in this House it surprised me greatly to see the Hon'ble Member against whom the petition had been filed, sitting across the floor with my friends. This again is a convenient arrangement of circumstances. I make no insinuations, Sir, but fi the cap fits then the Hon'ble Gentlemen must wear it.

[श्री राजा मानसिंह]

Lastly, Sir, I should like to say a few words about democracy, as the word is very loosely used. We have a very unique form of democracy in our Country, oj which we should be proud. Such a democracy does not exist anywhere else in the world. In our democracy we have the Government formed by the Party supported by the minority of the people, who have formed a majority, by strengthening their numbers, in this House. To them, Sir, I should like to say that, "That State must sooner or later go to ruin where numbers sway, and ingorance decides".

My time is up, Sir: I do not wish to enreach other members' time.

श्री संतोषसिंह—अध्यक्ष महोदय, तारीख ९ को जो श्रीमन् राजप्रमुख का अभिभाषण हुआ था उसके बारे में मैं भी अपने कुछ विचार प्रकट करता हूं। श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में राजस्थान राज्य की विकट आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं यह कहूंगा कि यह आर्थिक स्थिति सिर्फ कहने से तो सुधर नहीं सकती। जब से हम यहां पर असेम्बली में आये हैं तब से आज तक हमको श्रीमन् राजप्रमुख के तीन भाषण सुनने के मौके मिले हैं और हर भाषण में श्रीमन् राजप्रमुख ने यह बतलाया कि राज्य के हर एक विभाग में उन्हें कामयाबी हासिल हो रही है। मगर जब हम लोग यहां से वापिस अपने अपने क्षेत्रों को जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर वास्तविक रूप में कोई भी काम हुआ नजर नहीं आता।

मैं आपको हमारी आर्थिक स्थिति खतरे में होने के कुछ कारण बताता हूं। हमारे यहां राज्य के खनिज पदार्थों के विभाग के सम्बन्ध में कुछ बताना चाहता हूं कि वे लोग किस तरह से सारा रुपया ठेकेदारों से लेकर खुद बरबाद करते हैं। श्रीमन् राजप्रमुख का पहला अभिभाषण हुआ था, उस वक्त एक सदस्य ने खनिज पदार्थों के बारे में बताया था कि हमारे राजस्थान में खनिज पदार्थ भरे पड़े हैं और इतने खनिजपदार्थ भरे हैं जिनकी वजह से हमें बहुत गर्व है और खनिजपदार्थों से राजस्थान को बहुत लाभ पहुंचाएंगे। मगर आज एक साल के बाद मालूम हुआ कि इन खनिजपदार्थों से राज्य के कर्मचारियों ने कुछ भी लाभ नहीं उठाया। हमारे यहां राजस्थान में खनिजपदार्थों में सबसे मुख्य खनिज पदार्थ चूना, पत्थर, मुलतानी मिट्टी, खड़ी, सीमेन्ट, इमारती पत्थर की खानियां, कच्चा लोहा, शीशा, तांबा, सोना, चाईनाक्ले, कांच, सोफर स्टोन, माइका, पन्ना वगैरह हैं और कोशिश की जावे तो अच्छा कोल और पेट्रोल भी मिल सकता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जिओलोजी डिपार्टमेन्ट के डाईरेक्टर, जो भी हों व उनके कर्मचारी वगैरह ने कोई नया रिसर्च नहीं किया। खनिजपदार्थों का जो पहिले ही अविष्कार किया हुआ था उनको भी पूरी तरह से वे नहीं संभाल सके। नई खानों का ईजाद कहीं भी नहीं किया गया। इसका कारण यह है कि हमारे जियोलोजिस्ट विभाग के कर्मचारी हमारी खनिज पदार्थों की खानों के, जो कि हमारी आमदनी का जरिया हैं, पुराने ठेकों के खतम होने पर अपना मतलब हल करने के लिये पुराने ठेकेदारों के ही नाम एक्सटेन्ड कर देते हैं और

[श्री संतोषसिंह]

अब अच्छे पैसे देने वाले ठेकेदारों के नाम ठेका मंजूर होने पर भी, पुरानी मयाद खत्म हो जाने पर भी उन नये ठेकेदारों को कब्जा नहीं देते। इस तरह हमारी खनिज, पदार्थों की आमदमी को बर्बाद और मटियामेट कर दिया गया है।

उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोजत में जो चूने के पत्थर की खान है उसका ठेका ३० सितम्बर सन् १९४९ को खत्म हो गया था परन्तु गवर्नमेन्ट ने जान बूझ कर उस ठेके का आगे का टेन्डर नहीं निकाला, रोक दिया। उसकी मयाद जब तक दूसरा आदेश प्राप्त न हो तब तक के लिये बढ़ा दी। इस कारण से उस ठेकेदार का ठेका, और नोटिस के आगे एक साल तक चलता रहा और इसी आधार पर उस ठेकेदार ने गवर्नमेन्ट के पास मांग रक्खी कि उसका ठेका आगे ३ साल तक और जारी रखा जाय। दिनांक ४-११-५० को उस ठेके के टेन्डर का नोटिस निकला। दिनांक २२-१२-५० को ठेके का टेन्डर हुआ। सबसे ऊंचा टेन्डर १२ लाख रुपये सालाना का निकला। फिर भी सरकार इस ऊंचे टेन्डर देनेवाले ठेकेदार को इस ठेके का कब्जा नहीं दिला सकी और पहले वाले ठेकेदार का कब्जा, जो पहला ठेका करीबन ३६८५०) रु० सालाना का था, जबरन धींगामस्ती से आज तक चल रहा है। और उसके साथ जो दूसरे ठेकेदार ने डेढ़ लाख का टेन्डर दिया था, उसे रोक दिया। और इस तरह सरकार को लोस हुआ, इसमें गलती साफ गवर्नमेंन्ट की नजर आती है।

उस ठेके को वह ठेकेदार नाजायज तौर पर ३ साल तक चलाता रहा और जब गवर्नमेंन्ट के ऑफीसर चार्ज लेने गये तो पहिले वाला ठेकेदार मुतालिक कोर्ट से इन्जक्शन ले आया और चार्ज नहीं दिया। दुबारा तारीख ३०-९-५२ को फिर चार्ज लेने गये तो मुतालिक कोर्ट ने खनिज विभाग के कर्मचारियों पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दे दिया। उस ठेकेदार ने कन्टेम्पट का नोटिस उस डिपार्टमेंन्ट को दिया। और मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि उन अफसरों को उस मुन्सिफ कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी।

इस तरह गवर्नमेन्ट को ३ साल में ३३९९९९) रुपये का घाटा हुआ है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मुझे समय कम दिया गया है; नहीं तो मैं यह बताता कि राजस्थान गवर्नमेन्ट को जो एक या डेढ़ करोड़ का घाटा है उसकी क्या वजह है। उपाध्यक्ष महोदय मुझे ५ मिनट का समय और दें।

श्री अध्यक्ष—२ मिनट और।

श्री संतोषसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) इसके बाद मैं मारवाड़ की बढ़िया खान जो बाढमेर में मुल्तानी मिट्टी की है उसके बारे में जिक्र करूंगा। उस खान का ठेका दिनांक ३०-९-१९५० को खत्म हो जाता है लेकिन फिर भी धांधली से वह ठेकेदार अब तक चला आ रहा है। शास्त्री गवर्नमेन्ट के समय में भी उस ठेकेदार ने होशियारी से काम लिया और शास्त्रीजी के साथ वह विद्यापीठ (बनस्थली विद्यापीठ) गया और चेरिटी के नाम पर दो-चार हजार रुपये देकर एक्सटेन्शन ले ली।

[श्री संतोषसिंह]

इसी तरह जब हमारी मौजूदा गवर्नमेन्ट के मंत्री वहां गये तो उनकी भी खातिर तवज्जोह अच्छी की होगी और गरीबों को कपड़ा बंटवाया और इस तरह उन्होंने भी दो तीन महीने की एक्सटेन्शन दे दी । वह ठेकेदार गवर्नमेन्ट को बराबर दरख्वास्तें देता आया है कि मेरे यहां दो तीन हजार मजदूर बेकार बैठे हैं और इस तरह अपने ठेके की मयाद खत्म होने पर भी उसे अब तक चला रहा है । सरकारी अधिकारियों के जरिये इस बात की जब जांच करवाई गई तो मालूम हुआ कि कुल १५-२० मजदूर वहां काम करते हैं और अपना ठेका बढ़ाने के लिये ही वह इस तरह झूठी रिपोर्टें कर रहा है ।

उस ठेकेदार पर गवर्नमेन्ट बहुत मेहरबानी रखती है, ५ आने, १० आने फी मन रोयल्टी के हिसाब से उसको ठेका दे रखा है जबकि १५ आने फी मन यानी ४० रुपया फी टन के रायल्टी के हिसाब से ठेका लेने को दूसरे ठेकेदार तैयार हैं । इसके मुतल्लिक कई ठेकेदारों ने कई चिट्ठिया दीं पर कोई सुनवाई नहीं होती ।

इसके बाद खड्डी जिसको जिप्सम कहते हैं और जो सिन्दरी के कारखाने को जाती है उसके बारे में भी मैं बहुत कुछ कहना चाहता था परन्तु कम समय होने के कारण इतना ही कहूंगा कि इस सम्बन्ध में भी बड़ी धांधली हो रही है ।

हमारे राजस्थान में सीमेंट बन सकती है । आज से ठीक २० वर्ष पहले जोधपुर म मि० एडगर जब पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर थे और मौला साहब थे, उन्होंने २० मन कच्चा पत्थर और मिट्टी जर्मनी भेजी थी जिसकी सीमेन्ट बन कर जर्मनी से आई : जिसकी रिपोर्ट मौजूद है । उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि हिन्दुस्तान में जितनी भी सीमेंट बनती है उससे कहीं अधिक सुपीरियर क्वालिटी की सीमेंट वह ह । पर गवर्नमेन्ट ने अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है ।

इसी तरह सूर सागर में पत्थर की करीब १५० से लेकर २०० खानें हैं वे रॉयल्टी का एक भी पैसा दिये बगैर चोरी से चल रही हैं । दो तीन साल से वहां से पत्थर चोरी से निकाला जा रहा है ।

(श्री अध्यक्ष ने समय समाप्त होने की सूचना दी)

श्री खेतसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संतोषसिंहजी का भाषण सुनकर सारा हाउस गद्गद् हो उठा है, अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरा समय इनको दे दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य के भाषण पर कोई आपत्ति नहीं करता किन्तु टाइम का सवाल है । बोलने के आगे और भी अवसर आयेंगे, उस समय वे बोल सकते हैं ।

श्री कानसिंह—अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् राजप्रमुख का जो अभिभाषण हमारे सामने हुआ, उस पर दो दिन से बहस चल रही है । श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण के आरम्भ में ही इस रियासत की फाइनेन्शियल पोजिशन की विषम स्थिति होने का वर्णन किया है और साथ ही साथ भाषण के अन्त में यह भी कहा है कि यह एक सेक्रेड ट्रस्ट है जो आप लोगों के सुपुर्द है, जिसमें सहयोग देना और इस ट्रस्ट को अच्छी तरह से चलाने में पूरी तरह से मदद देना आप सब लोगों का फर्ज है । मैं इस सदन के सामने यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब से यह सदन कायम हुआ है हमारे विपक्षी दल की तरफ से बराबर पूरा

[श्री कानसिंह]

सहयोग दिया जा रहा है और मैं यह अर्ज करूंगा कि ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से ऐसी कोई मिसाल नहीं है जिससे सहयोग की भावना पाई जावे। हमने आज भी एक एडजॉर्नमेंट मोशन में, जो एक माननीय सदस्य की तरफ से पेश हुआ, पूरा सहयोग दिया; जो सदन से छिपा नहीं है। मैं दो मिसालें, सरकारी दल की तरफ से इस ट्रस्ट को सुचारु रूप से नहीं चलाने के सम्बन्ध में पेश करना चाहता हूं। अव्वल तो यह है कि हमारे इस सदन में जो कार्यवाही होती है उसकी जो रिपोर्ट छपती है वह छप कर हमारे पास ठीक समय पर नहीं पहुंचती । गत अधिवेशन की जो रिपोर्ट्स हैं वे अभी तक छप कर हमारे पास नहीं आईं जिससे कि हम देखते कि गत अधिवेशन में हमने क्या कहा था और क्या सरकार की तरफ से जबाब मिला था और इस वक्त हमें क्या सवाल पेश करने चाहिये । या तो सरकार सदन की कार्यवाही ठीक समय पर छपा कर भेजने में असमर्थ है या दीदो-दानिस्ता, जानबूझकर, अपनी गलतियों को छिपाना चाहती है और इसी कारण से ठीक समय पर रिपोर्ट नहीं भेजने की चश्मपोशी करती है । ऐसी हालत में आप ही बताइये हमारा सहयोग कैसे हो सकता है?

मैं यह भी अर्ज करूंगा कि हमारे इस राज्य की एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट हमारे हाथों में अब तक नहीं पहुंची है । यही नहीं बल्कि इस राज्य को डेमोक्रेटिक स्टेट बने ३–४ साल हो गये, एक वर्ष होने आया चुनाव होकर मौजूदा सरकार भी बनी ; लेकिन अब तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट हमारे पास नहीं भेजी गई जिससे कि हमें यह ज्ञान हो सके कि स्टेट में क्या हो रहा है । इसके साथ ही साथ मैं यह भी अर्ज करूंगा कि रियासत के फाइनेन्स की विषम स्थिति की जांचके लिये और उसके ऊपर निगरानी रखने के लिये जो पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी मुकर्रर हुई है, मुझे अफसोस है, इसे आप सौभाग्य कहिये या दुर्भाग्य मैं भी उस कमेटी का एक सदस्य हूं, अभी तक कार्य नहीं कर पा रही है । हमने बहुत कुछ कोशिश की कि कुछ करें । हमें कमेटी की मीटिंग में आने के लिये निमंत्रण दिया गया लेकिन यहां आकर देखते क्या हैं कि जानबूझ कर हमारे पास संबन्धित सरकारी कागज भेजे नहीं जाते । अब सरकार देखे कि सहयोग हम नहीं देते या सरकार सहयोग नहीं देती । यदि वह पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने रखे जाने वाले कागजों को नहीं दिखाती है तो शायद उसका अर्थ यही है कि वह अपनी गल्तियों को छिपाना चाहती है। यदि ऐसा नहीं है तो आपको चाहिये था कि सारे कागजात पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने रखते और हम अपनी राय देते । मैं अर्ज करूंगा कि एक कमेटी बनाना और उसके सामने कोई कागज नहीं रखना है तो फिर ऐसी कमेटी बनाने से फायदा क्या है? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सहयोग तो खुद नहीं देते हैं और साथ ही यह कहा जाता है कि यह सेक्रेड ट्रस्ट है, इसे चलाने में मदद देनी चाहिये । मैं कहूंगा कि सेक्रेड ट्रस्ट में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सरकार की तरफ से होता है और उसकी जांच कराने का मौका नहीं दिया जाता ; फिर कमेटियों के बनाने से क्या लाभ?

इसी प्रकार एस्टीमेट्स कमेटी बनाने का रूल्स में जिक्र है कि कमेटी बनाई जायगी । रूल्स को बने लगभग ३–४ महीने हो गये हैं परन्तु कोई एस्टीमेट्स कमेटी अब तक नहीं बनाई गई है । जितने भी कार्य सेक्रेड ट्रस्ट को चलाने के लिये होते हैं उनका इस्तेमाल सरकार खुद नहीं कर रही है । जो कमेटी मुकर्रर है उसके सामनें पूरे फेक्ट्स रखे नहीं जाते ; फिर हम कैसे सहयोग दे सकते हैं?

[श्री कानसिंह]

मैं यह अर्ज करूंगा कि मैंने पिछले अधिवेशन में दो-तीन सवाल किये थे । बीकानेर रियासत में नोखा गांव में एक डिस्पेन्सरी है, जिसे बने करीब २० साल हो गये हैं । जिस वक्त यह बनी थी उस वक्त इसकी इमदाद के लिये ५००) रु० राज्य की सरकार की ओर से मंजूर हुए थे । उस समय नोखा में करीब ५०-६० घरों की आबादी थी । अब वहां की आबादी पांच हजार की है पर इसके खर्च के लिये वही ५००) रुपया बीस साल से चले आ रहे हैं । वहां अब म्युनिसिपेलिटी भी कायम हो गई है ।

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

पिछले समय जब मैंने सवाल किया था तब ३५०) रु० की और मदद देने का वादा किया गया था और ये रुपये दिये भी गये थे, पर इस साल के बजट में से ये रुपये उड़ा दिये गये हैं । मेरे पास कई तार और चिट्ठियां आईं, इस बारे में । इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि कम से कम इस तरह के मामलों में कार्यवाही परमानेन्ट होनी चाहिये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अर्ज करूंगा कि सरकार को अपनी फाइनेन्शियल पोजिशन ठीक करनी है और सेकेंड ट्रस्ट को चलाना है तो उसे सहयोग के साथ काम करना चाहिये ।

श्री जयेन्द्रसिंह—अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण के ऊपर काफी वाद-विवाद हो चुका है, लेकिन दो चार शब्द मुझे भी कहने ह । ज्यादा तो मैं बजट के समय अर्ज करूंगा । राजप्रमुख महोदय ने यह फरमाया है कि हमारी फाइनेंशियल पोजिशन काफी कमजोर है, उसे सुधारने की कोशिश की जा रही है । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यहां पर कोई इम्प्रूवमेंन्ट हुए दिखाई नहीं देते । आमदनी जैसी हुआ करती थी वैसी होती ही है फिर पता क्यों नहीं चलता कि जो पैसा आता है वह कहां जाता है और अधिक खर्चा कहां होता है । कहीं जनरल इम्प्रूवमेन्ट नजर नहीं आता । अलबत्ता यह बात जरूर है कि अपनी अपनी कॉस्टीट्यूएन्सीज में मंत्री महोदय जरूर कुछ खर्च करते हैं । जैसे अलवर में हाल ही में एक सौ के लगभग कुए खुदवाये गये हैं । अलवर के अलावा क्या और कोई जगह नहीं थी जहां कुए खुदवाये जाते । साथ ही उल्टा यह कहा जाता है कि अमुक जगह वालों ने हमको वोट नहीं दिये इसलिये उनके यहां कोई उन्नति का काम नहीं किया जायगा । इस तरह से अपनी अपनी डफली बजाई जा रही है । श्रीमन् राजप्रमुख ने बतलाया कि ये अच्छे काम हुए हैं, इस इस में तरक्की हो रही है । पर कोई तरक्की दिखाई नहीं देती । फिर किस तरह कहा जा रहा है कि तरक्की हो रही है । यह विचारणीय बात है । यह भी कहा गया कि खेती के सिलसिले में तरक्की हो रही है । पर खेद के साथ कहा जाता है कि खेती पर तरह तरह के टेक्स लगाये जा रहे हैं । इन टेक्सों का भार इतना बढ़ गया है कि लोगों का बुरा हाल हो रहा है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछली बरसात में कोटा में काफी जबरदस्त फ्लड आया था और कम से कम इसका श्रीमन् राजप्रमुख साहब के अभिभाषण में जिक्र तक नहीं किया गया कि इस फ्लड से जिन फसलों को नुकसान हुआ और फसलों की बर्बादी हुई उसके लिए अमुक कार्य किया गया । शायद उनकी निगाह में यह मामूली चीज होगी और इसीलिए इसका इसमें जिक्र तक नहीं किया गया है । मैं समझता हूं कि चाहे उनको मदद पहुंचाई गई या नहीं, उसका जिक्र अवश्य किया जाना चाहिये था । उस वक्त जो हमारे मुख्य मंत्री थे उनको मैंने एक तार दिया था; किन्तु या तो मेरे दुर्भाग्य से वह तार हजम

[श्री जयेन्द्रसिंह]

कर लिया गया था या वह रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। मुझे उस तार के एवज में कोई जवाब तक नहीं मिला। किसी भी तरह की मदद नहीं दी गई; जिससे कि काश्तकारों को और वहां की जनता को कुछ राहत पहुंचती। इस बात की ताईद तो उधर के जो माननीय सदस्य हैं, वे भी करेंगे कि गवर्नमेन्ट की कितनी मदद उस इलाके में हुई है। तो फिर किस बात के लिये हमसे थैन्क्स मांगा जाता है। जबर्दस्ती का थैन्क्स दिलाना हो तो दूसरी बात है; किन्तु मर्जी से तो हम थैन्क्स देना नहीं चाहते। यदि इधर उधर से ही थैन्क्स मिल जावे तो यह तो एक सिद्ध और साधक का जोड़ा सा हो जाता है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं बजट पर होने वाली बहस के वक्त में पेश करूंगा।

बहुत से बिलों के बारे में भी फरमाया गया है कि बहुत से बिल्स आ रहे हैं। एक इसेन्शियल सर्विसेज मेन्टिनेन्स बिल आने वाला है। इससे एक जबरदस्त तलवार गवर्नमेन्ट के हाथ में दी जा रही है ताकि मनमानी कर सके। यह एक घातक बिल आ रहा है। अतः किस प्रकार राजप्रमुख साहब के अभिभाषण पर थैन्क्स दिया जाय इतना ही बोल कर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं। इस समय दो चार सज्जन ही उपस्थित हैं और अधिक बोल कर भी किसको सुनाया जाय। यही एक महरबानी है कि इतने भी यहां है। श्रीमन् राजप्रमुख ने जो सरमन फरमाया है उसके थैन्क्स के लिए तो क्या कहा जाय।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर्थिक स्थिति तथा दरिद्रता मिटाने के बारे में जो श्रीमन् राजप्रमुख महोदय ने भाषण दिया है उस सम्बन्ध में मैं मंत्रिमंडल का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजप्रमुख ने बताया कि आर्थिक स्थिति खराब है, चिन्ताजनक है। आर्थिक स्थिति इसलिए खराब है कि हमारी गवर्नमेण्ट अपने २ स्वार्थ के लिये कुछ साथियों को तथा सम्बन्धियों को प्लॉटस् का अलाटमेन्ट कर दिया है। उनके लिए यह बहुत ही शर्म की बात है कि जिन प्लॉटस् का १००) रुपया गज के हिसाब से कोई भी व्यक्ति दे सकता था उन प्लाटस् का ६) रुपया गज के अन्दर एलॉटमेन्ट किया गया और सेक्रटरी की यह रिपोर्ट थी कि इन प्लॉटस् का २५ रुपया फी गज के हिसाब से एलॉटमेन्ट किया जाय। दूसरी बात यह भी है कि इस सम्बन्ध में केबिनेट में भी प्रश्न उठा था और जहां तक मुझे मालूम है केबिनेट में प्रश्न उठने पर भी प्लॉटस् का एलाटमेन्ट किया गया। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि प्लॉटस् यदि साथियों को अलॉट किये गये तो उनकी जांच की जानी चाहिए। यदि इन प्लॉटस् को नीलाम करके बेचा जाता तो पचास लाख रुपया की आमदनी सरकार को हो सकती थी। इन प्लाटस् को सर मिर्जा इस्माइल ने और श्री वी० टी० ने सरकार के लिए रिजर्व रक्खे थे; किन्तु उनके बाद इनका अलॉटमेन्ट कर दिया गया है, मुझे बडे दुःख के साथ यह चीज कहनी पडती रही है।

दूसरी बात यह है कि सरकार काश्तकारों के लिए यह दावा करती है कि हम काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि काश्तकार तो चाहे बर्बाद हो या उनका कुछ भी हो, कुछ बीड ऐसे हैं जिनका अलॉटमेन्ट सरकार के कुछ व्यक्तियों के नाम पर कर दिया गया है और उन बीडस् के प्लॉटस् बना दिये गये हैं। उनके दरख्तों को काट दिया गया है और उन दरख्तों को कम कीमत में बेच दियां गया। यह बड़े खेद की बात है कि एक ओर तो हम वृक्ष लगाने का आन्दोलन

Page No.50

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

करते हैं और दूसरी ओर इस प्रकार वृक्षों को काटा जाता है। कुछ साथियों के कुछ सम्बन्धियों को वे जमीनें अलाट की जाती हैं और दूसरे लोग जो राजस्थान के काश्तकार हैं उनको नहीं की जातीं। वृक्षों के काट दिये जाने पर उनको कम कीमत में बेचा गया है जिनकी कीमत अधिक जा सकती थी। (विपक्ष की ओर से "शेम शेम") यदि मेरे पास से गवर्नमेन्ट लिस्ट मांगे तो मैं देने के लिए तैयार हूं। ये जमीनें, कुछ साथियों को, कुछ लोगों को एलाट की गई है और मेरे मित्रों को मालूम भी है कि पहले इन जमीनों के बारे में कलेक्टर के पास किसानों की २५०० दरख्वास्तें भी मौजूद थीं। पहले यह भी तय किया गया था, जैसा कि मुझे मालूम है, पहले काश्तकारों को दी जायें, दूसरा कोओपरेटिव फार्म करके इनको दिया जाय। तीसरा प्रोसिजर यह भी रखा गया कि संस्थाओं को भी दिया जाय। दो प्रोसिजर न मान कर और तीसरा प्रोसिजर मानकर किसी संस्था के नाम जमीन उस बीड में से अलाट कर दी गई है। ऊपर से ओर्डर्स दिये गये है। यह सुन कर दुःख हुआ। जो बीड काश्तकारों को दिये जाने चाहिए थे किन्तु वृक्ष काट दिये जाने पर भी उनको नहीं दिया गया (विपक्ष को ओर से "शेम-शेम")

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह दलबन्दी के बारे में है। जिस कॉन्स्टिट्यूएन्सी से मैं खड़ा हुआ हूं वह कॉन्स्टिट्यूएन्सी निजामत है जो सब डिविजन शाहपुरा कहलाती है। उसकी आबादी डेढ़ लाख है और वह ७०-८० मील के एरिया में है। उसमें गांवों की संख्या २००० से भी ज्यादा है। उस निजामत के अन्दर २५ बड़े बड़े कस्बे हैं, डिस्पेन्सरीज हैं, हस्पताल हैं, सड़कें हैं। एक साथी के कहने पर उस निजामतको वहां से हटा कर कोटपुतली कर दिया गया है। १२ मील के एरिया में बहरोड़ और कोटपुतली दो निजामतें होजाती हैं। ऐसा उदाहरण आपको हिन्दुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा।

(विपक्ष की ओर से "शेम-शेम")

इससे सब को परेशानी हो गई। बहरोड़ तहसील में ७०० मुकदमे हैं जब कि कोटपुतली के २००केस हैं। बहरोड़ तहसील में जागीरों के १२० गांव हैं और ८० गांव खालसे के हैं जहां कोटपूतली में सारी जमीन खालसे की है और कुल ९ गांव जागीर के हैं। यहां के किसानों को और दूसरे आम लोगो को आने-जाने में तीन-तीन दिन लग जाते हैं; अपने घर से निजामत में आने जाने में। इसमें पक्की सडकें नहीं हैं। बरसात में ये सडकें बन्द हो जाती हैं और मोटर भी बन्द होजाती है। ६ दिन लग जाते हैं रेल के सफर में। मैं इस बारे में श्रीमान मन्त्री महोदय से मिला। मिलने से मालूम हुआ कि जेल की समस्या वहां है। इस जेल के बारे में हमने मन्त्रियों से कहा था। ठिकाना इसके लिए रुपया देने के लिऐ तैयार है, जेल बनाने को तैयार है। ठिकाना इसके लिए मकान भी दिलाने को तैयार है। पर फिर भी मैं पूछना चाहता हूं कि आज कोटपूतली निजामत ले जाने पर भी क्या होता है ? एक कैदी को वहां से यहां तक लाने में तीन रुपये पांच आने लगते हैं, जब कि शाहपुरा में यह बात नहीं है। इससे बहुत ही कम खर्च बैठता है। तो क्या इससे सरकार के फाईनेन्स पर असर नहीं पड़ेगा और जो माली हालत आज खराब है वह और भी खराब नहीं हो जावेगी। पर दलबन्दी का यह परिणाम है। चौथी बात यह है कि किशनगढ़ मिल मजदूरों का भी एक मामला है। इसकी थोड़ी बहुत जानकारी

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

मुझ को भी है। हीरालाल पाटनी ने मजदूरों से कई वायदे किये, हमारे दूसरे लीडरों ने भी वायदे किये, पर उनके वायदे सिर्फ करने के ही रहे। मजदूरों के साथ दिन पर दिन अन्याय ही होता गया। हीरालाल पाटनी का करीब दो लाख रुपया राजस्थान सरकार में बाकी था, वह भी मैंने सुना है, बिना मजदूरों का फैसला किये राजस्थान सरकार ने पाटनी को दे दिया है। ऐसी हालत में मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि किसी भी तरह से इन बिचारे गरीब मजदूरों का समझौता कराकर तालाबन्दी खतम करें।

श्री दिलीपसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, इसमें शक नहीं कि हमारी गवर्नमेन्ट की बहुत सी खामियों की वजह से हमारे शासन चलाने वालों की कमजोरियां भी हैं। लेकिन जो जो वाकयात इनके पीछे हैं उनको भी हमें नजरअन्दाज नहीं करना चाहिये।

हम राजस्थान के बहुत दूर दूर के इलाकों से, बहुत पुराने जमाने से चली आ रही विभिन्न विभिन्न २२ रियासतों से आकर यहां इकट्ठे हुए हैं। हमारे इलाकों के अलग अलग रिवाज, कानून वहां के लोगों की अपनी मनोवृत्तियां एवं भिन्न भिन्न प्रकृतियां हैं। इसलिए यह हो सकता है कि सब लोगों की जो आशाएं हैं, वे उनके अपने नुक्ते निगाहों से पूरी न हुई हों, या जिस प्रकार से वे चाहते हों वैसे नहीं चल रही हों। इसलिए हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिये कि ये सदियों की बातें जिनके हम आदी हो चुके थे, एक दम दो चार सालों में बदल जाना कठिन है।

तो ऐसी हालत में इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें गवर्नमेन्ट को क्रिटिसाइज करना चाहिये; जरा नरमाई से काम लेना चाहिये। इन दूसरी बातों को नजरअन्दाज नहीं कर देना चाहिये।

श्रीमन् राजप्रमुख साहब ने अपने भाषण में हमसे मितव्ययता के लिए अपील की है कि राजस्थान की माली हालत अच्छी नहीं है इसलिये इसको मद्देनजर रखते हुए इसकी माली हालत को सुधारने में हमें सहयोग देना चाहिये।

इस सिलसिले में मेरे विचार से सबसे अच्छी बात तो यह होती कि वे खुद ही इसके लिए कोई मिसाल कायम करते (विरोधी दल की ओर से करतल ध्वनि) और उनको जो कई लाख रुपये प्रिवीपर्स के मिलते हैं उसमें से कुछ, वे जनता के हित के कामों में, जिसमें कि गवर्नमेन्ट को खर्च करना है और गवर्नमेन्ट जिसमें असफल रही है अपनी खराब माली हालत की वजह से, उन कामों के लिये हर साल रिजर्व किया करें और जैसा कि कोटा के उपराजप्रमुख महारावल साहब ने कोटा में अस्पताल बनाने के लिए सात लाख दिया है, इसी तरह से हमारे राज प्रमुख को भी अपनी प्रीविपर्स में से रकम देकर ऐसी मिसाल कायम करनी चाहिये। (विरोधी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

दूसरे नम्बर पर मैं अपने मन्त्री साहबानों से भी, जो गवर्नमेन्ट चला रहे हैं, अर्ज करूंगा कि उन पर भी गवर्नमेन्ट चलाने की बड़ी भारी जिम्मेदारी है, बल्कि सारी ही जिम्मेदारी है। वे भी इसके मुताल्लिक कोई मिसाल कायम करें। हमारे कांग्रेस, महात्मा गांधी के सिद्धान्तों पर चल रही है और महात्मा गांधी हमेशा यह कहते रहे हैं कि हमारे मन्त्री पांच सो रुपयों से ज्यादा तनख्वाह न लें। (विरोधी पक्ष की बेंचों

Page No.52

[श्री दिलीपसिंह]

से तालियां) इस विषय में देखा यह है कि हमारे यहां के मन्त्री महोदय ही नहीं बल्कि केन्द्रीय एवं दूसरी जगहों के मन्त्रीगण भी ध्यान नहीं देते। हमारे मन्त्री साहबानों को सोचना चाहिये कि यह डेमोक्रेसी का जमाना है और आज वे मन्त्रीपद पर हैं कल नहीं भी हो सकते हैं; इसलिए अपने रहन सहन के स्टेन्डर्ड को साधारण तरीके से रखते हुए अपने अहलकारों, सेक्रेटेरियट के कर्मचारियों और जनता के सन्मुख उदाहरण पेश करें। जिससे आइन्दा आने वाली गवर्नमेन्ट के सामने भी यह एक मिसाल रहेगी। इसलिए मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी माली हालत सुधरे, हालां कि इसमें शक नहीं कि उनके ऐसा करने से ही कोई ज्यादा फरक पड़ जावेगा, ज्यादा फरक नहीं पडेगा, पर इससे एक उसूल और मिसाल तो कायम हो जाती है। तो आप मेरे सुझाव पर अमल करें। इससे दूसरों को भी अपनाने का मौका मिलता है और इस मिसाल को देखते हुए अगर इस प्रदेश के समस्त छोटे से लेकर बडे तक कर्मचारीगण स्वेच्छा से अपनी तनख्वाह में कमी कर सकते हैं तो इससे अवश्य हमारी माली हालत के सुधरने में भी मदद मिल सकती है।

आगे, लॉ और आर्डर के मुताल्लिक जो हालत हमारी गवर्नमेन्ट ने सुधारी है इसके लिए बेशक हम इन सब साथियों को धन्यवाद देते हैं। लेकिन यह लॉ और आर्डर की समस्या तो दो डिवीजनों में ही है। इन दो में ही डकैतियां या लूटमार थीं। एक तो है जोधपुर डिवीजन और दूसरा बीकानेर डिवीजन। थोड़ा बहुत जयपुर डिवीजन का एक छोटा सा हिस्सा भी आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन राजस्थान में ५ डिवीजन हैं। इनके अतिरिक्त ऐसी कोई ज्यादा शिकायत कहीं नहीं थी। फिर भी इन दो डिवीजनों में तो हालत सुधरी ही है जो निश्चय ही प्रशंसनीय है।

यह खुशी की बात है कि सरकार ने लूटमार की हालत को सुधार दिया है यह हमारे लिये गौरव की बात है। मैं अपने अनुभव से यह कह सकता हूं कि सेक्रेटेरियट जिसका कि सारे, राजस्थान से ताल्लुक है और जो हमेशा हमारे मंत्रीगण के हाथ नीचे हैं उसकी हालत नहीं सुधरी। जिस इलाके में मैं रहता हूं, ज्यादातर ठेकेदार की हैसियत से, जिस भाग से मेरा सम्बन्ध है, उसके विषय में कहना चाहता हूं कि कोटा की पिछली सरकार ने एक कंपनी को पत्थर की मोनोपोली रामगंज मन्डी को दी। उस मोनोपोली का जनता की तरफ से विरोध किया गया। हमारी प्रान्तिय कांग्रेस के कहने पर वह मोनोपोली तोड दी गई। पुरानी सरकार के जो मंत्री थे उन्होंने दो दिसम्बर को यह ऑर्डर निकाल दिया कि पत्थर की मोनोपोली रामगंज मंडी में है उसे खत्म कर दिया जाय और लीज केन्सिल की जाती है। इससे गवर्नमेंट के लाखों रूपये का संबंध है। परन्तु वह ऑर्डर सेक्रेटरीज ने ६ महीने से दबाकर रखा है। ३ जून को उनको नोटिस दिया जाता है कि तीन महिने में उनकी लीज खत्म की जाती है। वह भी इसलिये हो गया कि मार्च और अप्रेल के महिने में विधान सभा का सेशन था। उन दिनों जोर देते रहे; इसलिये वह ऑर्डर ६ महिने में ही निकल गया, नहीं तो न मालूम कितने वर्षों तक वह पडा रहता। इसी बीच कम्पनी ने इन्जंक्शन ऑर्डर निकलवा दिया कि कोटा सरकार द्वारा जो मोनोपोली दी गई उसे तोड़ने का अधिकार मौजूदा सरकार को नहीं है। उसे हटा नहीं सकती। आज उस हुक्म को निकले हुए छः महिने होगये। उद्योग विभाग सेक्रेटरी ने उस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। उस इंजंक्शन ऑर्डर को रद्द करने के लिए उसके ऊपर अदालत में अर्जी

[श्री दिलीपसिंह]

नहीं दी गई, सरकार क्यों नहीं उसको हाईकोर्ट द्वारा रद्द करवा देती। मैं उद्योग मंत्री महोदय से मिला। मुझे अफसोस है कि इतने शरीफ व मिलनसार आदमी होते हुए भी अपने सेक्रेटेरियेट पर उनका अधिकार नहीं है, अपने सेक्रेटेरियेट पर ध्यान नहीं देते। उनकी कमजोरी की वजह से यह मामला रुका पडा है। आज इससे लाखों रूपयों का नुकसान सरकार को हो रहा है। जाँच कमीशन द्वारा यह साफ हो चुका है कि इससे लाखों रूपयों का नुकसान सरकार को हो रहा है। सरकार के पास ऐसा महकमा है जो मामूली रकमों के लिये लोगों पर मुकदमा चलाती है। जहाँ यह लाखों रूपये का सवाल है, जहाँ सरकार को लाखों रूपये का नकसान हो रहा है वहाँ सरकार ध्यान नहीं दे रही है; सेक्रेट्रीज चाहे जो करें। मैंने भी कमीशन के सामने सारा सबूत दिया। कमीशन ने जो जांच की थी उसकी रिपोर्ट मुझे ही सिक्रेटली (Secretly) बताई जाती है। मैं जब उस रिपोर्ट को देखने के लिये सेक्रेटेरियेट गया और मंत्री महोदय को दरख्वास्त दी तो उन्होंने यह कहा कि वह रिपोर्ट कॉन्फिडेन्शियल होगी; इसलिये इसके मुताल्लिक मैं कुछ नहीं कह सकता, आप सेक्रेटरी साहब से मिलिये। मैं सेक्रेटरी साहब के पास गया तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि वह रिपोर्ट कॉन्फिडेन्शियल है लेकिन मुझे दिखाना मंजूर करके कहा कि आज चार बज चुके हैं। यह २६ तारीख की बात है। इन्होंने कहा कि आज दफ्तर बन्द होने वाला है इसलिये किसी और रोज आइये, उस रोज मैं आपको दिखा दूंगा। फिर मैं ३० तारीख को सेक्रेटरी साहब के पास गया। उनके इलाके के कोई व्यक्ति उनसे मिलने आये थे, इसलिये वे बातों में मशगूल थे। उनसे अपने धंधे की बातें कर रहे होंगे। सुना है वे अपना धंधा भी करते हैं। मुझे बाहर बैठे हुए डेढ़ घंटा करीब हो गया। मैं छोटी सी कोठरी में बैठा था। करीब डेढ घंटे के बाद चपरासी मेरे पास अंदर जाने का हुक्म लेकर आता है तो मैं जब अंदर गया तो मुझे कहा गया कि आप डिपुटी सेक्रेटरी से मिल लीजिये। वही टिकट जो मैंने सेक्रेटरी साहबको दिया था उसी को डिपुटी सेक्रेटरी के पास भेज दिया। उन्होंने मुझे कोई दो घंटे तक नहीं बुलाया। मैं पास ही, लाइब्रेरी थी इसलिये वहां बैठा अखबार पढ़ता रहा। मैं फिर दरवाजे के सामने जाकर जोर से बोला तो मुझे अन्दर बुलाया गया और पूछा कि क्या मामला है। मैंने कहा कि मैं दो घंटे से बैठा हूं मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब एम. एल. ए., जो सार्वजनिक हित के काम को लेकर आते हैं उनको मिलने के लिये दो-दो घंटे इन्तजार करना पड़ता है तो मामूली आम व्यक्तियों को तो मिलने का मौका शायद ही मिलता होगा ("शेम-शेम") डिपुटी सेक्रेटरी साहब फरमाते हैं कि मेरे पास तो आपका चिट अभी आया है। मैंने कहा, आप उस चपरासी को बुलाइये जिसने यह चिट दिया है। डिपुटी सेक्रेटरी साहब ने घंटी बजाई तो वह चपरासी तो चला गया था। उसकी जगह दूसरा चपरासी आया मैंने कहा, यह नहीं दूसरे को बुलाइये; लेकिन वह चपरासी वहां से चला गया था।

(श्री उपाध्यक्ष ने समय समाप्ति की सूचना दी)

श्री दिलीपसिंह--उपाध्यक्षजी, जब कि अन्य व्यक्तियों को काफी समय दिया गया तो मुझे भी काफी समय मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--आप दो मिनट और बोल सकते हैं।

श्री दिलीपसिंह—मैं दो मिनट में अपनी बात को समाप्त नहीं कर सकता।

("समय दिया जाना चाहिये" आवाज)

श्री उपाध्यक्ष—आपको पांच मिनट दिये जाते हैं।

श्री दिलीपसिंह—मैं इतने थोडे समय में खत्म नहीं कर सकूंगा। अभी तो मैं राजप्रमुख के दूसरे पेरे पर ही आया हूं।

वहां जाने पर मुझे कहा गया कि मैंने तो वह फाइल २६ तारीख को भेज दी थी और आप उसे देख नहीं सकते। आप पी.ए.साहब से मिलिये। पी. ए. साहब ने भी मुझे उसी कोठरी में बैठा दिया। आधे घंटे बाद पी. ए. साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि वह तो सेक्रेटरी साहब के पास है, उसके मुतालिक मैं कुछ नहीं कह सकता, आपको हम लिख कर भेज देंगे। उस बात को आज ६ महीने हो गये किन्तु कोई जवाब नहीं आया।

फिर उसी सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री महोदय से मिला और उन्होंने सूचना दी कि आपने जो वकील सरकार की तरफ से मुकदमा लड़ने के लिये मुकर्रर किया है वह तो मोनोपोली के केस को कन्डक्ट करवाने में वकील रह चुका है, वह आपको किस तरह से फायदा पहुंचा सकता है, वह सरकार की तरफ से मोनोपोली के खिलाफ कैसे लड सकता है, वह सरकार का कैसे भला करेगा? इस पर मंत्री महोदय ने मुझे कहा कि आप लिखकर दे दीजिये। मैंने लिखकर दे दिया; लेकिन आज उसको चार-पांच महीने हो गये। वह वकील नहीं बदला गया, दूसरा वकील मुकर्रर नहीं किया गया और गवर्नमेंट को लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है, जिसको मैं साबित करने को तैयार हूं। अगर आज इन्क्वायरी बिठाई जाय तो मैं साबित कर सकता हूं कि गवर्नमेंट को करीब २५ लाख रुपये का नुकसान हो गया। लेकिन कोई ध्यान नहीं देते हैं..........

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ)—ओन ए पाइन्ट ऑफ इन्फर्मेशन, सर। यह कौन से मिनिस्टर साहब की बात है?

श्री दिलीपसिंह—उद्योग और कॉमर्स मिनिस्टर साहब की।

यह जो छूट देने के लिये राजप्रमुख साहब ने फरमाया है कि इस तरह से स्केयरसिटि एरियाज़ में, जहां अकाल था, कभी बरसात व टिड्डियों की वजह से छूट दी गई है, उसके मुताल्लिक मैं अर्ज करूंगा कि कोटे में पिछले साल बारिश नहीं हुई थी, यह इससे पहले साल की बात थी। इसके मुत्तल्लिक बहुत झगड़े के बाद बड़ी मुश्किल से इन्क्वायरी के लिये मिनस्टिर साहब पधारे और उन्होंने तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के कलेक्टरों, एस. डी. ओ. साहबान को यह तय करने के लिये बुलाया। जो कुछ भी हमने तजबीज रखी थी वह बड़े बहस व मुबाहसे के बाद मंजूर कर ली गई। उन्होंने छूट देने के सिद्धान्त को कायम रख दिया, लेकिन इसमें तीन महीने लग गये। लगान पूरा वसूल हो गया। लोग चिल्लाते रहे और कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर में जैसे तैसे रो-झींक कर वह किया गया, लेकिन जैसी कि कहावत मशहूर है कि "काया ही जानती है" सो जिस तरह से छूट दिलवाई गई है उसको हम ही जानते हैं।

[श्री दिलीपसिंह]

इसके आगे यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स चलाये गये हैं इसके मुतल्लिक सरकार चाहती है कि पब्लिक उनको सहयोग दे । यह बेशक हमारा फर्ज है । यह जनता के हित में है, और हमारा फर्ज है कि हम सरकार को सहयोग दें । किन्तु बड़े अफसोस की बात है कि हम जनता के नुमायन्दे समझे जाते हैं और अपने अपने इलाके की हालत से वाकिफकार समझे जाते हैं, फिर भी जिस वक्त मुकर्रर किये गये थे उस वक्त हमसे हमारी सलाह लेने की जरूरत नहीं समझी गई। उस वक्त सरकार ने सलाह नहीं ली। जहां इसके सिद्धान्त के विपरीत यानी जो इलाका सबसे पिछड़ा हुआ है उसमें पहले मदद दी जानी चाहिये, हमारे यहां जो आगे बढ़े हुए इलाके थे उनको अपना लिया गया । क्योंकि वहां उनके मिलने जुलने वाले आदमी थे और पिछड़े हुए इलाकों को छोड दिया गया (शर्म—शर्म)। अपने मिलने वालों का स्वार्थ पूरा करने के लिये हमसे यह चाहा जा रहा है कि हम उनको मदद दें ।

इसी सिलसिले में मैं चम्बल प्रोजेक्ट के बारे में कहूंगा । केन्द्रीय सरकार को इसके लिये बेशक हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने चम्बल को मौजूदा ५ साल के प्लान में रख लिया है। लेकिन उस पर जो ३८ लाख रूपये खर्च हो चुके हैं उस ३८ लाख रूपये की रकम में से, मैं चेलेन्ज करता हूं कि १० लाख रुपये से ज्यादा किसी कन्स्ट्रक्शन वर्क पर खर्च नहीं हुए। २८ लाख रुपये, मैं चेलेन्ज करके कह सकता हूं कि बहुत सारा रुपया काम करने वाले खा गये (शेम-शेम)। गत अधिवेशन में मैंने एक सप्लीमेन्टरी सवाल किया था। उस वक्त मंत्री महोदय ने कहा था कि "आपका केवल ख्याल है, खर्च ज्यादा नहीं हुआ है"। मैं चेलेन्ज करके कहता हूं कि जो ३८ लाख रुपये खर्च हुए हैं, यदि तहकीकात करायें कि कितना कन्स्ट्रक्शन वर्क पर खर्च हुआ और कितना वेस्ट हुआ है.... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री देवीसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरा टाइम आपको (श्री दिलीपसिंह को) देना चाहता हूं।

श्री श्रीदासगोयल—मैं अपने नाम को वापिस लेकर अपने बुजुर्ग मित्र को समय देना चाहता हूं।

श्री दिलीपसिंह—(अपना पूर्व भाषण जारी रखते हुए) उसके बाद शिक्षा के मुतल्लिक कुछ अर्ज करना है। प्राइमरी स्कूल खोलने की बहुत ज्यादा जरूरत है लेकिन प्राइमरी स्कूल बहुत कम खोली गयी हैं। सरकार से तादाद बढ़ाने के लिए कहा जाता है तो उनका जवाब तसल्लीबख्श नहीं होता है और न तसल्लीबख्श होगा। इसके लिए बड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि प्राइमरी स्कूलों से हमारे राष्ट्र, हमारी जनता की बुनियाद कायम रहती है, और उसी से राष्ट्र आगे बढेगा। जब हम अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र मजबूत बने, हमारे बच्चे अच्छे खयालात के बनें तो न सिफ अपनी शिक्षा की प्रणाली को बदलना चाहिए, बल्कि प्राइमरी स्कूल्स ज्यादा से ज्यादा खोलने की जरूरत है। शिक्षा का ढंग भी बदलने की जरूरत है जिससे कि हमारे बच्चे कॉलेजों से पास होकर बेकार नहीं बन जायं और सरकारी नौकरी नहीं ढूंढते फिरें, बल्कि कमाने-खाने लायक बन सकें । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि आयन्दा इतना कमजोर बजट तालीम के सिलसिले में नहीं रखे, बल्कि इससे ज्यादा से ज्यादा फंड देने की कोशिश करे ।

[श्री दिलीपसिंह]

अब में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मुताल्लिक अर्ज करता हूं । हमारे कोटा की म्युनिसिपैलिटी, जिसका कि फन्ड बडा अच्छा था और जो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही थी, को यहां की सरकार ने, कुछ स्वार्थी व्यक्तियों के हित में, तोड़ दिया और तोड़ने पर जब उन्होंने हाई कोर्ट में केस किया तो हाई कोर्ट ने म्युनिसिपैलिटी को बहाल कर दिया । लेकिन अपनी इस शर्म को मिटाने के लिए सरकार ने मामूली वाकयात को लेकर उस कमेटी को दुबारा भंग कर दिया । में यह अर्ज करूंगा कि उस म्युनिसि-पैलिटी से कहीं अधिक, और बहुत सी म्युनिसिपेलिटियों में, बड़ी गड़बड़ियां हो रहीं हैं । यह जो वाकयात उन्होंने बतलाये हैं, अपने आक्षेप में, बिल्कुल मामूली से वाकयात हैं । उन वाकयातों की आड़ लेकर अगर म्युनिसिपैलिटीज इस तरह से तोड़ी जायगी तो यह जो डेमोक्रेसी का, आजकल का जो मौजूदा जमाना है, उसके अनुकूल नहीं है । ४०–५० साल के पुराने, यू. पी. या पंजाब की म्युनिसिपेलिटियों के जो कानून हैं उनके आधार पर आजकल उनका इन्तजाम किया जाता है, और आज इस वक्त जो डेमोक्रेसी है, जिससे गवर्नमेंट बदली गई है, खयालात बदले गये हैं, तो उनके प्रति, लोगों के प्रति ५० साल पुराने कानून से जहां यह इन्तजाम किया जाता है तो वह ठीक नहीं है । में प्रार्थना करूंगा सरकार से कि वह म्युनिसिपैलिटियों के मुताल्लिक कानून को बदले ही नहीं, बल्कि अपनी जहनियत को भी बदले और उनको अपनी डिक्टेटरशिप को चलाने के लिये जनता को रैयत नहीं समझले ।

आगे चल कर मुझे यह अर्ज करना है कि जिन लोगों को सर्विस से अलहदा कर दिया, उनकी सर्विस पूरी नहीं हुई, पेन्शन नहीं हुई, फौजी हैं उनको डिस्बेन्ड कर दिया गया । वे लोग बिचारे मारे मारे बेरोजगारी में फिर रहे हैं । सरकार उन पर किसी तरह से ध्यान दे, क्योंकि इससे असन्तोष फैलता है, और सरकार ही इससे बदनाम होती है । उन लोगों को सरकार किसी ना किसी तरह से सहायता दे, जहां तक हो सके उनको रोजगार मुहैया करे ।

शरणार्थियों को जो आबाद किया गया है उनकी अन्तरंग हालत देखेंगे तो उनकी ज्यादा से ज्यादा तादाद ऐसी मिलेगी जो रो रहे हैं, जो बेदसी की, मुसीबतों की हालत में रह रहे हैं । क्या हो गया अगर उनको १००), २००) या ५००) रु०, धंधा चलाने के लिये, दे दिये ? अब उनसे कहा जा रहा है कि किश्तों में वापस जमा करो । वे तो वह रुपया खा गये । उनके पास है क्या देने के लिए ? वे चिल्ला रहे हैं कि हमें पेट पालने के लिये कुछ दिया जाय, रहने के लिए कोई आसरा दिया जाय । हमारी सरकार पर उनकी जिम्मेदारी है । वे लोग हमारी गलत या सही नीति के शिकार हुए हैं । उनको अपना घर छोड़ कर आना पड़ा । जब वे अपनी जायदाद छोड़ कर आये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको बसायें, उनको अपनी जिन्दगी बसर करने के लिये सहारा दें। यह अर्ज करना है ।

आगे जाकर में सिर्फ........(समय समाप्ति सूचक घंटी).......यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे अपने भाई थोड़े से जो इस सदन में हैं........

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ)–में निवेदन करूंगा कि जब आपने २–२ का टाइम लिया है

श्री दिलीपसिंह—बस मैंने खत्म कर दिया, एक मिनट में ।

हमारी सरकार से प्रार्थना करता हूं कि जो राजप्रमुख महोदय ने यह कहा कि गुटबन्दी नहीं होनें चाहिये, अपनें अपने इलाके, रीज्यन (region) को नहीं देखते हुए, इस गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा सहायता और कोआपरेशन दें तो उसके मुताल्लिक मेरा यह अर्ज करना है कि काबे से ही कुफ़ पैदा होने लग जायगा तो मुसलमानी कहां रहेगी । हमारी सरकार भी इस भावना से ऊंची नहीं है और जब जब भी मंत्रि मंडल बनाने का सवाल आया तो उन्होंने अपने अपने 'यस मैन' को मंत्रि मंडल में लिया । चाहे किसी में लियाकत हो या नहीं, चरित्र किसी का भी कितना ही बिगड़ा हुआ हो, पब्लिक उनको पसन्द करो या नहीं, लेकिन चूंकि वे उनके 'यस मैन' हैं इसलिये उनको लिया जा रहा है । उनको अपनी मनोवृत्ति बदलनी चाहिए । अगर वे राजस्थान के काबिल से काबिल आदमियों का मंत्रि मंडल बनाना चाहते हैं तो इस दल से ही नहीं, मैं यह आशा करता हूं कि, अपोजिट पार्टी विरोधी दल के (सरकारी भाई भी उनकी सहायता करेंगे (आवाजें "जरूर जरूर") हम राजस्थान की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यहां आये हैं । हम यहां महज स्पीच देने के लिए तो नहीं आये हैं । हमारा फर्ज राजस्थान की हालत को सुधारने का है । और उसकी ज्यादा से ज्यादा हालत ठीक हो, यही हम सब चाहते हैं ।

इन शब्दों के साथ, मैं यह अर्ज करूंगा कि राजप्रमुख साहब को धन्यवाद दिया जाय ।

श्री भैरूंसिंह (दांतां रामगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष, श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण पर कुछ कहने से पहले मैं सदन के एक सदस्य के नाते एक गंभीर परिस्थिति को आप लोगों के सामने, प्रस्तुत करने के लिये अपने आपको उत्तरदायी समझता हूं । इस गंभीर परिस्थिति को यदि मैं माननीय चीफ मिनिस्टर या डि० चीफ मिनिस्टर की उपस्थिति में सदन के सामने प्रस्तुत करता तो ज्यादा अच्छा व लाभदायक सिद्ध होता; लेकिन मुझे अफसोस है कि चीफ मिनिस्टर और डि० चीफ मिनिस्टर दोनों ही सदन में उपस्थित नहीं हैं (आवाज 'सदन के बाहर हैं") । पर मुझे जो यह अवसर प्राप्त हुआ है, इस अवसर को मैं, उनके अनुपस्थित होने के कारण, हाथ से नहीं जाने दूंगा । अब मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि यह गंभीर परिस्थिति क्या है । वह गंभीर परिस्थिति राजस्थान में जातीयता के आधार पर प्रान्त के बनाने की है । इस बात का ज्यादा विश्लेषण करने के पूर्व मैं सदन के नेता, उप नेता, विरोधीदल के नेता, कुछ विरोधी दल के साथियों और कुछ कांग्रेसी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मुमकिन हो मेरा कहना बहुत ठीक प्रतीत हो और मेरे कहने में तथ्य हो और आप इस वाके से दूर हों तो आप अपने आपको इससे दूर समझें और बुरा न मानें ।

यह जातीयता के आधार पर दूसरा प्रान्त बनाने की भावना कैसे जागृत हुई और इसको किसने प्रोत्साहित किया और अब यह भावना कैसे जागरूक होगी, इसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधान मंत्री ने जब से आंध्र प्रान्त को भाषावार प्रान्त बनाने की आंध्रवासियों की मांग को स्वीकार किया उस दिन से जातीयता के आधार पर प्रान्त बनाने वालों की भावनाएं ज्यादा बढीं । राजस्थान में वह प्रान्त कैसा बनेगा और कौन बनावेगा और किस प्रकार से बनेगा इसकी राजस्थान के मंत्रियों को कोई आशा नहीं होगी । और न कोई विरोधी दल में ऐसा व्यक्ति होगा जो इसकी आवश्यकता महसूस करेगा ।

[श्री भैरूंसिह (दांता रामगढ़)]

जातीयता के आधार पर कौनसा प्रान्त बनेगा : वह प्रान्त बनेगा सीकर, झुन्झुनु, चूरू, नागोर और जयपुर में बैराठ तहसील और उसका नाम होगा जाटिस्तान। उपाध्यक्षजी, यदि इस संबन्ध में राजस्थान के मंत्री महोदय किसी प्रकार की इन्क्वायरी कराना चाहें तो मैं ऐसे लोगों के पत्र आपके सामने पेश कर सकता हूं जो जाटिस्तान बनाने के पक्ष में हैं और करीब करीब जिम्मेदार हैं। उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है और उनके समाचार अखबारों में भी प्रकाशित हुए हैं

× × × ×

मैं यह कहना चाहता हूं कि इन ५ जिलों में मार्शलिज्म है क्योंकि वहां का जलवायु ही ऐसा है और इस कारण दूसरे जिलों से यहां के रहने वाले मजबूत हैं और यहां पर जाटों की संख्या भी ज्यादा है। इन लोगों के मार्शलिज्म का उपयोग जातीयता के आधार पर भड़काया जाकर किया जा रहा है। मैं जानता हूं कि यहां जाटों की आबादी ज्यादा है और कुछ स्वार्थी लोग ऐसा करना चाहते हैं। कुछ कॉम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी इनके साथ हैं जो इनसे बुरा काम करवा कर आगे लाने को तैयार हैं और आगे लाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस जाटिस्तान बनाने की योजना के अंतर्गत किसान नेताओं के समय समय पर जो भाषण हुए हैं उनके कुछ अंशो को पढ़ कर सदन के सामने सुनाता हूं और आशा करता हूं कि सदन उस पर अवश्य गौर करेगा।

एक किसान नेता ने अभी एक स्पीच दिया था जिसमें कहा था "जागीरदारी प्रथा को कांग्रेस ने खतम किया और जागीरदारों व उनके समर्थकों को किसान सभा खतम करेगी। यदि मेरे पास इस वक्त दो हजार वॉलन्टियर्स हों तो ठिकानों के मकानात के कंकर कंकर बिखेर देता।"

इसके ५ दिन पश्चात् दूसरे नेता का भाषण हुआ है उसमें उन्होंने कहा है :—

> "राजस्थान का मुख्य मंत्री× × × ×था कि उसने सूरजभान जैसे वीर डकैत को फांसी की सजा दिलाई। यदि मैं मुख्य मंत्री होता तो उसकी बहादुरी की तारीफ करता और राजस्थान आर्मी का उसको कमान्डिग बनाता।"

कुछ दिन के पश्चात् एक जाट नेता यह कहते हैं :—

> "तहसील के व निजामत के लोग आये दिन लगान वसूली गिरदावरी व अन्य कई कामों के लिये कानूनकारों के पास आते रहते हैं। काश्तकार इससे परेशान हैं। इस लिये आयन्दा कोई इस प्रकार कर्मचारी आते हैं तो उन्हें ठोको, पीटो, कागज जला देवो; ताकि सब दिक्कत दूर हो जाए।"

××××श्री अध्यक्ष की आज्ञा से हटाये गये।

[भैरूसिंह (दांता रामगढ़)]

उसके बाद उसी दिन एक नेता ने कहा :

"काश्त करने का हक़ तुमको है, ग़ैर जाटों को काश्त करने का हक नहीं है ; इसलिये उनकी जमीनों पर जबरन कब्जा कर लो।"

इसके कुछ दिन बाद एक सदस्य इस तरह से कहते हैं :

"जिस तरह से मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के नेताओं की ताकत को चैलेंज करके पाकिस्तान बनाया उसी तरह जाटिस्तान बनाना कोई मुश्किल नहीं। कांग्रेस में भी कुम्भारामजी, पी.सी.सी. में अध्यक्ष होने वाले हैं वहां पर अपना पूरा कब्जा रहेगा"।

उनका यह कहना जनतन्त्रवाद को खतम करने वाला है।

अध्यक्ष महोदय, ये अलग अलग पार्टियें किस तरह से अपना काम कर रही हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज इस वक्त मौजूदा सरकार तुच्छ मेजोरिटी पर चल रही है। हो सकता है कि आज जाट नेताओं को खुश रखने के लिये उनकी जांच न की जाए। बहुत मुमकिन है कि उनको खुश करने के लिये इन सारी की सारी वारदातों को बर्दास्त किया जावे। मगर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन लोगों ने राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री हीरालाल शास्त्री को धोखा दिया, जिन लोगों ने श्री टीकाराम पालीवाल को धोखा दिया ; ये ही लोग मौजूदा चीफ मिनिस्टर को भी इसी प्रकार से धोखा देंगे और हमें भय है कि कहीं उनकी भी वही हालत न करदें और राजस्थान को विकट स्थिति में न डालदें।

कॉंग्रेस सरकार, जो अपने आपको जातीयता से दूर कहती थी उसने तो जातीयता को अपना लिया है। मगर कॉम्युनिस्ट लोग जो यह कहते हैं कि वे जातीयता के खिलाफ हैं वे ही लोग आज आंध्र प्रान्त के लिये यह कहते हैं कि जातीयता के आधार पर प्रान्त बनाये जावें और ऐसा न करने पर सरकार के खिलाफ अपना असंतोष प्रकट करते हैं। मैं यह आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि यदि ऐसा हुआ तो राजस्थान अलग-अलग टुकडों में बंट जाएगा; क्योंकि कॉम्युनिस्ट चाहते है कि इसके टुकडे हों। सारे राजस्थान को निगलना उनके लिये मुश्किल होगा और अगर कोई हिम्मत करके निगल भी गया तो हजम करना मुश्किल होगा। नतीजा यह होगा कि पेट फट जाएगा आप भी मरेंगा और देश का भी नुकसान करेगा।

मैं यह कहूंगा कि मौजूदा परिस्थिति में किसान नेताओं ने एक तरफ कांग्रेस से हाथ मिला रखा है यानि कांग्रेस की चोटी जाट नेताओं ने पकड़ रखी है और दूसरी तरफ उन्होंने कॉम्युनिस्टों से हाथ मिला रखा है। मगर वास्तव में देखा जाए तो कॉम्युनिस्टों और किसानों में आपस में बहुत भारी मत-भेद है। अपने अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए जाटों ने कॉम्युनिस्टों की चोटी पकड़ रखी है और कॉम्युनिस्टों ने जाटों की चोटी पकड़ रखी है। अब देखना यह है कि किसकी चोटी किसके हाथ आती है और किसका सर खाली होता है।

[श्री मरूंसिंह (दांता रामगढ़)]

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का कोई ऐसा मन्त्री नहीं है, सिवाय मुख्य मन्त्री के, जिनसे मैंने तथा और कई लोगों ने इस संबन्ध में बातें न की हों और उनमें से सब लोगों ने इस बात को महसूस किया और कहा कि इससे बड़ी भयंकर स्थिति पैदा होने वाली है ; परन्तु क्या किया जाय इसके लिये कोई चारा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय, इजेक्टमेंट ऑफिसर से लेकर, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ऑफिसर को हमारे इधर के इलाकों में भेजा गया है जो खुल्लमखुल्ला जाटों का पक्ष लेते हैं। अगर आप जांच करवाना चाहे तो सी. आई. डी. के लोगों को भेज कर देखा जाय तो मालूम हो जायगा कि वह ऑफिसर खुल्लमखुल्ला कहते हैं कि हम लोग यहां पर कोई न्याय करने या दूसरा काम करने के लिये नहीं आये हैं, हम तो यहां पर जाटों का पक्ष लेने के लिये आये हैं । कलेक्टर साहब को यह सब बातें मालूम हैं, पर वह कहते हैं कि क्या करें ?

दिनांक ४ सितम्बर, १९५२ को जब कि हरिजन दिवस मनाया गया तो रामगढ़ तहसील के एक गांव के सवर्ण हिन्दुओं ने हरिजनों से मिल कर हरिजनों को मंदिर में प्रवेश कराया, उनका सत्कार किया, और उनसे हिले मिले। इसका नतीजा यह हुआ कि उन लोगों ने देखा कि इस तरह हरिजन और सवर्ण हिन्दू मिल रहे हैं, इन लोगों की ताकत बढ़ रही है, तो उन्होंने हरिजनों का बहिष्कार कर दिया। इसकी इत्तला तार द्वारा सरकार को दे दी गई। हरिजनों से जबरदस्ती कई रोज तक काम लिया गया और उनको इसका एवजाना नहीं दिया गया। वहां के लोग अकसर जय गोपीनाथजी की करते हैं, ऐसा आम रिवाज है। जिस मंदिर में हरिजनों ने प्रवेश किया वह गोपीनाथजी का मंदिर है, इस लिये जिस दिन से हरिजनों ने उस मंदिर में प्रवेश किया उसी दिन से जाटों ने "जय गोपीनाथजी" करने के बजाय 'जय बालाजी की" कहना शुरू कर दिया और कहते हैं कि गोपीनाथजी को हरिजनों ने अपवित्र कर दिया। ऐसी है उनकी भावना ।

हरिजनों के साथ जो ज्यादती हो रही है उसको देखने वाला कोई नहीं है। यदि उनकी इस बात को प्रोत्साहन दिया गया तो एक ऐसी विकट समस्या राजस्थान के सम्मुख खड़ी हो जायगी जिसका कोई हल नहीं हो सकेगा। आप भले ही आर्थिक समस्या का हल निकालने में कामयाब हो जायँ, चाहे अन्न समस्या का हल निकालने में कामयाब हो जायँ या और जो छोटी मोटी राजस्थान की समस्याएं हैं उनका हल निकालने में कामयाब हो जायँ, लेकिन इस भावना को प्रोत्साहन देने से, जो जातीयता के आधार पर होने वाले प्रान्त की समस्या खड़ी होगी, कोई हल नहीं हो सकेगा और उसको कोई नहीं रोक सकेगा ।

मैं इस सदन के सामने यह निवदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जातीयता के आधार पर जो इन लोगों की जाट प्रान्त बनाने की योजना है उसके सम्बन्ध में कोई भी सदस्य जानना चाहें तो मैं इसको साबित करने को तैयार हूं ।

एक सदस्य (राजकीय पक्ष)—जो मेरे माननीय सदस्य यह सब बातें कह रहे हैं, क्या उनके पास प्रमाण हैं जो वह सदन में ऐसा वातावरण पैदा कर रहे हैं ?

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—यदि मेरे मित्र कान खोल कर सुनते तो उनको मालूम हो जाता कि इन बातों के प्रमाण हैं।

श्री ईश्वरी सिंह—क्या आज का विषय जाट-राजपूत समस्या का है जो माननीय सदस्य इस पर लेक्चर दे रहे हैं, यहां जाट राजपूत समस्या है कि असेम्बली है ?

× × × ×

(श्री उपाध्यक्ष ने समय समाप्ति की सूचना दी)

उपाअध्यक्ष महोदय, मैंने एक गंभीर समस्या को लेकर भाषण दिया है, मुझे भी थोड़ा और समय दिया जाय ताकि मैं इस पर पूरी तरह से प्रकाश डाल सकूं।

× × × ×

श्री भोलानाथ—मैं चैलेंज करता हूं कि आप इस बात को सावित करें, आप कब पेश करेंगे ? मैं अध्यक्ष महोदय से अर्ज करूंगा कि हाउस में इस तरह के खुले चार्जेज लगाये जायं इसके बाबत कोई तरीका तय हो जाना चाहिये।

(श्री अध्यक्ष पदासीन)

(श्री भैरूंसिंह ने बोलने का उपक्रम किया)

श्री भोलानाथ—अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्य इस तरह के भाषण कर रहे हैं जिनमें सदन के सदस्यों पर, खास तौर से मंत्रियों पर, खुले चाजज लगाये गये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इसका कोई तरीका तय हो जाना चाहिये कि इस प्रकार के जो चार्जेज लगाये जायं उनकी कार्यवाही हो। अभी जो माननीय मित्र भाषण दे रहे हैं उनकी बातों के लिये मैं चैलेंज करता हूं और आपसे अर्ज करता हूं कि इस प्रकार के चैलेंज स्वीकार करने के लिये कुछ तय हो जाना चाहिये जिससे कि ऐसी बातों का निर्णय हो सके। अगर इस तरह के गैर जिम्मेवारान भाषण होते रहे तो इसका आम लोगों और अखबार वालों पर बुरा असर पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—(श्री भैरूंसिंह को सम्बोधित करते हुए) क्या आप अपना भाषण समाप्त कर चुके।

××××श्री अध्यक्ष की आज्ञा से हटाया गया।

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ़)--मुझे और समय दिया जाय क्योंकि कइयों को आधा आधा घंटा दिया गया है।

श्री अध्यक्ष--कइयों को एक घंटा दिया गया है, उससे क्या ? यह बहुत खेद का विषय है कि माननीय सदस्यों को इस बात की याद दिलाने की जरूरत पड़ती है कि उनको बहस का स्तर कुछ ऊंचा रखना चाहिये और किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप न किये जायं। हमें इस बात के लिये सदा जागरूक रहना चाहिये कि बहस का स्तर हमेशा ऊंचा और व्यक्तिगत बातों से ऊपर उठा हुआ हो। मैं समझता हूं कि जो सदस्य श्री राजप्रमुख के भाषण पर बोल रहे हैं उनको यह भी समझना चाहिये कि श्री राजप्रमुख के भाषण पर बोलने की भी मर्यादाएं होती हैं। उनके लिये यह बात ऐसे स्तर पर आ जाती है जिस पर विशेष कहने की जरूरत नहीं।

श्री भैरूं सिंह--अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह आज्ञा मांगूंगा कि यदि कहें तो सबूत · ·

श्री अध्यक्ष--Order, Order. you should come to the point.

श्री भैरूं सिंह--श्री राजप्रमुख ने अपने भाषण में जिक्र किया कि "नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और पंचायतों जैसे स्थानीय प्रशासनों को ऐसी ही प्रगतिशील नीति का अनुसरण करने को उत्साहित किया जा रहा है। सरकार के सम्मुख पांच हजार प्राणियों से ऊपर की जनसंख्या वाले प्रत्येक नगर के लिये एक नगरपालिका स्थापित करने का लक्ष्य है।"

× × × ×

श्री कंवरलाल जेलिया--अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण पर वाद-विवाद चल रहा है। इस समय मैं भी अपने विचार सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं काफी देर से सुन रहा हूं कि वामपक्ष की ओर से कई साथियों ने कई तरह की बातें इस भाषण पर कहीं; सांप्रदायिकता फैलाने व जातिस्थान कायम करने आदि की बातें और इससे मालूम पड़ता है कि राजस्थान में शान्ति के वातावरण को खतरा है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मेरे माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि आप और हम यहां पर कई जिम्मेदारी के प्रश्नों पर विचार करने के लिये आये हैं, यदि हमें राजस्थान की समस्याओं को सुलझाना है तो इसके लिये आवश्यक है कि हम छोटी छोटी बातों को दूर करें, इसके लिये हमें अपना दृष्टिकोण ऊंचा रखना चाहिये।

राजस्थान की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है यह आप सबको विदित ही है और राजप्रमुख ने अपने भाषण में भी यही बात कही है। सरकार पर कीचड़ डालने से या उसकी मशीनरी से असन्तुष्ट होने से काम चलनेवाला नहीं है। इस आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये हमें सोचना होगा। यहां एक पार्टी की गवर्नमेन्ट है, आप यह मानते हैं किन्तु वास्तव में यह मौजूदा गवर्नमेन्ट जनतन्त्रीय बहुमत की

××××श्री अध्यक्ष की आज्ञा से हटाया गया।

[श्री कंवरलाल जेलिया]

गवर्नमेन्ट है और इसके बाद आपका और दूसरी पार्टी का कर्तव्य हो जाता है कि राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये कंधे से कंधा मिला कर चलें और जो गलतियें हुई हैं उनको सुधारें। यह बात नहीं है कि आपके सुझावों का स्वागत नहीं किया जायगा।

मैं अब कानून और व्यवस्था पर प्रकाश डालूंगा। इस सदन में हम सबसे पहले पिछले मार्च में इकट्ठे हुए थे। उस समय राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी असन्तोषजनक थी और सब जगह डर फैल रहा था। किन्तु सन्तोष का विषय है कि इस मौजूदा सरकार ने कानून व्यवस्था में काफी तरक्की की है। कई कुख्यात डाकूओं को मौत के घाट उतारा। इसमें संदेह नहीं कि अब भी कई डाके राजस्थान के कई डिवीजनों में अशान्ति पैदा कर रहे हैं अब भी कई जगह डाकू लोग डाके डाल रहे हैं। पिछले दिनों कोटा डिवीजन के शाहाबाद तहसील में एक सेठ को डाकू उठा कर ले गये; यह आपको, हमको और सरकार को चुनौती है। यदि इनको ठीक नहीं कर सकते तो आपका और हमारा यहां आना कोई माने नहीं रखता। सरकार ने जो प्रशंसा के कार्य किये हैं उनकी प्रशंसा अवश्य करनी चाहिये। बहुत से आलोचना करने के विषय हैं उन पर स्वस्थ आलोचना करनी चाहिये। कानून व्यवस्था में सरकार ने जो तरक्की की है उसके लिये वह सचमुच धन्यवाद की पात्र है। अब मैं आपका ध्यान दूसरी ओर दिलाना चाहता हूं।

मैं खाद्यस्थिति के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, यह आपसे छिपा हुआ नहीं है। मैं आपको कोटा डिवीजन की बात कहना चाहता हूं जहां कि गत वर्ष पानी न बरसने की वजह से उन्हालू फसल को काफी नुकसान हुआ था। इसम कोई सन्देह नहीं है कि राजस्थान सरकार ने कई तहसीलों, बड़ोद, मांगरोल आदि जगहों में लगान में छूट दी है। लाखों रुपयों की राजस्व कर में कमी करने से किसानों को राहत पहुंची है। हां, यह सवाल अलग है कि राज्य कर्मचारियों की वजह से किन्हीं मामलों में गलती हुई हो तो उनकी तो जांच हो सकती है। मैं यह मानने के लिए कदापि तैयार नहीं हूं कि इस ओर राजस्थान सरकार का ध्यान नहीं है।

दूसरी बात की ओर जो म आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह है सहकारिता के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने सहकारिता के नियमों को मान लिया है और पिछले अधिवेशन में भी इस सम्बन्ध में एक बिल आया था और इसे हम स्वीकार कर चुके हैं। राजस्थान की कृषि को सुधारने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा एक बैंक खोला जा रहा है जिसकी कि हमारे यहां बड़ी आवश्यकता है। इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से भी सहायता मिलेगी और इस बैंक से किसानों को आर्थिक मदद भी मिल सकेगी।

तीसरी बात मैं आपको राजस्थान रारकार द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं उनके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। ये हमारी प्रयोगात्मक योजनाएं चल रहीं हैं। इनसे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, इसमें सन्देह नहीं। मैं आपको बारां के कम्युनिटी प्रोजेक्ट का उदाहरण देता हूं। इससे

[श्री कंवरलाल जेलिया]

काफी लोगों को राहत मिली है । यहां हम लोग भाषण तो देते हैं किन्तु रचनात्मक निर्माण की ओर ध्यान नहीं देते हैं । इसी सामूहिक केन्द्र में कुन्जेड का चोव उसके आस पास है । गांव के किसानों ने अपनी महनत से ६ मील लम्बी एक सड़क बनाई है । जनता चाहती है कि वे सरकार के कामों में सहयोग दें, किन्तु हम लोग यहां केवल राजनैतिक खींचातानी के लिए भाषण करते हैं । हमें निर्माण के कार्यों की ओर भी ध्यान देना चाहिये और सरकार को सहयोग देना चाहिये । केवल कीचड उछालने से काम नहीं चलने वाला है । हम पर जिम्मेदारी है पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिए । यह योजना हमारे सामने है । इसमें सन्देह नहीं है कि इसमें जब राय ली गई थी तो दूसरी पार्टियों के सदस्य भी मौजूद थे। यह सन्तोष का विषय है कि चम्बल योजना को भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया है । मैंने कल एक सदस्य का भाषण सुना । उन्होंने कहा था कि यदि चम्बल योजना सफलीभूत हो सकी तो कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला है । मैं आपका ध्यान इस ओर दिला देना चाहता हूं कि चम्बल योजना राजस्थान के मानचित्र को ही बदल देगी । इससे नहरें निकलेंगी जिनसे आस पास के इलाकों की जमीनों की सिंचाई हो सकेगी और उस सिंचाई से राजस्थान की आर्थिक हालत भी बदलेगी । इस योजना से बिजली पैदा होगी, जिससे आस पास के इलाकों में उद्योग-धन्धे पनपेंगे और इससे राजस्थान के उद्योग में प्रगति होगी । यह बात अलग है कि कूओं के लिए कितनी रकम देते हैं । वह आवश्यकतानुसार अवश्य मिलनी चाहिये । दुनिया के राष्ट्रों को देखिये। उनका विकास इसी चीज पर हुआ है । ट्यूब वेल्स की जहां जहां आवश्यकता है, सरकार का ध्यान इस ओर है । चम्बल का जो प्रश्न हमारे सामने है उसमें आर्थिक सहायता की भी आवश्यकता है । मैं निवेदन करूंगा कि आर्थिक सहायता देने के लिए हमें सरकार की मदद दिल से करना चाहिये । और सरकार की ओर से योजनाएं जो आती हैं वे हमारी ही योजनाएं हैं ऐसा हमको मानना चाहिए । आज एक पार्टी की सरकार है तो कल दूसरी पार्टी की सरकार आ सकती है ; किन्तु हमें ऐसी योजनाओं में सहयोग देना चाहिये ।

इसके साथ साथ स्वायत्त शासन के मामले की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और साथ ही ग्राम पंचायतों की ओर भी आपका ध्यान दिलाऊंगा । इन में आम जनता के हित की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये ; ताकि रामराज्य की जो कल्पना हम कर रहे हैं वह भावना कार्यान्वित हो सके ।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री छतरसिंह—श्रीमन् राजप्रमुख अपना भाषण देने यहां तक आये, इसके लिए तो मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा, पर उन्होंने अपने अभिभाषण में पब्लिक के हित की जो बातें बताई हैं वे, चूंकि ठीक नहीं हैं, इसलिए उनके भाषण के लिए धन्यवाद देना मेरे खयाल में तो ठीक नहीं है ।

लॉ और ऑर्डर के सिलसिले में जो सन्तोषजनक स्थिति होने की बात कही गई है उस पर इतना तो म कह सकता हूं कि हालत कुछ सुधरी जरूर है। इस दृष्टि से वे कुछ धन्यवाद के पात्र

[श्री छतरसिंह]

भी हैं लेकिन डकैतियों की एवज में चोरियों की जो वृद्धि हो रही है वह बड़ी कष्टदायी बात है । हमारे यहां की तहसीलों में चोरियों की इतनी भयंकर वृद्धि हो रही है कि वहां के लोग व्याकुल हैं । इनमें से कुछ गांव चोरियों के लिए हमेशा से विख्यात हैं । महाराजा जसवन्तसिंह जी के टाइम में सर प्रतापसिंहजी ने इस स्थिति को सुधारने के लिए काफी प्रयत्न किया था और स्थिति बिलकुल ठीक हो गई थी । पर आज सरकार की ढिलमिल नीति से, और उस स्थिति को मजबूती से हेंडिल नहीं कर सकने से, सरकार की इस कमजोरी का फायदा उठा कर फिर जगह जगह चोरियां शुरू हो गई हैं । ये चोरियां ही नहीं करते बल्कि गांवों से चौथ भी वसूल करने लगे हैं । और कोई गांव अगर चौथ नहीं देता है तो उनके मवेशियों को चुराकर ले जाते हैं ।

अभी अभी १५ दिन पहले की बात है कि कई गांवों में चौथ देने का प्रचार हुआ और जिसने चौथ नहीं दिया उस गांव से बैलों की जोड़ी चुराकर ले गये । हमने इस सम्बन्ध में लिखित आवेदन दिये पर सरकार अभी तक भी इन चोरियों को रोक सकने में असमर्थ है । इससे वहां की जनता में आतंक फैलता है । इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह अपनी पुलिस को भी इस मामले में सख्ती से हिदायत करे ।

मैंने लोगों से कहा कि अपने इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में क्यों नहीं करते और पुलिस की मदद ऐसे मामलों में क्यों नहीं लेते ? पर वे कहते हैं कि पुलिस भी हमारी मदद नहीं करती, उल्टे और अधिक तंग करती है । इससे उन लोगों का विश्वास पुलिस पर भी नहीं रह गया है । मुझे बड़ा खेद होता है कि ऐसे हालात में राजप्रमुख के भाषण पर कैसे धन्यवाद दिया जावे ।

दूसरे, यह कहा गया है कि राजस्थान के गांवों की उन्नति के लिए सरकार यह और वह योजना कार्यान्वित करने जा रही है । इस सिलसिले में मैं थोड़ी अपने क्षेत्र की स्थिति भी बता दूं । जसवन्तपुरा तहसील में भीनमाल एक कस्बा है । वहां के लोग पीने के पानी के लिए "त्राहि-त्राहि" कर रहे हैं । वहां तालाब हैं, कुए हैं, पर बरसों से इनकी देखभाल न होने से वे सब बेकार पड़े हैं । सरकार की तरफ से वहां तालाब खुदाने, कुओं को बोरिंग कराने आदि का कुछ भी कार्य नहीं किया जा रहा है । मुझे अफसोस के साथ कहना पडता है कि जसवन्तपुरा तहसील में भीनमाल इतना बडा कस्बा है उसके लिए पीने के लिए पानी की मुश्किल है और सरकार कुछ नहीं कर पाई है ! मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरफ अगर ध्यान दिया जाता तो वहां के लोगों को कुछ राहत मिलती ।

श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में शिक्षा के सम्बन्ध में जो कुछ कहा उससे कोई जोश मेरा नहीं बढा । कोटा में अस्पताल बनाने का जिक्र किया, जयपुर में मेडिकल कॉलेज आधुनिक ढंग का खोलने का जिक्र किया ; पर ग्रामीण जनों के लिए क्या किये जाने की बात वे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं पाया ।

जसवन्तपुरा तहसील में २७० गांव हैं जहां भीनमाल में केवल एक अस्पताल है । इन सारे गांवों के बीमारों के लिए दूर दूर से आकर इसका फायदा उठाना बहुत मुश्किल है । देशी, मामूली सा, इलाज

[श्री छतरसिंह]

करके ही सन्तोष करना पड़ता है और नतीजा यह होता है कि दवाइयों के अभाव में बीसों मरीज हर साल अकाल मृत्यु के मुख में चले जाते हैं । अतः मेरा नम्र निवेदन है कि वहां जसवन्तपुरा और बढ़गांव में एक एक अस्पताल और अवश्य खोले जाएं ।

इसलिए इस वक्त तो धन्यवाद नहीं दिया जा सकता । आइन्दा समय में इन बातों को ठीक कर दिया गया तो आप से सहमत हो जाऊंगा ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी--माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर पिछले दो दिनों से लगातार बहस हो रही है । उस पर मैं भी अपने विचार संक्षेप में रख रहा हूं । श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण के दौरान में यह कहा कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है लेकिन राजप्रमुख ने अपने भाषण के सिलसिले में यह नहीं बताया कि आर्थिक स्थिति के विषम होने के कारण क्या हैं ? यदि वे आर्थिक स्थिति की विषमता के कारणों पर कुछ कहते तो हम सब मिलकर उनके इस आर्थिक स्थिति की विषमता का हल बता सकते थे ; लेकिन यह नहीं बतलाया गया कि आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो रही है । यदि वे कुछ बताते तो हम भी आर्थिक स्थिति के सुधारने के लिए कुछ सुझाव दे सकते थे ।

दूसरी बात यह है कि सरकारी विभागों के हिसाब की जांच भली प्रकार से नहीं हो पाई । चूंकि Estimates Committee बनाई नहीं गई और Public Account Committee बनी तो भी उसके सामने कोई मसाला नहीं रखा गया है ऐसी हालत में आप कैसे कह सकते हैं कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति खराब है ? मेरा निवेदन है कि हर महकमे के हिसाब की जांच इन कमेटियों द्वारा होनी चाहिये । राजप्रमुख के अभिभाषण में यह कह कर "I may say so, this is a challenge to our wisdom and statesmanship" सरकारी धाँधलीबाजी पर परदा डालने की कोशिश की गई है । सच्चाई तो तब जाहिर होती अगर कहा जाता "If I may say so this is an example of the wisdom and the statesmanship of the party in power"

अब मैं न्याय और व्यवस्था के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं । यह बात ठीक है कि राजस्थान की न्याय और व्यवस्था की हालत में काफी सुधार हुआ है ; इसे मानना पड़ेगा । किन्तु जयपुर शहर के अंदर और अन्य जगहों में भी चोरियों की संख्या बहुत बढ़ गई है और चोरी का माल भी बरामद नहीं होता । इस मामले में सरकार की तरफ से जल्दी से जल्दी कदम उठाया जाना चाहिये । जो रुपया रखा गया है मैं समझता हूं कि इस मामले में रोशनी डालनी चाहिये और इसमें सुधार हो सकता है । इस न्याय व्यवस्था के सिलसिले में आर्म्ड कॉन्सटेबुलेरी का भी जिक्र कर देना चाहता हूं । उनको ऐसी अवस्था में काम करना पड़ता है कि जिसके कारण अफसर और सिपाहियों को जान का खतरा रहता है और सहूलियत भी नहीं मिल पाती । आर्म्ड कॉन्सटेबुलेरी के अफसरों को व उसके सिपाहियों को बड़ी मुसीबत

[अवनिकुमार मुकर्जी]

का सामना करना पड़ता है, इसलिए उनका बीमा होना जरूरी है । इसकी भी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये जिससे उन्हें खतरों का सामना करने का उत्साह पैदा हो ।

पिछले बजट सेशन में मेरे एक मित्र, विरोधी पक्ष के एक सदस्य, ने Armed Constabullary तथा anti decoity force का सरकारी तौर पर जीवन बीमा करने का सुझाव दिया था । इसको स्वीकार करने का आश्वासन मुख्य मंत्री ने दे भी दिया था ; लेकिन इस मामले में अभी कोई कदम नहीं उठाया गया । मैं मुख्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे इस मामले पर जल्दी से जल्दी ध्यान दें ।

अब मैं राजप्रमुख के भाषण के उस अंश की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जिसमें Reclamation of lands तथा तकावी लोन्स का जिक्र किया गया है । मेरी समझ में नहीं आता कि Reclamation of lands किसी हद तक हुआ जयपुर,कोटा-बूंदी आदि जिलों में काफी परिमाण म उपजाऊ और खेती करने योग्य जमीनें पड़ी हुई हैं–पर इनका Reclamation बिल्कुलन हीं हुआ है। अगर हुआ है तो Reclamation के आंकडे सदन के सामने पेश कर दिया जावें। जयपुर पॉवर हाउस में जो बिजली आजकल उत्पन्न हो रही है खेद है उसका पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है । इधर कहा जाता है "अधिक अन्न उपजाओ" और दूसरी ओर साधन होते हुए भी, सरकार उन लोगों को बिजली नहीं दे रही है जो वस्तुतः इस मामले में सरकार का हाथ बंटाना चाहते हैं । इस मामले में जितना जल्दी कदम उठाया जावे उतना ही हमारे प्रान्त का हित होगा ।

दूसरी बात यह कही गई है कि तकाबी लोंस जो दिये गये हैं वहGenerous बेसिस पर दिये गये हैं। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल गलत बात है ।Generous बेसिस पर तकावी लोन्स नहीं दिये गये हैं। तकावी लोन्स दिये गये पार्टी बेसिस पर। अगर मंत्री महोदय यह चाहें तो ऐसे मामलों सामने रख सकता हूं जिनमें सरासर पार्टी बेसिस पर ही तकावी लोन्स दिये गये हैं ।

एपेक्स बैंक के बारे में कहा गया है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पिछले बजट के समय में यह कहा गया था कि एपेक्स बैंक स्थापित कर दिया जायगा । मैं यह मानता हूं कि एपेक्स बैंक राजस्थान के लिये बहुत ही हितकर साबित होगा क्योंकि co-operative societies को क्रेडिट एडवान्स करने का जरिया मिल जायगा ; पर यह कब और किस दिन होगा? इसका आभास सरकारी तौर से दिया जाना चाहिये ।

अब मैं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को केन्द्रीय सरकार की तरफ से जो रुपया मिला हैं उसके बारे में दो चार शब्द कहना चाहता हूं । इसके लिए मैं कुछ आंकड़े सदन के रखना सामने चाहता हूं: --

राजस्थान की कुल जनसंख्या १ करोड़ और ५२ लाख है और उसको जो रकम मिली हैं वह १६ करोड़ ८२ लाख है। हैदराबाद की कुल जनसंख्या १ करोड़ ८६ लाख है और हैदराबाद को जो

[अवनिकुमार मुकर्जी]

रकम मिली है वह है ४१ करोड़, सौराष्ट्र की जनसंख्या ४१ लाख और उसको जो रकम मिली है वह है २० करोड़, मैसूर की जनसंख्या है ६० लाख और उसको मिला है ३६ करोड़। मैं राजस्थान सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान प्रान्त को जो कि एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है, एक बैकवर्ड एरिया है, उसको किस आधार पर कम रकम मिली है । राजस्थान से कम जनसंख्या वाले प्रान्तों को जो रकम मिली है वह राजस्थान से ज्यादा है। ऐसी हालत में सरकार से जानना चाहता हूं कि किस आधार पर राजस्थान सरकार ने इस न्याय–विरुद्ध ग्रांन्ट को स्वीकार कर लिया है । अगर उन्होंने इस मामले में सेन्ट्रल गवर्नमेंट को मूव किया हो और सरकारी तौर पर इस मामले में जो पत्र-व्यवहार हुआ है और जो representations अब भी किये जा रहे हों उनकी जानकारी सदन को दें। जिससे इस बात का पता कि चले सरकार ने अन्डर प्रोटेस्ट इस ग्रान्ट को स्वीकार किया है। नहीं तो वह Government की importance का एक अजीब नमूना कहलायेगा ।

श्रीमन् राजप्रमुख साहब ने अपने अभिभाषण में भाखरा–नांगल का जिक्र किया है । अगर आप गत बजट को देखेंगे तो आपको मालुम होगा कि उसके अन्दर इस भाखरा-नांगल प्रोजेक्ट के लिये राजस्थान सरकार को ८० लाख रुपये देने पड़े हैं । मैं निवेदन करता हूं कि मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि भाखरा–नांगल प्रोजेक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन राजस्थान सरकार के कहां तक हाथ में है ? मेरा निश्चित खयाल है कि भाखरा–नांगल योजना का एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब सरकार के हाथ में है। राजस्थान सरकार का उस एडमिनिस्ट्रेशन में कहां तक हाथ है उसके बारे में तथ्य मंत्री महोदय हाउस के सामने रखेंगे, यह आशा मैं करता हूं ।

अब मैं प्राइमरी शिक्षा के बारे में कुछ कहूंगा । मैं सोचता हूं कि हमारे प्रान्त में आज प्राइमरी शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। टेक्निकल शिक्षा की आवश्यकता तो है ही ; परन्तु प्राइमरी शिक्षा का महत्व इससे भी ज्यादा है, और मैं समझता हूं कि जो बजट आने वाला है उसके अन्दर प्राइमरी शिक्षा के लिए सरकार को बहुत कुछ रकम रखनी चाहिये । इस सिलसिले में मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल्स की हालत बहुत खराब है । वहां टीचर्स नहीं हैं, और कई जगह ऐसी हैं जहां जिन मकानों में प्राइमरी स्कूल्स लगे हैं उनकी हालत बहुत खराब है । कई जगह ऐसी भी हैं जहां प्राइमरी स्कूल्स में जो लड़के पढ़ने के लिए जाते हैं उनके बैठने के लिए, बिछाने के लिए, कुछ नहीं है । कई जगह जमीन पर बैठते हैं । मेरे क्षेत्र में ऐसे कई दृष्टान्त मेरे सामने आये, मैं समझता हूं कि सरकार को इस बारे में बहुत जल्द ही ध्यान देना चाहिये । यह एक ऐसा मामला है जिसकी हम किसी भी तरह से अवहेलना नहीं कर सकते ।

मैं आबू के बारे में दो–चार शब्द कहना चाहता हूं । श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में यह कहा गया है कि आबू के लिए एक सब-कमेटी मुकर्रर की गई है, और वह सब-कमेटी एक रिपोर्ट ड्राफ्ट करेगी । मैं जानना चाहता हूं कि रिपोर्ट ड्राफ्ट करने के लिए जो कमेटी बनी है उसमें.................... (समय समाप्ति–सूचक घंटी) सिर्फ दो मिनिट में खतम कर दूंगा । कोन कोन मैम्बर हैं ? इसमें भी

Page No.69

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

विरोधी पक्ष का सहयोग लिया जाता है । तो मैं समझता हूं कि रिपोर्ट के डील करने में और इस मामले को ठीक तरह से पेश करने में सरकार को काफी समय मिल सकता था चूंकि विरोधी पक्ष में जो सदस्य बैठते हैं वे भी talented हैं ।

अब मैं राजप्रमुख के अभिभाषण में "traditions" और "conventions" का जो जिक्र खींचा गया है उसके बारे में दो-चार शब्द कहना चाहूंगा । इस सदन के प्रथम सेशन में, आपको याद होगा कि महाराजा जोधपुर के स्वर्गवास पर एक शोक प्रस्ताव इस सदन के सामने रखा गया था । यह सब का कर्तव्य है कि किसी भी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के पश्चात तर्क–वितर्क की सृष्टि नहीं की जावे किन्तु मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन के नेता ने उस प्रस्ताव का विरोध किया था । क्या इस तरह की कार्यवाही से वे अच्छी बुनियाद डालेंगे ? मैं सदन से यह सवाल करता हूं कि क्या यह अच्छी परम्पराओं का नमूना था ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज तक विरोधी पक्ष ने जो भी सुझाव हाउस के सामने रखे हैं सरकार ने उनकी अवहेलना की है । मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से अच्छे ट्रेडिशन की बुनियाद नहीं डाली जा सकती है । अगर अच्छे ट्रेडिशन की बुनियाद डालना है और democracy की जड़ों को मजबूत बनाना है तो विरोधी पक्ष से सहयोग लेना पड़ेगा । बस इतना ही कह कर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं ।

श्री गगांसिह–श्री अध्यक्ष महोदय, इस समय हमारे सामने प्रश्न जो है वह यह कि आया श्रीमन् राजप्रमुख को उनके अभिभाषण के लिये धन्यवाद दिया जावे या नहीं । डेमोक्रेसी में यह रिवाज सा है कि राजप्रमुख प्रान्त या देश के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के नाते अपना भाषण पार्लियामेंट या उस देश की लेजिस्लेटिव एसेम्बली के सामने देते हैं और उसमें उस देश या प्रान्त की नीतियों पर प्रकाश डालते हैं। जो नीतियें प्रकाशित की जाती हैं वे देश की समस्याओं पर निर्भर रहती हैं । इससे पहले कि हम श्रीमन् राजप्रमुख को धन्यवाद दें हमको यह देख लेना आवश्यक है कि हमारे काम की कौन कौन सी समस्याएं हैं और श्रीमन् राजप्रमुख ने उन समस्याओं को किस तरह से हल किया है जिसके लिये हम उन्हें धन्यवाद दें, जिसके लिये यह प्रस्ताव हमारे सामने आया है ।

सबसे पहले हमको यह मानकर चलना चाहिये कि जो जो हमारे देश की मांगें और समस्यायें हैं उन सब का उल्लेख उनके भाषण में हुआ है या नहीं । जिन जिन समस्याओं का प्रतिपादन किया है उनका प्रतिवेदन ठीक तरह से हुआ है या नहीं । इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस आशय पर पहुंचे कि हमारी सब समस्याओं का प्रतिपादन उनके भाषण में हो गया है तो हमको एक राय होकर उनको धन्यवाद देना चाहिये । मगर हम देखते हैं कि हमारी बहुत सी समस्याओं का जिक्र इसमें नहीं है । सबसे पहली जो हमारी समस्या है वह आर्थिक समस्या है । हमको देखना है कि श्रीमन् राजप्रमुख ने इस समस्या पर किस तरह प्रकाश डाला है । हमारी यह आर्थिक समस्या सबसे बडी समस्या है और श्रीमन् राजप्रमुख

[श्री गंगासिंह]

ने सिर्फ अपने अभिभाषग में यही कहा है कि हमारी आर्थिक समस्या बहुत ही संकट में है। कॉन्स्टिट्युशनल हैड के द्वारा यह कहा जाना कि हमारी आर्थिक समस्या बहुत ही सोचनीय है, काफी नहीं है। उनको बतलाना चाहिये कि हमारे प्रान्त की आर्थिक समस्या क्यों बिगड़ी और उसके बिगडने का क्या कारण है और वह कैसे सुलझाई जा सकती है। अगर हमारी आर्थिक समस्याओं को देखें तो आपको मालूम होगा कि आज से १२ महीने पहले जब हमारे फाइनेन्स मंत्रीजी का भाषण हुआ था और रिपोर्ट पेश हुई थी उस समय रिपोर्ट पेश करने के साथ साथ उन्होंने यह कहा था कि यह हमारी दुःख-भरी कहानी है। उसको आज १२ महीने हो गये और आज तक हमारी आर्थिक समस्याएं सुलझ नहीं सकीं। क्यों नहीं सुलझ सकीं; ये सब बातें श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में आनी चाहिये थीं। इसके अलावा इस आर्थिक समस्या के बिगड़ने का क्या कारण हो सकता है और यह कैसे सुधर सकती है, इस पर भी प्रकाश डालना था। आर्थिक समस्या के सुधरने के दो ही उपाय हमारे सामने हैं:—

(१) हमारे पास जो रकम है उसको हम ठीक तरह से खर्च करें; और

(२) जो हमारे आमदनी के जरिये हैं उन पर अच्छी तरह दृष्टि रखें और उसको बढायें। हमारे रुपये ठीक तरह से खर्च हुए या नहीं इसके लिये श्रीमन राजप्रमुख ने कुछ नहीं कहा। यह हम मान कर चलते हैं कि यह राजस्थान जब बना था उस समय राजस्थान की रियासतों से करीब १८ करोड़ रुपया मिला था। १८ करोड़ रुपया इन दो वर्षों में कैसे खर्च हो गया ? ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय की सरकार ने रुपयों का सद्उपयोग नहीं किया। इस लिये यह हालत हो गई। हमारे वित्त मंत्री एक साल पहले ही कहते थे कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है।

इसके अलावा हमें यह देखना है कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनके जरिये हम अपनी आय बढा सकते हैं।

सबसे प्रथम हमें यह देखना है कि हमारे जो सोर्सेज हैं उनको ठीक तरीके से काम में लायें, हमारा खर्चा कम करें। आज यह बात आम लोगों में प्रचलित है और सब जानते हैं कि हमारा जो खर्चा हो रहा है यह ठीक रेग्युलेट नहीं हो रहा है। केवल मिनिस्टरों के नीचे जो डिपार्टमेन्ट हैं वहीं फालतू खर्चा हो रहा है ऐसी बात नहीं; बल्कि हमारे मिनिस्टर महोदय भी फालतू खर्चा करते हैं। जब मिनिस्टर दौरे में जाते हैं तो उनके साथ कलेक्टर, एस.डी.ओ., तहसीलदार, पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट, फौज और पुलिस जान (बरात) बना कर उनके साथ घूमते हैं। इसमें सब राजस्थान का खर्चा होता है। क्या जरूरत है कि मिनिस्टर साहब जब अपनी कॉन्स्टिट्यूएन्सी का दौरा करते हैं तो इस सब लवाजमें को साथ लेकर फिरें।

मुझे मालूम है कि राजस्थान में अभी किसी की जान को खतरा नहीं है, फिर इतनी पुलिस, फौज और पल्टन को साथ लेकर दौरा क्यों करते हैं ? वास्तव में उनके दिल में यह खयाल रहता है और वे

[श्री गंगासिंह]

जनता पर यह जाहिर करना चाहते हैं कि अब वे वह आदमी नहीं हैं जो उनसे वोटों की भीख मांगते फिरते थे, अब वे राजस्थान के मंत्री हैं। यह फालतू खर्चा तो हमें मिटाना ही है। इसके साथ ही साथ हमारे जो इन्कम के सोर्सेज हैं उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना है।

अभी एक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्रीजी ने बताया कि मेलों से करीब १५ लाख की आमदनी होती है। तो ऐसी सूरत में मेलों में जो इन्तजाम होता है उसकी ओर भी सरकार को सतर्कता रखनी चाहिये, पर वास्तव में ऐसा नहीं किया जाता। नागौर के मेले से राजस्थान सरकार को हर साल करीब दो-तीन लाख रुपये की पैदायश होती है। पर इस साल उस मेले से सरकार को लाखों रुपयों का घाटा इसलिये हुआ कि व्यापारियों को समय पर मेले की सूचना नहीं मिली थी कि यह मेला कहां भरा जायगा। पहले ऐसा कहा गया कि नागौर में पानी की तंगी है; अतः नागौर में मेला नहीं भरेगा। फिर करीब मेले से २०-२५ रोज पहले कलेक्टर इत्तिला निकालता है कि मेला नागौर में ही भरेगा। इस तरह बहुत देर (बिलम्ब) से सूचना निकलने के कारण व्यापारियों को समय पर सूचना नहीं मिली और इससे राजस्थान सरकार को लाखों रुपये का नुकसान हुआ।

दूसरी जो हमारी प्रोब्लम है वह कृषि की है। कृषि का विस्तार हमारे राजस्थान में ठीक तौर से नहीं हो रहा है। हमारा प्रान्त कृषि प्रधान प्रान्त है। हमारे पश्चिमी इलाके में, जो कि रेगिस्तान है, अकाल पड़ते ही रहते हैं, हर दूसरे तीसरे वर्ष में कम से कम वहां एक बार तो अकाल पड ही जाता है। उन अकाल ग्रस्त क्षेत्र के लोगों को जो मदद समय पर और ठीक तौर से मिलनी चाहिये वह उन्हें ठीक तौर से और ठीक समय पर नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर मैं आपको सूचित कर देना चाहता हूं कि नागौर और डीडवाने का इलाका अकाल ग्रस्त इलाका घोषित कर दिया गया है; पर अभी तक वहां के लोगों को किसी भी प्रकार की राहत सरकार की ओर से नहीं मिल रही है। जिसके फलस्वरूप वहां पशु मर रहे हैं और आम लोगों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।

इस तरह हम देखते हैं कि अकाल में भी ठीक समय पर और ठीक तौर से मदद नहीं करने से हमारी कृषि में बडा नुक्सान हो रहा है। हमारे राजस्थान के कई क्षेत्रों में पानी की भी बड़ी कमी है, कई कूए पड़े हुए हैं; पर पीने के पानी के लिए सरकार उनकी मरम्मत नहीं करा रही है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों से श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। यह भाषण असल में एक ऐसा अवसर होता है जिस समय हम अपनी सरकार के सामने कुछ रचनात्मक सुझाव रख सकते है और कुछ कमियें रही हों उनकी कुछ आलोचना कर सकते है और उन पर आलोचनात्मक ढंग से प्रकाश डाल सकते हैं। वास्तव में गवर्नमेन्ट की किस प्रकार की पोलिसी रही, कितना फल मिला उसका दिग्दर्शन इस अवसर पर होता है। लेकिन होता क्या है कि कुछ माननीय सदस्य अपना गुस्सा इसी अवसर पर निकालते हैं। राजप्रमुख महोदय ने बहुत

[श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)]

ही सुन्दर ढंग से बात कही थी कि हमको राजस्थान में इस प्रकार की परंपरा डालने की कोशिश करनी चाहिये जिससे कि हम रचनात्मक कामों द्वारा जनता की सेवा कर सकें। उन्होंने अपने भाषण को समाप्त करते हुए इस पर बहुत जोर दिया था परन्तु कुछ मित्रों ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। हो सकता है कि इस सदन में बैठने वाले हमलोगों में से बहुत कम लोग पार्लियामेन्ट्री तरीके को जानते हों; लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि हम जानने की कोशिश न करें और जिस तरह चाहें गैर जिम्मेदाराना ढंग से किसी व्यक्ति के बारे में, जो चाहें सो कहना शुरू करदें। अभी एक मेरे मित्र इस प्रकार का भाषण दे रहे थे जैसे कि उन्हें किसी व्यक्ति के खिलाफ बुरे ढंग से कुछ कहना ही हो। वे समझ रहे थे कि यहां भाषण देने की स्वतंत्रता होने के कारण उन पर कोई मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता इसलिये उन्होंने इस सदन को ही प्लेटफॉर्म बनाया। मुझे सख्त अफसोस है कि इस प्रकार की कार्यवाही इस हाउस में होती है। मैं अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार के भाषणों को सदन की कार्यवाही में से निकाल देना चाहिये। और यह भी प्रार्थना करूंगा कि डिबेट के दरमियान में इस प्रकार के डिफेमेटरी रिमार्कस किसी भी सदस्य के खिलाफ देने की इजाजत नहीं देनी चाहिये।

अब मैं अपने विभागों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मुझे संतोष है कि हमारे लीडर ओफ अपोजिशन ने मेरे विभाग के सम्बन्ध में अच्छे शब्द ही कहे हैं। कुछ कमियें हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर दिये जाते है। श्रीमन् राजप्रमुख ने आर्थिक कठिनाई की तरफ इशारा किया है और इसी की वजह से पी. डब्ल्यू. विभाग में, जिसमें बिजली विभाग, वाटर वर्क्स विभाग, सड़कें, बिल्डिंग आदि के कार्य आजाते है वे अच्छी तरह से चलने चाहियें उस ढंग से नहीं चल पा रहे है और उनमें घाटा है; खास तौर से बिजली विभाग में। लेकिन जिस तरह से मेहनत के साथ इसमें उन्नति की गई है उसकी प्रशंसा की जाय और उसमें सुधार करने के लिये रचनात्मक सुझाव आवें तो मैं आभारी होऊंगा और सरकार भी आभारी होगी। आज कल अपने यहां पांच हजार किलोवाट बिजली सर्प्लस होती है; यह मामूली नहीं है। छोटे छोटे राज्यों में तो इतनी बिजली कुल ही पैदा होती होंगी जितनी कि हमारे यहां सर्प्लस पैदा होती है। आर्थिक कठिनाई की वजह से हम अधिक खर्च कर नहीं पाते वरना यदि ५०-६० लाख रुपये खर्च कर दिये जायँ तो हमको २० लाख रुपयों की आमदनी और हो सकती है। क्योंकि अब साल खतम हो रही है, नया आर्थिक साल आरहा है; इसलिये इतनी बडी रकम हम खर्च नहीं कर सकते। इसलिये जितनी बिजली पैदा होती है उसका हम उपयोग नहीं कर सकते और इसी कारण से इस डिपार्टमेंट में घाटा दिखाई दे रहा है। मैं आशा करता हूं कि यह घाटा शीघ्र ही पूरा होगा। कुछ मित्रों को गुस्सा इस बात पर आता है कि म्युनिसिपेलिटियों को बिजली, पानी आदि देते है उनसे पैसा वसूल क्यों नहीं किया जाता। आखिर म्युनिसिपेलिटियें भी पब्लिक की सेवा करने वाली संस्थाएँ हैं। उनकी आर्थिक स्थिति अधिक अच्छी नहीं होती। तो क्या इस वजह से जितने पब्लिक टेक्स लगाये हुए हैं उनको यदि बंद करदें तो क्या आप इसे पसंद करेंगे और आलोचना नहीं करेंगे। पुरानी देशी रियासतों की राजधानियों में अच्छी म्युनिसिपेलिटियां थी पर उनको स्वावलंबी बनाने का कभी अवसर नहीं आया। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से अब जोर दिया जारहा है कि वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें और स्वावलंबी बनें।

[श्री भोलानाथ]

यदि स्वावलम्बी बन गईं तो जो पैसा उनके नाम पर निकलता है यह बिजली डिपार्टमेन्ट में जमा होगा और ऐसी हालत में यह घाटे का बजट नहीं रहेगा। हमारे कम्युनिस्ट भाई जल्दी से जल्दी जोधपुर में नई पाईप लाइन लगा देने के लिये कहते हैं और जो पुरानी लगी हुई है उसको हटवा देना चाहते हैं; चाहे उसमें २५ लाख रुपया ही क्यों न खर्चा करना पड़े। जयपुर की भी यही हालत है। यह पाइप लाइन भी पुरानी है और उस वक्त में यह लगी जब कि जयपुर की आबादी एक लाख के करीब मानी जाती थी। उसकी लाइन पर भी काफी प्रेशर पड़ रहा है; क्यों कि जयपुर की आबादी भी दुगुनी और तिगुनी होगई है। इसके लिए केपिटल एक्सपेन्डिचर की जरूरत है और वह आसानी से नहीं मिल रहा है। जिन जिन बड़े शहरों की आबादी बढ़ी है उन उन शहरों में सभी जगह नई लाईन चेन्ज करके बड़ी पाइप लाइन फिट करने की मांग है। किन्तु फिलहाल यह संभव नहीं है। इससे मेरा मतलब यह नहीं है कि इसके सुधार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार का इस और ध्यान है। दूसरी तरफ हमारे पर यह दबाव भी है कि सारा रुपया शहरों में ही खर्च नहीं किया जाना चाहिए और देहातों में भी खर्च किया जाना चाहिए। शहरों से आये हुए सदस्य थोड़े हैं और बाहर गांवों से आये हुए प्रतिनिधियों की संख्या १५४ है और बाहर से आये हुए प्रतिनिधि चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खर्चा बाहर किया जाय। आपके सामने कल ही सवाल था कि भीलवाड़ा में वाटर वर्क्स होना चाहिये। भीलवाड़ा एक छोटा शहर है और जिले का हेडक्वार्टर है। वे भी चाहते हैं कि वहां की पानी की कठिनाई दूर हो। लेकिन आसानी से ही यह काम सम्भव नहीं है। हमने छोटे २ कामों को शुरू किया है और उनको स्केलेटन (Skeleton) वाटर सप्लाई वाटर स्केल का नाम दिया है। भैंसरोडगढ़ भी एक कस्बा है, पुरानी रियासतों के जमाने में भी वहां कोई ध्यान नहीं दिया गया था। वहां की स्थिति भी यही है और कहा जाता है कि वहां पर लड़के भी कुंवारे रह जाते हैं। (हंसी) ऐसे स्थानों की जरुरत को भी पूरा किया जाता है और उधर भी वाटर सप्लाई की योजना है। इधर शहर वाले कहते हैं कि पाइप लाइन बदल दो और उधर गांव वाले कहते हैं कि पानी की कठिनाई को शीघ्र दूर करो; ताकि गर्मी में पानी की कठिनाई महसूस न हो। सरकार के सामने जो जो भी सुझाव रखे जाते हैं वे उनको बजट की गुन्जाइश के मुताबिक पूरे किये जाते हैं। समय समय पर सुझाव आयेंगे और यदि वे रचनात्मक सुझाव होंगे तो सरकार अवश्य ही मंजूर करेगी। यदि प्रतिकूल बातें कह कर ही सहयोग की बातें की जाती हैं तो वे गलत हैं। मैं मानता हूं कि पिछला बजट सैशन जब शुरु हुआ था तो बहुत से सदस्यों ने सुझाव दिये थे। इसके बाद सरकार ने बहुतसी जगह सड़कें बनाई हैं तथा ठीक कराई हैं, वाटर सप्लाई के काम किये हैं और जगह जगह के बिजली घरों को भी दुरुस्त किया है। यह ठीक है कि जितने साहबानों ने सुझाव दिये थे उन सब पर तो अमल नहीं किया जा सकता था और यह सम्भव भी नहीं हो सकता था, किन्तु बहुत से सुझावों पर अमल भी किया गया। यदि आप लोग चाहें तो मैं इस सम्बन्ध में एक लिस्ट दे सकता हूं कि आपके इतने सुझाव आये और इतने सुझावों पर सरकार द्वारा कार्यवाही की गई। मैं चाहता भी था कि वक्त आये तो मैं आपको इस विषय में बतलाऊं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे सरकार किसी भी दल की क्यों न हो फिर भी काम तो चलाना ही पड़ेगा। विरोध तो होगा; किन्तु आप ठीक बातें बतलायें। केवल गुस्सा या इस तरह की कार्यवाही न करें जिससे नीचे स्तर पर आजायँ। यदि

[श्री भोलानाथ]

काम ठीक हुवा तो प्रशंसा कर दीजिए और दोष हुए तो बतला दीजिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की परम्पराओं से ही हम लोग आगे बढ़ सकेंगे और वास्तविक जनतन्त्र इस नये राज्य में कायम कर सकेंगे।

श्री जयनारायण व्यास–Sir, before we disperse, I would request the Chair to go through the remarks which were made by my hon'ble colleague, Shri BhaironSingh of Danta Ramgarh. I make a request to you, Sir, that the remarks which were highly defamatory, extremely indecent, unparliamentary and undignified, should be expunged from the proceedings of the House.

श्री अध्यक्ष–I have ordered that the portions be placed before me and I will scrutinise them and see for myself.

श्री जयनारायण व्यास–Thank you, Sir.

श्री अध्यक्ष–We now adjourn. Before we adjourn I would give you some information that from Monday (16th February) we will meet from 2 to 6.15 P.M.

श्री जसवन्तसिंह–May I be permitted to say just one word? I agree with the Leader of the House that the words uttered by Shri Bhairon Singh were most unparliamentary and I was going to speak myself and I agree that you may kindly allow them to be expunged. Though you have already given your decision, I whole-heartedly associate myself with the Chief Minister when I say that such words were really undignified and no member whether he may be from the Opposition side or from the Government side should use such words which do not add to the dignity and prestige of the House, and on our side we request you, Sir, that these words are really objectionable and they should be expunged.

श्री अध्यक्ष–We have also extended the debate for the next day. So the agenda which we have issued should be finished by extending it by a day, *i.e.*, the business will be finished one day afterwards, *i.e.*, the agenda of today will go on the 16th and of the 16th on the 17th and so on.

श्री हिम्मतसिंह (कुमाड़ी)—क्या उस दिन भी हमें पांच-पांच मिनट ही दिये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष–That can be seen on that date.

(सभा का कार्य आज १२-४५ बजे मध्यान्ह पर समाप्त हुआ और आगे की कार्यवाही १६ फरवरी १९५३, के २ बजे मध्यान्ह तक के लिये स्थगित हुई)।

मनसाराम पुरोहित
सचिव
राजस्थान विधान सभा, जयपुर,

सभा भवन, जयपुर,
दिनांक १२ फरवरी, १९५३.

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ७६ (अ) का उत्तर देखिये)

LIST OF CATTLE FAIRS HELD IN RAJASTHAN.

S. No.	*Name of Fair*	*Place where the fair is held.*
	JODHPUR DIVISION	
1.	Nagaur Cattle Fair	Naguar.
2.	Tejaji-ka-Fair (Parbatsar)	Parbatsar.
3.	Chaitri Cattle Fair	Tilwara.
	JAIPUR DIVISION.	
4.	Mela Nagar Uniyara	Uniyara.
5.	Mehrara	Shekhawati.
6.	Bandho-ka-Mela	Jaipur.
7.	Narapanth	Jaipur.
8.	Ajeetgar hChuri	Shekhawati.
9.	Mela Jaipur Bandh Bawelji	Jaipur.
10.	Hindon	Jaipur.
11.	Sawai Madhopur	Jaipur.
12.	Paota	Jaipur.
13.	Chaksu	Jaipur.
14.	Ajeetgarh Churi	Shekhawati.
15.	Toda Ram Singh	Shekhawati.
16.	Sawai Ramgarh	Shekhawati.
17.	Mahawa	Shekhawati.
18.	Hatwara	Uniyara.
19.	Mehara	Shekhawati.
20.	Pilani	Shekhawati.
21.	Mela Mand Kala	Uniyara.
	KARAULI (ALWAR DIVISION).	
22.	Sheoratri Cattle Fair	Mahar Darwaja.
	TONK (JAIPUR DIVISION)	
23.	Cattle Fair	Piplu.
24.	Cattle Fair	Maidan Kela.
25.	Cattle Fair	Madanganj.

Page No.76

26.	Cattle Fair	Roopnagar.
27.	Cattle Fair	Sarwar.

ALWAR (JAIPUR DIVISION)

28.	Dehuni	Bheror.
29.	Kishangarh	Kishangarh.
30.	Ajerka	Mandawara.
31.	Tapukara	Tajara.
32.	Malakhera	Alwar.
33.	Alwar	Alwar.
34.	Dholagarh	Laxmangarh.
35.	Kharli	Laxmangarh.
36.	Reni	Rajgarh.
37.	Ramgarh	Ramgarh.

UDAIPUR DIVISION.

38.	"Hat Maveshiyan" Choti Sadri	Pratapgarh Talai.

KOTAH DIVISION,

39.	Cattle Fair	Suket.
40.	Cattle Fair	Suket Baisakhi.
41.	Cattle Fair	Kakra-wad.

BIKANER DIVISION.

42.	District Board Fair	Ganganagar.
43.	District Board Fair	Survatgarh.
44.	District Board Fair	Bhadra.

परिशिष्ट २

(प्रश्न-समय समाप्त हो जाने के कारण सदन की मेज पर रखे गए प्रश्नोत्तर)

७६. (२२ आर.एम.) **श्री भैंरूंसिंह एम.एल.ए. डिवीजन नम्बर १२**—क्या कृषि-मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगेः–

(अ) गतवर्षों में बाली-देसुरी तहसीलों में पशुओं में फैलनेवाली बीमारी से पशुधन काफी बर्बाद हुआ ?

(ब) यदि "अ" का उत्तर हां में है तो सरकार ने ऐसी बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या व्यवस्थाएं कीं और उनमें कहां तक सफलताएं मिली ?

(स) भविष्य में पशुओं को बीमारी से बचाने के लिऐ सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

उत्तर–

(अ) गत वर्षों में कुछ फैलने वाली बिमारियें हुई हैं। जिससे कुछ पशुधन की हानि हुई है।

(ब) फैलने वाली बिमारियों को रोकने के लिये टीकों, अथवा अन्य उपायों से पूरा इलाज किया गया हैं।

(स) राजकीय पशु चिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित अस्पतालों और डिस्पेन्सरी द्वारा रोकथाम के टीके तथा अन्य उपायों से पशुओं की बीमारियों को रोकने के लिये पूरी व्यवस्था की गई है। वहां वैक्सीन और सीरा काफी मात्रा में रखी जा सकती है।

८०. (१४ आर.एम.) श्री गुरूदयालसिंह सन्धु (४६)—क्या राजस्व मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे:–

मुकन्दसिंह सा: तामकोट तहसील पदमपुर जिला गंगानगर में जो पक्की ईंटें बनाने के लिए साल ४६–५० में दरख्वास्त दी थी उस पर क्या कार्यवाई हो रही है और उसके मन्जूर न होने का क्या कारण है ?

उत्तर–

पटवारी ने रिपोर्ट २-१२-४६ को की कि मुकन्दसिंह ने बिला इजाजत भट्टा ईंटों का लगाया है; स्क्वायर नं.२२ चक ५७ आर.बी.में। इसके बाद मुकन्दसिंह ने ६-१-५० को इजाजत मिलने की दरख्वास्त की। जांच के बाद तहसीलदार ने रिपोर्ट की कि १००) रुपया जुर्माना व डबल रेट पर अलाट किया जावे। ए.सी.करनपुर ने जुर्माना ३१) रुपया की सिफारिश कलेक्टर को की। २२-६-५१ को कलेक्टर ने वापस लिखा है कि कितनी ईंटें बनाई गई हैं. जांच हो रही है। जल्द फैसला किये जाने के हुक्म कमिश्नर ने कर दिये हैं।

८१. (१५ आर.एम.) श्री गुरुदयालसिंह सन्धु (४६)—क्या राजस्व मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे:–

हरनामसिंह वल्द सन्तासिंह सा: चक ४२ जी.बी. कितनी भूमि का मालिक है और उसको कितनी सरकारी भूमि दी गई है ?

उत्तर–

हरनामसिंह वल्द सन्तासिंह ने अपनी दरख्वास्त में जाहिर किया है कि वह ३ बीघे का मालिक है। चक ४७ जी. बी. में उसको ७ बीघा अलहदा और १२ बीघा भाई के साथ शामिल में काश्त को दी गई है।

८२. (६ आर.एम.) श्री गुरूदयालसिंह सन्धु (४६)—क्या राजस्व मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे:—

(क) चक नम्बर ६१ व ६२ जी.बी. तहसील अनूपगढ में सरकारी भूमि कितनी है ?

(ख) वह कितने आदमियों के नाम, कितने अरसे के लिये व किन शर्तों पर अलाट की गई है।

(ग) क्या सरकार उसको केन्सल किये बिना भूमि के मुजारों को देने के लिये तैयार है ?

उत्तर–

(*a*) The following Loans have been advanced for the purchase of pumping sets and tractors etc. during the last two years.

1951-52.

Pumping sets	Rs. 3,85,888/-.
Tractors	Rs. 7,65,715/-.

1952-53 (Up to the end of January, 1953.)

Pumping sets	Rs. 4,37,514/-.
Tractors	Rs. 3,14,973/-.
Construction of wells	Rs. 28,550/-.

(*b*) Bonds are undertaken that the loan taken will be used for the purpose for which it has been obtained.

(*c*) So far as is known to the Government the amount taken as loan for the purchase of the agricultural machinery have been utilised for the same purpose.

(*d*) No account has been kept nor any distinction of this kind is made. Since the rules do not allow any such distinction ; as such it is not possible to give the kind of list desired for.

(*e*) No such case has yet come to the notice of the Government till now, but necessary action will be taken against them, if any such cases are brought to light.

८३. (२७ आर.एम.) श्री नारायण चतुर्वेदी, एम.एल.ए. डिविजन नम्बर १०६—क्या श्री राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या तहसील निवाई में रोयेडा नाम के गांव म करीब २००० बीघा के रकबे म केवल १५० बीघा खेती होती है ?

(२) क्या बाकी के रकबे के लिए किन्हीं लोगों ने खेती के लिए जमीन मांगी है ?

(३) क्या यह सच है कि लगभग ३७ वर्ष से कुछ लोग इस बेकार जमीन के लिए आवेदन-पत्र दे चुके हैं किन्तु उन्हें जमीन आज तक नहीं दी गई है ?

(४) क्या यह सच है कि आवेदन कर्त्ताओं की कुछ दरख्वास्तों पर सुपरिन्टेन्डेन्ट कोर्ट आफ वार्डस के तुरन्त काश्त के लिऐ जमीन दे देने के आदेश के बावजूद भी मातहत अधिकारियों ने आज तक जमीन सुपुर्द नहीं की है ?

Page No.79

(५) क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि जब आवेदन कर्त्ता लोग माल विभाग के प्रचलित कास्तों के अनुसार चाहते हैं तब इस प्रकार की बेकार जमीनों को खेती के लिए बतलाने में इस प्रकार की ढिलाई क्यों होती है ?

उत्तर-

१. रोयेडा गांव का नाम नहीं है। रोहेडा गांव में मिलान खसरा के इन्दराजात के मुताल्लिक गांव का रकबा १७२६ एकड़ है। खातेदारी हकूक ४४६ एकड़ पर है जिसमें सिर्फ १५१ एकड़ जेरकाश्त है। बाकी २६८ पर काश्त नहीं होती है। बंजड़ काबिल काश्त १२२४ एकड़ है। गैर मुमकिन रकबा ६१ एकड़ है।

२. हां।

३. नहीं।

४. नहीं

५. यह आज्ञा प्रचलित हो चुकी है कि जो रकबा काबिल काश्त है वह गोचर भूमि छोड़ने के बाद भूमिहीन काश्तकारों को दिया जावे। बरसात के पहले कब्जे मिल जावेंगे।
